लखनऊ विकास प्राधिकरण की 131 वीं बैठक

06/30 जून, 2008

में विचारणीय विषयों की

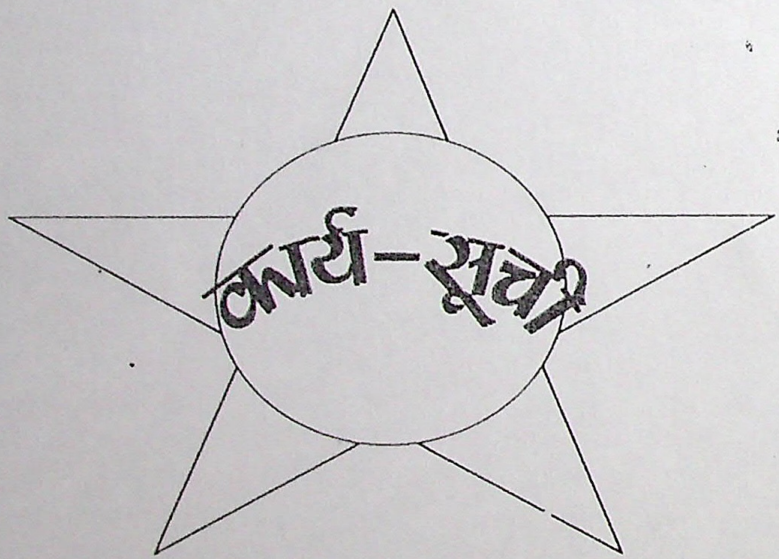



लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 06 जून, 2008 में विचारणीय विषयों की कार्य सूची

विषय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1–4
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 01 मार्च एवं 11 मार्च, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	5–15
3.	वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुमोदन के सम्बन्ध मे ।	16–17
4.	मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार ।	18–28
5.	हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में "यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा" भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	29–31
6.	सम्पत्ति की धनराशि समय से जमा न करने के फलस्वरुप लगने वाले दण्ड ब्याज को रु0 25,000.00 माफ किये जाने वाले प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	32
7.	लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण का पार्किंग स्थल के रुप में विकसित किये जाने हेतु भूमि अर्जन की योजना ।	33–36
8.	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम–सेमरागौढ़ी, मोहिबुल्लापुर खलीलाबाद, बटहासबौली, सिकन्दरपुर इनायतअली व आकिलपुर के अर्जित भूमि का समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध मे।	37
9.	उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन/लैण्ड एसेम्बली एवं विकास की नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी) के अन्तर्गत विभिन्न विकासकर्ताओं के पंजीकरण तथा उन्हें निर्गत किये गये लाइसेन्स के सम्बन्ध में प्राधिकरण की दिनांक 01.03.08 की बैठक में विषय संख्या–10 पर पारित निर्णय के क्रम में कुल 06 विकासकर्ताओं के पंजीकरण एवं उनके लाइसेन्स प्रस्ताव	38–55

	पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 5873/आठ–1–05–34विविध/03टीसी–1 दिनांक 12.01.08 के द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 06.05.08 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार ।	
10.	रमाबाई अम्बेडकर मैदान के अनुरक्षण एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में ।	56–58
11.	लखनऊ नगर महानगर क्षेत्र में गोल मार्केट के पास स्थित पार्क में पी.पी.पी. माडल पर भूमिगत पार्किंग काम्पलेक्स का निर्माण ।	59–60
12.	गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर निर्मित भवन को समायोजित करने से सम्बन्धित आश्वासन संख्या–523–38–2001 की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।	61
13.	लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध मे ।	62–70
14.	लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/सीवेज फार्म के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध मे ।	71–88
15.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कियान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में आवश्यक संशोधन किये जाने विषयक।	89–101
16.	लखनऊ नगर में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम सरोसा–भरोसा एवं सलेमपुर पतौरा की लगभग 86 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को ''कृषि'' एवं ''पार्क''/खुले स्थल व हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधाएं, शिक्षण संस्थाएं, में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	102–104

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या : 01

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 11 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

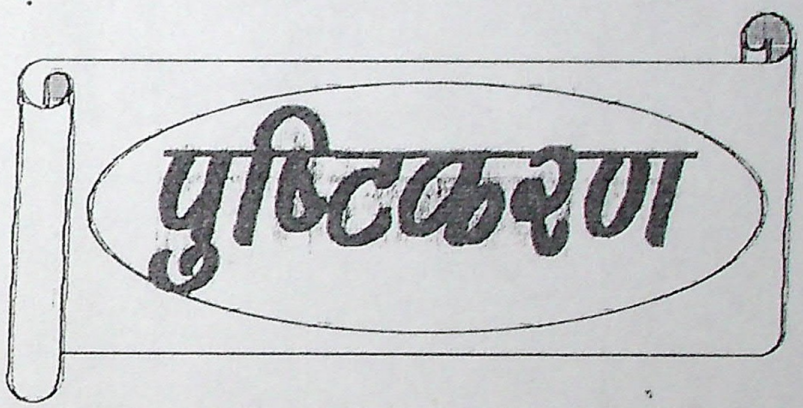

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 11 मार्च, 2008 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2008 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2	श्री राम बहादुर	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3	श्री चन्द्रभानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4	श्री आर0के0 सिंह (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5	श्री ओम नारायण	निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6	श्री आर0एन0 पाल (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	इं0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
9.	श्री एन0पी0 सिंह (प्रतिनिधि–निदेशक, पर्यटन)	उपनिदेशक पर्यटन, लखनऊ।
10	श्री मुसव्विर अली "मन्सू"	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
11	श्री गोविन्द पाण्डेय	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
12	श्री सुरेश कुमार रावत	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
13	श्री राम कृष्ण यादव	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थिति :

14	श्री एस0एस0 मिश्र	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
15	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
16	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
17	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
18	श्री एस0बी0 मिश्रा	संयुक्त निदेशक (भूमि एवं विकास), ल0वि0प्रा0।

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। निदेशक कोषागार श्री ओम नारायण द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि लिए गये निर्णयों में "दृष्टांत न बनाया जाये", जैसे शब्दों का उल्लेख/प्रयोग न किया जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति दी गयी।

विषय संख्या : 2 मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट पिटीशन संख्याः 8782(एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.08 के समादर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड पर ग्राम–भदरूख की लगभग 101 एकड भूमि मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन के रूप में विकसित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में स्मृति उपवन का नाम परिवर्तित करके "मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन" नाम रखने हेतु प्राधिकरण की दिनांक 29.09.07 की बैठक में विषय संख्या–5 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिये गये निर्णयं पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्याः 8782(एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक 05.03.08 को पारित आदेश के आलोक में उपवन का नाम परिवर्तन के निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया।

2. विचार–विमर्श के उपरान्त कानपुर रोड योजना में लखनऊ–बिजनौर रोड़ पर बंगला बाजार से आगे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/विकासशील "मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन" का नाम परिवर्तित करके "बौद्ध विहार शान्ति उपवन" रखने एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–2 में उल्लिखित उद्देश्य एवं प्रारूप के

अनिवार्यतः अनुरूप इसे विकसित करने का निर्णय लिया गया।

3. उपवन को विकसित करने के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय प्राविधान करने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है, अतः शासन को नाम परिवर्तन का प्रकरण संदर्भित करने का भी निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 3 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क की लगभग 75 एकड़ भू–उपयोग की भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी–1) में से 22 एकड़ का भू–उपयोग सामाजिक सांस्कृतिक/शोध संस्थाएं एवं सेवाएं एवं अवशेष लगभग 53½ एकड़ भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा स्थल (पी–2) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

(एस0एस0 मिश्र)
सचिव

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्याः 01	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
लिया गया निर्णयः	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
अनुपालनः	नोट किया गया ।
विषय संख्याः 02	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।
लिया गया निर्णयः	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं निर्देश दिये गये कि: 1. अवैध कालोनियों के विनियमतीकरण के सम्बन्ध में त्वरित गति से सर्वेक्षण/कार्यवाही की जाये। 2. 15000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में तेजी लायी जाये ।
अनुपालन	1. निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है । 2. भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।
विषय संख्याः 03	लखनऊ नगर में आवासों की कमी के दृष्टिगत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बहुमंजिले सस्ते भवन निर्मित कराया जाना ।
निर्णयः	सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त योजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया एवं निम्न निर्देश प्रदान किये गये:– 1. योजना स्ववित्त पोषित होगी और उतने ही भवनों का निर्माण उसी योजना में कराया जाये जिस योजना में जितने पंजीकरण हों। 2. भवनों को सस्ता बनाने के उद्देश्य से तलों की संख्या एवं एफ0ए0आर0 की अनुमन्यता के अनुसार बढ़ाये जाने पर विचार कर लिया जाये । 3. लिफ्ट आदि की सुविधा के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जाये । 4. भवनों की क्वालिटिंग पुनः चेक कर ली जाये तथा यदि आवश्यकता हो तो किसी बाहरी एजेन्सी से भी कार्य की गुणवत्ता चेक करा ली जाये ।
अनुपालनः	लिये गये निर्णय के क्रम में 4 मंजिले भवनों हेतु दिनांक 15 मार्च, 2008 से 25 अप्रैल,2008 के मध्य पंजीकरण खोला गया था जिसमें 279 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर भवनों को निर्मित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

विषय संख्याः 04 — श्रीमती ऊषा बजाज पत्नी श्री रणवीर बजाज एंवं श्रीमती सुनील बजाज पत्नी श्री प्रदीप बजाज के भूखण्ड संख्याः बी–940 सेक्टर'ए' महानगर, लखनऊ का भू–प्रयोग लखनऊ महायोजना–2021 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः — विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उस क्षेत्र में समस्त ऐसे प्रकरणों का विस्तृत परीक्षण करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

अनुपालनः — प्रकरण में विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है तथा इसे परीक्षणोंपरान्त पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

विषय संख्याः 05 — श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी शहीद लेफ्टीनेंट कर्नल एम0सी0 शर्मा को पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड संख्याः सी0पी0–7 विकान्त खण्ड, गोमती नगर योजना को रियायती दरों पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अथवा आन्तरिक सुरक्षा आदि के दौरान शहीद होने वाले वीरता चक प्राप्त सैन्य कर्मियों की विधवा पत्नियों के पुनर्वास हेतु शासनादेश संख्याः वी0आईपी0–15(1)/आठ–1–08–290 एलडीए/04 दिनांक 12.02.08 को अंगीकृत किया गया एवं निर्देश दिये गये किः

1. विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु भूखण्ड के अधिकतम क्षेत्रफल के सम्बन्ध में नीति बना ली जाये।
2. श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी शहीद लेफ्टीनेन्ट कर्नल एम0सी0 शर्मा को भी उपरोक्त निर्णय का लाभ अनुमन्य किया जाये । चूँकि श्रीमती शर्मा को भूखण्ड पूर्व से ही आवंटित है, अतः क्षेत्रफल सम्बन्धी बिन्दु इस पर लागू नहीं होगा ।
3. उपरोक्त योजना के फलस्वरुप प्राधिकरण को होने वाली वित्तीय क्षति अन्य भूखण्डों पर भारित की जाये ।

अनुपालनः — शासनादेश संख्याः वी.आई.पी. –15(1)/आठ–1–08–290एलडीए/04 दिनांक 12.02.2008 का अंगीकृत कर लिया गया है तथा उसी के अनुसार श्रीमती कल्याणी शर्मा को छूट देने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को 10 प्रतिशत धनराशि लेकर भूखण्ड देने का निर्देश है। तद्नुसार कास्टिंग कराकर श्रीमती कल्याणी शर्मा पत्नी ले0 कर्नल एम0सी0 शर्मा को पत्र संख्याः 743/पी.ओ. दिनांक 04.04.2008 का सूचित कर दिया गया है।

विषय संख्याः 06 — श्री राजीव कुमार मालवीय को शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड में आवंटित एवं निबन्धित भूखण्ड संख्या–1/549(162 वर्गमी0) को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड–5 में भवन संख्या–5/450 में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस मामले को अन्य प्रकरणों के लिए दृष्टान्त न बनाया जाये ।

अनुपालनः अनुपालन पूर्ण किया गया ।

विषय संख्याः 07 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर धोजना के विपिन खण्ड में निर्मित सी0एस0आई0 लॉन का आवंटन जारी रखने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना ।

निर्णय : प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किमिनल अपील संख्याः 732/2000 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा याचिकी संख्याः 216/एम0बी0/2001 में पारित आदेश तथा पर्यावरण अनुभाग उ0प्र0 शासन के ज्ञाप संख्याः 2856/पर्या0–2003 दिनांक 15.10.03 के द्वारा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के परिप्रेक्ष्य में सी0एस0आई0 लॉन को समारोहों हेतु आवटित न किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालनः अनुपालन पूर्ण किया गया ।

विषय संख्याः 08 श्री नरेन्द्र नाथ धर दुबे (कीर्ति चक्र वीरता पदक विजेता) शत्रुओं का मुकाबला करते समय गोलियों से घायल होकर 76 % स्थायी रुप से विकलांग को गोमती नगर विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में ।

निर्णयः प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अनुपालनः अनुपालन पूर्ण किया गया ।

विषय संख्याः 09 हरदोई रोड पर स्थित बसन्तकुँज योजना में महायोजना के अन्तर्गत व्यवसायिक भू–उपयोग हेतु आरक्षित सेक्टर–ए की 09 हेक्टेअर भूमि का भू–उपयोग व्यवसायिक से आवासीय तथा सेक्टर–आई की 09 हेक्टेअर भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किया जाना ।

निर्णय : प्रस्ताव प्राधिकरण की एक ही योजना से सम्बन्धित होने तथा दोनों स्थलों/भूखण्डों का अभी तक कोई आवंटन न होने के दृष्टिगत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये ।

अनुपालनः प्राधिकरण के निर्णयानुसार भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यालय के पत्रांकः169/ उपा0/सी.टी.पी., दिनांक 13.03.2008 के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

विषय संख्याः10 उत्तर प्रदेश की निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अधीन विभिन्न विकासकर्ताओं को लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के कार्योत्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पंजीकरण हेतु निर्धारित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति पंजीकरण की तिथि तक प्रस्तुत प्रस्ताव में अपरिहार्य रुप से की गई हो यदि विकासकर्ता कम्पनी/कंसोटियम द्वारा पंजीकरण की शर्त पूरी नहीं की गई है तो उस तिथि में पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाये, इसी प्रकार यदि प्राविधानित सक्षम व्यवस्था के विपरीत जाकर कार्यवाही की गयी है, उस स्थिति में भी पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त लाइसेन्स निर्गत करते समय यदि प्रस्ताव/प्रार्थना–पत्र द्वारा लाइसेन्स की किसी निर्धारित शर्त का लाइसेन्स निर्गत होने की तिथि तक अनुपालन नहीं किया गया है, उस लाइसेन्स को भी निरस्त कर दिया जाये तथा यदि किसी प्रस्ताव को निर्धारित प्रकिया से हटकर किसी ऐसे स्तर से स्वीकृत किया गया हो जो शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरुप नहीं है ऐसे लाइसेन्स को भी निरस्त कर दिया जाये ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में गठित समिति गुण–दोष के आधार पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण सुनिश्चित करते हुए आख्या/संस्तुति सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करेगी ।

अनुपालनः लिये गये निर्णय के कम में विकासकर्ता कम्पनी के पंजीकरण प्रस्ताव एवं लाइसेन्स प्रस्ताव का परीक्षण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है एवं इस हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति की बैठक आहुत कराकर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

विषय संख्याः 11 शासन की निजी पूजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड एसेम्बली एवं विकास नीति के अन्तर्गत मेसर्स एल्डिको सिटी प्राइवेट लि0 के पक्ष में निर्गत पंजीकरण/लाइसेन्स के सापेक्ष विकासकर्ता कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः प्रस्ताव संख्या–10 के सम्बन्ध में लिये गयें निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर विचार नहीं किया गया ।

अनुपालनः अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

विषय संख्याः 12 हरदोई रोड योजना बसन्त कुंज बरीकलां की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान चकबन्दी के पश्चात् भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर करने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अनुपालनः — निर्णय के अनुसार समझौते के आधार पर प्रतिकर वितरण कराया जा रहा है।

विषय संख्याः 13 — गोमती नगर के विभूति खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय के लिए आवंटित भूमि के अन्तर्गत स्थित 03 निर्माणों के स्थान पर वैकल्पिक भूखण्ड का आंवटन तथा निर्माणों का प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध मे ।

निर्णयः — प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अनुपालनः — प्रभावित व्यक्तियों के अनुरोध पर इन्हें गोमती नगर विस्तार योजना के स्थान पर गोमती नगर के विकल्प खण्ड में भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं।

विषय संख्याः14 — सिंचाई विभाग के प्रस्ताव के अनुसार गॉधी सेतु से लामार्टीनियर कालेज की ओर जाने वाले बन्धे के किनारे सिंचाई विभाग द्वारा भूमि रि–क्लेम करके उसे विकसित करने एवं सौन्दर्यीकरण करने तथा नदी के समानान्तर एक और बन्धा निर्मित करने हेत लगभग 14 हेक्टेअर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव ।

निर्णयः — सम्यक विचारोपरान्त इस शर्त के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया कि अधिग्रहण की कार्यवाही करने से पूर्व सभी सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये ।

अनुपालनः — निर्णयानुसार भूमि अधिग्रहण से पूर्व सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अनापत्ति की प्रत्याशा में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है।

विषय संख्याः 15 — बंगला बाजार चौराहे से कानपुर रोड जाने वाले वी0आईपी0 रोड के समानान्तर कैनाल कालोनी के पीछे 24.00 मीटर चौड़ी सड़क के बीच में आ रहे निर्माण व प्रतिमा को अन्यत्र शिफ्ट करने के सम्बन्ध में।

निर्णयः — सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया गया कि भविष्य में इसे दृष्टान्त न बनाया जाये ।

अनुपालनः — निर्णयानुसार 24 मीटर सड़क के बीच में आ रहे निर्माण व प्रतिमा को अन्यत्र शिफ्ट कराया जा चुका है।

विषय संख्याः 16 — लखनऊ नगर में अवस्थापना विकास, जन सुविधा, सौन्दर्यीकरण तथा अर्बन रिजुवनेशन की परियोजनाओं का कियान्वयन पी0पी0पी0 माडल पर करने हेतु प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कन्सलटेंट पार्टनर का चयन एवं पी0डी0एस0 पी0वी0 गठित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः — सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त लखनऊ नगर के अवस्थापना विकास, जन सुविधा, सौन्दर्यीकरण तथा अर्बन रिजुवनेशन की परियोजनाओं तथा शहर के कम्प्रेहेन्सिव डेवलपमेंट हेतु परियोजनाओं के चिन्हीकरण फिजीबिल्टी व अध्ययन उपरान्त डी0पी0आर0 तैयार करने व सक्षम स्तर से स्वीकृत परियोजनाओं के पी0पी0पी0 मॉडल पर कियान्वयन हेतु विकासकर्ता के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हुई पावर कमेटी द्वारा चयनित कन्सलटेंट मे0

आई0एल0एफ0एस0–आई0एल0एफ0एस0 आई0डी0सी0 के कांसोर्शिएम के साथ सेल कम्पनी गठित किये जाने तथा प्रस्तावित सेल कम्पनी के मेमोरेंडम आफ एसोसियेशन एवं आर्टिकिलस् आफ एसोसियेशन और कन्सलटेंट के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 के आलेखों का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सेल कम्पनी में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से निम्नलिखित 4 निदेशक, निदेशक मण्डल में नामित किये जायें:–

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन एवं उनके प्रतिनिधि।
4. संयुक्त निदेशक (भूमि एवं विकास) ल0वि0प्रा0 ।

अनुपालनः निर्णय के कम में पी.डी.एस.पी.वी. का गठन कराया जा रहा है।

विषय संख्याः 17 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित शारदा नगर योजना के अन्तर्गत ग्राम– औरंगाबाद खालसा की 42 एकड़ भूमि का भू–उपयोग आवासीय से प्रदर्शनी/मेला एवं सम्मेलन स्थल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे ।

निर्णयः सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में 42 एकड़ भूमि आवासीय भूमि का भू–उपयोग जनहित में प्रदर्शनी/मेला एवं सम्मेलन स्थल में परिवर्तित किये जाने हेतु शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 25.02.08 को अनुमोदित करते हुए प्रस्ताव शासन के विचारार्थ संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 1073/8–3–2008–4एलयूसी–2008, दिनांक 11.03.2008 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

विषय संख्याः 18 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत बंगला बाजार रोड पर स्थित स्वर्ण जयन्ती स्मृति उपवन की भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी एवं जलाशय (झील) से मनोरंजनात्मक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर'एल' में स्थित स्वर्ण जयन्ती स्मृति उपवन जिसका नाम परिवर्तन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.09.07 में ''मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन'' किया जा चुका है और स्मृति उपवन को सुव्यवस्थित रुप से विकसित किये जाने की स्वीकृति एवं वित्त पोषण हेतु शासनादेश संख्याः 4493/आ–1–07–122विविध/07, दिनांक19.11.2007 के द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है, और जो महायोजना 2001 में क्षेत्रीय पार्क के रुप में वर्गीकृत था, का भू–उपयोग पार्क एवं कीड़ा स्थल (पी–2) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना प्रकाशित होने के बावजूद किसी भी स्तर से कोई आपत्ति प्राप्त न होने के दृष्टिगत भू–उपयोग परिवर्तन की संस्तुति शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि उपवन का ''कारगिल निकुंज'' व ''कारगिल पुष्करिणी'' का क्षेत्रफल यथावत्

बनाये रखा जाये तथा इसे उसकी गरिमा के अनुरुप सुरुचि पूर्ण ढंग से विकसित किया जाये ।

अनुपालनः

प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 1071/8–3–2008–4एलयूसी –2008, दिनांक 11.03.2008 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

विषय संख्याः 19

गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क की लगभग 75 एकड़ भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी–1) में से 40 एकड़ का भू–उपयोग पार्क एवं कीड़ा स्थल (पी–2) एवं अवशेष लगभग 35 एकड़ भूमि का भू–उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक/शोध संस्थाएं एवं सेवाएं में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णयः

सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह नोट किया गया कि महायोजना–2001 जो मार्च 2005 तक प्रभावी थी, में अम्बेडकर उद्यान एवं संलग्न परिसरों के कुल 103 एकड़ क्षेत्रफल में से 50 एकड़ भूमि का भू–उपयोग ''पार्क एवं कीड़ा स्थल'' वर्गीकृत था । बोर्ड द्वारा यह भी नोट किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1995 से 2002–03 के मध्य डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं उद्यान, जन सुविधा परिसर एवं गेस्ट हाऊस, स्टेडियम, सामाजिक परिवर्तन स्थल व म्यूजियम का निर्माण किया जा चुका था, किन्तु महायोजना–2021 जो कि अप्रैल 2005 से प्रभावी हुई, में धरातल की वास्तविकता के विपरीत त्रुटिवश मात्र 28 एकड़ भूमि का भू–उपयोग सामुदायिक सुविधाएं तथा अवशेष 75 एकड़ भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल एवं हरित पट्टी (पी–1) में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके कारण अधिकांश भूखण्ड पर पूर्व में किया जा चुका विकास कार्य उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–16 के विपरीत नान–कन्फर्मिंग उपयोग की श्रेणी में आ गया है और इससे विधिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अतएव त्रुटि के निराकरण हेतु एवं पूर्व में किये जा चुके विकास के दृष्टिगत प्रश्नगत भूखण्ड मे से 40 एकड़ भूमि का भू–उपयोग ''पार्क एवं कीड़ा स्थल'' (पी–2) व 35 एकड़ भूमि का भू–उपयोग ''सामुदायिक सुविधाओं'' में परिवर्तित किये जाने हेतु इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि प्रस्तावित भू–उपयोग के परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में किसी भी स्तर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, संस्तुति सहित शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः

प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 1070/8–3–2008–4एलयूसी –2008, दिनांक 11.03.2008 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

विषय संख्याः 20 जेल रोड व वी0आई0पी0 रोड चौराहे पर स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान का भू–उपयोग प्रदर्शनी/मेला एव सम्मेलन स्थल से मनोरंजनात्मक (स्मारक) में परिवर्तित किये जाने विषयक ।

निर्णयः सम्यक रुप से विचार–विमर्श किया गया और यह नोट किया गया कि पूर्व में राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–117/एक–1/2003–05–145/2002(07), दिनांक 18.01.03 सपठित जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्याः 199/डी0एल0आर0सी0/2002–03, दिनांक 31.03.03 के द्वारा ग्राम–भदरुख एवं हसनापुर, परगना व तहसील व जिला–लखनऊ की 22.825 हेक्टेअर ग्राम समाज भूमि पुनर्गृहीत कर शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को रैली स्थल के विकास हेतु उपलब्ध करायी गयी थी, जिस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002–2003 में रैली स्थल का विकास कार्य कराया गया था। बोर्ड द्वारा यह भी नोट किया गया कि उ0प्र0 शासन गृह विभाग से शासनादेश संख्याः 2517/छः–पुलिस–2007, दिनांक 08.10.07 के द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था एवं जन सुविधाओं के दृष्टिगत नगरों के भीतर रैली, धरना, प्रदर्शन, मेले आदि, जिनमें जन–सैलाब के कारण कानून व्यवस्था एवं जन–जीवन प्रभावित होता है, के आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाये। अतः जिला प्रशासन द्वारा प्रश्नगत रैली स्थल पर इस प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित कर दिये जाने के कारण एवं इस प्रकार के आयोजनों हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में रैली, प्रदर्शनी स्थल एवं मेंले आदि के आयोजन हेतु ''रमाबाई रैली स्थल'' विकसित कर दिये जाने के फलस्वरुप तथा जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश संख्याः 1404/डी0एल0आर0सी0/07, दिनांक 27.12.07 द्वारा प्रश्नगत भूमि के पुनर्गृहण का उद्देश्य रैली स्थल से बदलकर ''मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल'' किये जाने के फलस्वरुप प्रश्नगत भूखण्ड जो महायोजना–2021 में अन्य उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शनी मेला एवं सम्मेलन स्थल वर्गीकृत है, से बदलकर मनोरंजनात्मक (स्मारक) (पी–2) किये जाने हेतु संस्तुति उत्तर प्रदेश शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। बोर्ड द्वारा यह भी नोट किया गया कि जहॉ पूर्व में उपरोक्त भूमि विभिन्न आयोजनों के कारण बैंजर भूमि की शक्ल में रहती थी, वहीं अब प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के फलस्वरुप हरे–भरे एवं सुरुचिपूर्ण ढंग से विकसित खुले मैदान के रुप में परिवर्तित हो जायेगी और अधिकतम 5 प्रतिशत भू–भाग पर ही कोई निर्माण कार्य किया जा सकेगा तथा प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र के पर्यावरण पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

अनुपालनः प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 1074/8–3–2008–4एलयूसी –2008, दिनांक 11.03.2008 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

अनुपूरक विषयः1	मुवीन अहमद, चालक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुत्र मतीन अहमद की गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु चिकित्सा अग्रिम रु0 4.50 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
निर्णयः	विशेष परिस्थितियों में प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्णय लिया गया कि शासन को अनुमोदन हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाये तथा भविष्य के लिए प्राधिकरण द्वारा नीति बना ली जाये ।
अनुपालनः	अनुपालन सुनिश्चित किया गया ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 11 मार्च, 2008 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्याः 01. लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लिया गया निर्णयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। निदेशक कोषागार श्री ओम नारायण द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि लिए गये निर्णयों में "दृष्टान्त न बनाया जाये" जैसे शब्दों का उल्लेख/प्रयोग न किया जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति दी गयी ।

अनुपालनः नोट किया गया ।

विषय संख्याः 02 मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट पिटीशन संख्याः 8782/(एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.08 के समादर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड पर ग्राम–भदरुख की लगभग 101 एकड़ भूमि मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन के रुप में विकसित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णयः. लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में स्मृति उपवन का नाम परिवर्तन करके "मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन" नाम रखने हेतु प्राधिकरण की दिनांक 29.09.07 की बैठक में विषय संख्या–5 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्याः 8782 (एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक 05.03.08 को पारित आदेश के आलोक में उपवन का नाम परिवर्तन के निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया ।

2. विचार–विमर्श के उपरान्त कानपुर रोड योजना में लखनऊ–बिजनौर रोड पर बंगला बाजार से आगे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/विकासशील "मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन" का नाम परिवर्तन करके "बौद्ध विहार शान्ति उपवन" रखने एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–2 में उल्लिखित उद्देश्य एवं प्रारुप के अनिवार्यतः अनुरुप इसे विकसित करने का निर्णय लिया गया ।

अनुपालनः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्याः 8782(एम.बी.)/07 श्री अशोक यादव देव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2008 को पारित अन्तरित आदेश के माध्यम से 'स्मृति उपवन' का नाम परिवर्तित करने पर रोक लगाई गई है, जिसके दृष्टिगत वर्तमान में इस स्थल को 'स्मृति उपवन' के नाम से विकसित किया जा रहा है ।

विषय संख्याः 03	गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क की लगभग 75 एकड़ भू–उपयोग की भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी–1) में से 22 एकड़ का भू–उपयोग सामाजिक सांस्कृतिक/शोध संस्थाएँ एवं सेवाएँ एवं अवशेष लगभग 53 एकड़ भूमि का भू–उपयोग पार्क एवं कीड़ा स्थल (पी–2) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।
लिया गया निर्णयः	विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।
अनुपालनः	प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 1070/8–3–2008–4एलयूसी –2008, दिनांक 11.03.2008 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विषय संख्याः 03

पृष्ठ संख्याः 16

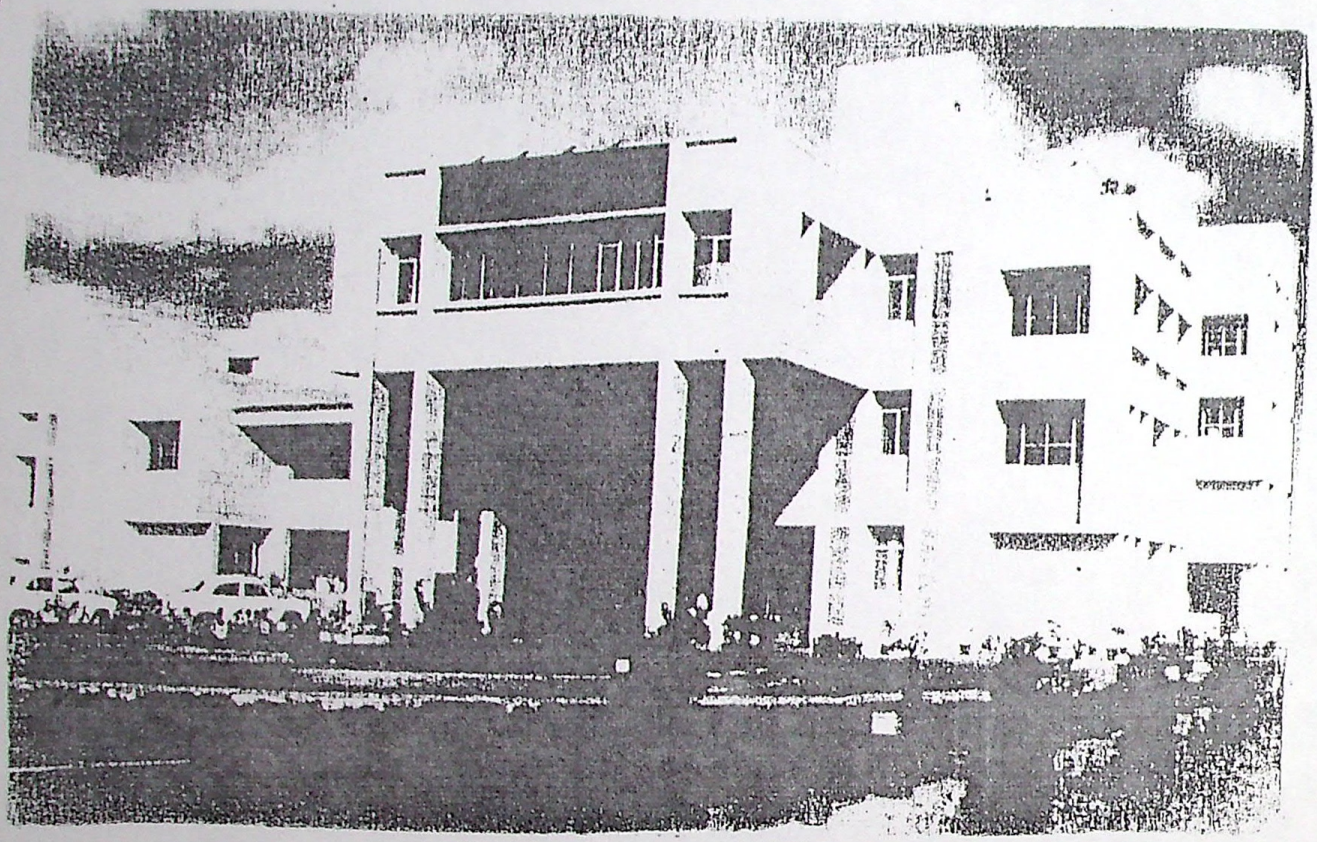

आय-व्ययक 2008-09

BUDGET

आय-व्ययक अलग से पुस्तिका के रुप में प्रस्तुत है

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुमोदन के सम्बन्ध में,

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007-08 का वास्तविक एवं वर्ष 2008-09 का आय व्ययक अनुमोदन हेतु मा0 प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

17/4
(सुभाष चन्द्र)
लेखाकार

एस0 के0 तिवारी
लेखाधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

17/4

विषयः मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर-जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

आख्याः

प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा के अ0शा0प0सं0-1721/पीएसटीई/2007 दिनांक 05.10.2007(अनुलग्नक-1) द्वारा लखनऊ में मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड/सीतापुर रोड पर लगभग 200 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना के सेक्टर-जे में 100 एकड़ भूमि इस शर्त के साथ प्रस्तावित की गयी कि प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग आवासीय है अतः मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु इस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा। स्थल पर प्रश्नगत भूमि पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी क शिलान्यास भी किया जा चुका है। कालान्तर में दिनांक 15.10.2007 को प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में मान्यवर कांशीराम जी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए लगभग 150 एकड़ भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराने तथा इसके साथ ही लगभग 50 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। बैठक का कार्यवृत्त अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

शासन के उक्त निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना के सेक्टर-जे में मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु 150 एकड़ भूमि तथा इसके साथ संलग्न ग्रीन बेल्ट के रूप में 50 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी जिसको

(जी0 एस0 गोयल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

महायोजना के पार्ट मानचित्र (अनुलग्नक-3) पर प्रदर्शित किया गया है। मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु प्रस्तावित 150 एकड़ भूमि का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार ''आवासीय'' है। मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु उक्त भूमि का भू-उपयोग ''आवासीय'' से ''सामुदयिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान'' में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है।

<u>प्रस्ताव:</u>

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रस्ताव है कि मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर-जे में आरक्षित आवासीय भू-उपयोग की लगभग 150 एकड़ भूमि, के भू-उपयोग को ''सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान'' में परिवर्तित करने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को अग्रसारित किया जाये। तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

17/4/08

(जी० एस० गोयल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्रमुख सचिव

अर्द्ध शा.पत्र सं० 1721/पी.एस.टी.इ./2007

अनुलग्नक-1 (1)

प्राविधिक शिक्षा विभाग **20**

लखनऊ : दिनांक :- 5/10/2007

प्रिय महोदय,

शासन द्वारा लखनऊ में मा० काशी राम जी उ०प्र० इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संस्था को स्थापित करने हेतु लगभग 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बंध में हरदोई/ सीतापुर रोड पर उपयुक्त भूमि आवंटित करने का कष्ट करें तथा इस हेतु नजरी, नक्शा भी संलग्न कर शासन को भेजने का कष्ट करें।

2. इस सम्बंध में यह भी अवगत कराना है कि इस परियोजना का शिलान्यास मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा 09 अक्टूबर, 2007 को किया जायेगा। कदाचित् इस सम्बंध में शिलान्यास हेतु पट्टिका तैयार करने का अनुरोध भी किया गया है। कृपया इसे प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर अग्रवाल)

पत्र सं०: 2451/05
दिनांक: 15-10-7
कार्यालयः अपर सचिव

श्री हर भजन सिंह,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(शंकर अग्रवाल)

श्री यू०एस० तोमर,
रजिस्ट्रार,
उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(शंकर अग्रवाल)

श्री शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
उ०प्र० शासन।

(एस० के० सिंह)
पी०सी०एस०
अपर सचिव

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक आई0आई0टी0 स्तर की व एक आई0आई0एसी0 बंगलौर स्तर की संस्था की स्थापना के सम्बंध में दिनॉक 15.10.2007 को प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्री शैलेश कृष्ण) की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

2. बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :–

1. संस्थानों की स्थापना हेतु वित्तीय सांसाधनों की व्यवस्था–

(ए) आई0आई0टी0 (I.I.T.) स्तर की एक संस्था–मा0 कांशी राम उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, स्थापित किये जाने हेतु इस वर्ष के आय–व्ययक में रूपये– 25 करोड़ का प्राविधान इस पृष्ठभूमि में किया गया था कि इस संस्था की स्थापना आई0ई0टी0, लखनऊ को उच्चीकृत करके किया जायेगा। वित्त विभाग का मत था कि इस संस्था को P P P माडल के आधार पर स्थापित किया जाय। इस सम्बंध में स्पष्ट किया गया कि वर्तमान सभी I.I.Ts, I.I.Ms इत्यादि राजकीय संस्थाओं के रूप में कार्यरत हैं। प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रश्नगत दोनों संस्थाएं राजकीय संस्थाओं के रूप में ही विकसित की जानी हैं न कि P P P माडल के आधार पर। इस सम्बंध में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि आई0ई0टी0, लखनऊ को उच्चीकृत कर आई0आई0टी0 स्तर की संस्था की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा, अतः आई0आई0टी0 स्तर की संस्था को स्थापित किये जाने का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब कि संस्था को "ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट" के रूप में स्थापित किया जाये । इस सम्बंध में यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि विधायी स्वीकृति आई0ई0टी0, लखनऊ को उच्चीकृत कर आई0आई0टी0 स्तर की संस्था की स्थापना किये जाने की है, अतः राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि को संशोधित करते हुए आवश्यक धनराशि का प्राविधान " ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट " के रूप में

संस्थान के निर्माण हेतु पूँजीगत मद में किया जाये। इस हेतु अनुपूरक के माध्यम से यथा आवश्यक सभी संशोधित प्राविधान करा लिये जायें।

(कार्यवाही–प्राविधिक शिक्षा विभाग, वित्त विभाग)

(बी) आई०आई०एससी० बंगलौर (I.I.Sc.) के पैटर्न पर संस्था स्थापित किये जाने के सम्बंध में इस संस्था को ग्रेटर नोयड़ा में "ग्रीन फील्ड प्रोज़ेक्ट" के रूप में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु विधायी स्वीकृति भी "ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट" के लिए ही है अतः विधायी स्वीकृति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार समुचित धनराशि का प्राविधान अनुपूरक के माध्यम से करा लिया जाये।

(कार्यवाही–प्राविधिक शिक्षा विभाग, वित्त विभाग)

2. **संस्थानों का स्वरूप–**

विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् यह उचित पाया गया कि प्रस्तावित संस्थानों को CENTRES OF EXCELLENCE के रूप में सृजित करना वांछनीय एवं आवश्यक होगा। इस परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि देश के I.I.Ts./ I.I.Sc./ I.I.Ms की भाँति दोनों संस्थाओं (लखनऊ एवं ग्रेटर नोयडा) को स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में विधान मण्डल में एक्ट के अधीन सृजित किया जाये। प्रस्तावित संस्था को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में विधान

मण्डल द्वारा पारित एक्ट के अधीन सृजित किये जाने से एक ओर प्रश्नगत संस्थायें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के जन–सामान्य की अपेक्षाओं व सरकार की नीतियों को मूर्त रूप भी दे सकेंगी। इस सम्बंध में यह भी निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान व विभिन्न I.I.Ts के स्वरूप के अनुरूप ही प्रस्तावित संस्थाओं को सृजित एवं गठित किया जाये। इस हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा एक तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग)

3. संस्थानों की स्थापना एवं निर्माण हेतु नीति निर्धारण–

(ए) इस हेतु सम्यक विचारोपरांत निम्नवत स्टीयरिंग कमेटी को सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया–

स्टेयरिंग कमेटी–

1.	मुख्य सचिव –	अध्यक्ष
2.	कुलपति, उ0प्र0 प्राविधिक वि0वि0–	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	औद्योगिक विकास आयुक्त या उनके प्रतिनिधि–	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त–	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, नियोजन –	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण–	सदस्य

7. प्रमुख सचिव, आवास — सदस्य
8. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री— सदस्य
9. निदेशक,आई0आई0टी0, कानपुर— सदस्य
10. अध्यक्ष, प्रोजेक्ट एक्सीक्यूशन कमेटी— सदस्य
11. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा— सदस्य सचिव

(बी) संस्था के निर्माण आदि के लिए उपरोक्त स्टीयरिंग कमेटी के सहायतार्थ निम्न प्रोजेक्ट एक्सीक्यूशन यूनिट के सृजन का भी निर्णय लिया गया—

प्रोजेक्ट एक्सीक्यूशन यूनिट—

1. राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी—**प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर (प्रतिनियुक्ति पर)**
2. यू0पी0आर0एन0एन0. या पी0डब्ल्यू0डी0 के अधीक्षण अभियंता स्तर का अधिकारी— **प्रोजेक्ट इंजीनियर (प्रतिनियुक्ति पर)**
3. यू0 पी0 आर0 एन0 एन0 या पी0 डब्ल्यू0 डी0 के वरिष्ठ आर्कीटैक्ट— **प्रोजेक्ट आर्कीटैक्ट (प्रतिनियुक्ति पर)**
4. प्रादेशिक वित्तीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी—**प्रोजेक्ट लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)**
5. प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी— **अतिरिक्त प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर**

4. संस्थानों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता—

(ए) लखनऊ में प्रस्तावित मा0 काशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी हेतु लगभग 150 एकड़ भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और इसके साथ लगभग 50 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट की उपलब्ध करायी जायेगी जिसे संस्थान द्वारा प्राधिकरण के नियमों व मास्टर प्लान के प्राविधानों के अंतर्गत मेन्टेन किया जायेगा। भूमि के मूल्य हेतु अलग से निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही— उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(बी) I.I.Sc. बंगलौर के पैटर्न पर ग्रेटर नोयडा में प्रस्तावित संस्थान हेतु 200 एकड़ क्षेत्रफल की भूमि ग्रेटर नोयडा अथार्टी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और इसी सम्बंध में भूमि की दरों का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

(कार्यवाही— अध्यक्ष, ग्रेटर नोयडा अथारिटी)

5. संस्थानों के निर्माण के सम्बंध में—

(ए) विस्तृत विचार—विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि दोनों संस्थानों का निर्माण यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा कराया जायेगा। दोनों संस्थानों के निर्माण हेतु

यू0पी0आर0एन0एन0 दो पृथक–पृथक डेडीकेटेड यूनिट्स का सृजन करेगी एवं इन यूनिट्स में लिये जाने वाले अधिकारियों/अभियंताओं के विवरण प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा को इस सम्बंध में निर्णय लेने हेतु उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही–प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 आर0 एन0 एन0 एवं प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग)

3. यह निर्णय लिया गया कि अगले 10–15 दिनों में I.I.Ts एवं I.I.Sc. जैसे ख्याति प्राप्त संस्थानों के सेवानिवृत्त निदेशकों आदि में से एक सूची तैयार कर ली जाये जिसमें से प्रस्तावित दोनों संस्थानों की स्थापना हेतु पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार किया जा सके।

(कार्यवाही– प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं कुलपति, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ)

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक आई0इ0टी0 स्तर की व एक आई0आई0एसी0 बंगलौर के स्तर की संस्था की स्थापना करने के सम्बंध में दिनॉक 15.10.2007 को प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्री शैलेश कृष्ण) की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

1. श्री शैलेश कृष्ण, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. श्री प्रेमव्रत, कुलपति, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. श्री शंकर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
4. श्री हर भजन सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. श्री अरविन्द नारायण मिश्र, विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
6. श्री आर0एन0 सिंह, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
7. श्री सी0पी0 सिंह, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8. श्री भूपेन्द्र सिंह, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
9. श्री बी0पी0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, नियोजन।

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-3453/सोलह-1-2007-1(8)/2007
लखनऊः दिनांक : 18 अक्टूबर, 2007

उपरोक्त कार्यवृत्त की प्रति बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगणों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनुसचिव


प्रस्तावित
स्थल
R/W 150.0M

विषयः हरदोई रोड योजना के सेक्टर-ए में लखनऊ महायोजना-2021 मे ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्याः

लखनऊ महायोजना-2021 मे हरदोई रोड योजना में स्थित मछली मण्डी के समीप हरदोई रोड एवं 30 मीटर चौड़ी महायोजना मार्ग से संलग्न भूमि ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी है। प्रश्नगत स्थल को महायोजना के पार्ट तलपट मानचित्र तथा योजना के जोनल प्लान में प्रदर्शित किया गया है जोकि अनुलग्नक-1 पर संलग्न है। इस स्थल के अग्र भाग में प्राधिकरण द्वारा बस टर्मिलन का विकास करा दिया गया है। बस टर्मिलन के पीछे लगभग 09 एकड़ भूमि जो कि प्राधिकरण की योजना में है, वर्तमान में रिक्त है। इस भूमि का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' है। भविष्य में स्थल पर निर्मित बस अड्डे के विस्तार का कोई प्रस्ताव नही है। प्राधिकरण द्वारा इस स्थल पर वर्तमान में ''मान्यवर कांशीराम जी आवासीय योजना'' के अन्तर्गत दो कमरे के चार मंजिले भवन बनाये जाने प्रस्तावित है, अतः प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग को 'आवासीय' मे परिवर्तित किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावः

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि हरदोई रोड योजना के सेक्टर-ए में वर्तमान में निर्मित बस अड्डे के पीछे लगभग 09 एकड़ भूमि पर ''मान्यवर कांशीराम जी आवासीय योजना'' के विकास हेतु उक्त का भू-उपयोग ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' से ''आवासीय'' में परिवर्तित करने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव शासन को अग्रसारित किया जाये। तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(जी0 एस0 रावत)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ


अनुलग्नक - 1
प्रस्तावित स्थल
R/W 150.0M
R/W 60.0M
R/W 30.0M
R/W 150.0M
E.P.

REVISED LANDUSE PLAN
HARDOI ROAD SCHEME
LUCKNOW.

NOTE :-

1. This revised land use plan is approved in authority board meeting dated 22-1-2000 ajenda item no. 4 and is subject to approval of govt..
2. In sector-C 50.00 ac. land is alloted to Mandi Parishad as decided at higher level.
3. Land mentioned in serial no.-2 is earmarked in this plan as per the survey/site verification report of E.E.Zone-7 dated 23-8-2000 on file no 107/E.E.Zone-7/2000. 4.5mt.&9.0mt. wide roads for abadi have been provided as informed by E.E.-7 vide letter no.134/A AZone-7/2000-01dated 12-9-2000.
4. The land use of the land earmarked for mandi parishad in present Lucknow master plan [revised]-2001 is residential [R-2] As per board meeting dated 22-1-2000 item no.-4. the landuse for the said land is to be changed into commercial and park/open space [under high tension line] as shown in this map for which proposal is to be sent to govt. after getting the details of khasra/khasra area from SE-Land Acqusition.

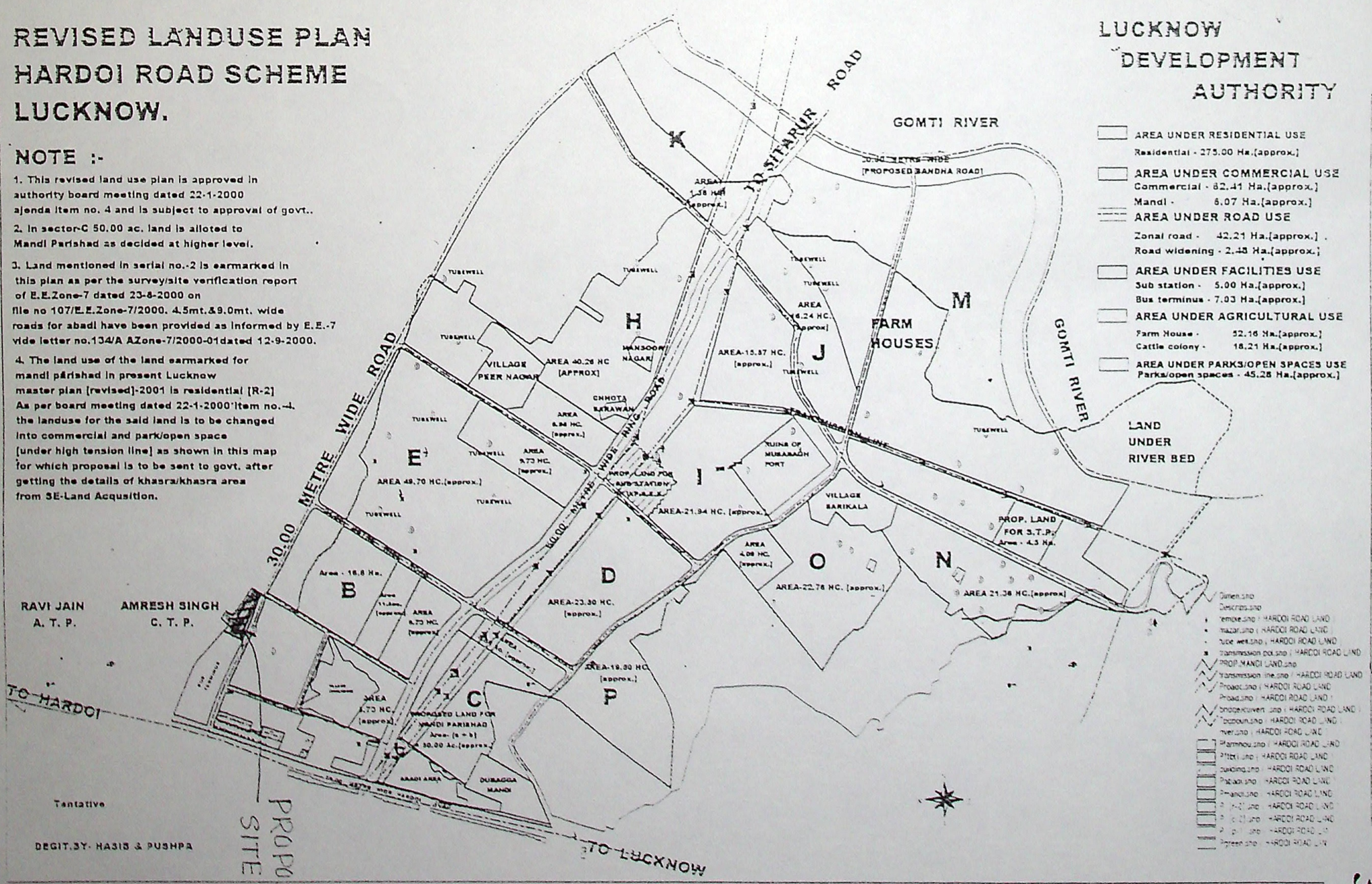

31

विषय संख्याः 06

विषयः संपत्ति की धनराशि समय से जमा न करने के फलस्वरूप लगने वाले दंड ब्याज को रू025,000.00 माफ किये जाने वाले प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित संपत्ति की धनराशि आवंटियो द्वारा समय पर जमा न करने पर आरोपित दंड ब्याज को माफ किये जाने हेतु आवंटियो द्वारा प्रार्थना की जाती है। जिस हेतु प्राधिकरण बोर्ड की पूर्व बैठक दि017.5.03 में निर्णय लिया गया था कि दंड ब्याज की 50प्रतिशत धनराशि अथवा रू025,000.00 दोनो में से जो कम हो, को माफ करने का उपाध्यक्ष को अधिकार होगा । यह अनुभव हुआ है कि इस सुविधा को प्रदान करने के कारण सक्षम आवंटियो द्वारा वांछित धनराशि समय से जमा नहीं की जाती। समय पर धनराशि जमा न होने से प्राधिकरण को वित्तीय हानि होती है। प्राधिकरण की धनराशि समय से जमा न करने की प्रवृति को प्रोत्साहन मिलता है। इस सुविधा को बनाये रखने में न तो प्राधिकरण को कोई लाभ है और न ही कोई नियम का पालन करने वाले जिम्मेदार आवंटियो को लाभ है। इस सुविधा से बकाये दारो की संख्या बढती जा रही है। अतः इस सुविधा का दुरूपयोग रोकने और प्राधिकरण को होने वाली हानि से बचाने के लिये उचित होगा कि दंड ब्याज माफ करने की सुविधा समाप्त कर दी जायँ।

अस्तु, यह प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

17.4.08
(आर. के. अग्रवाल)
SR. A. C. A

17.4.08
(अनिमेष कुँवर)
अति० सहायक कामर्स एकाउन्टेन्ट

17/4/08
वित्त नियन्त्रक
विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विषयः- लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुयी पश्चिम दिशा मे पार्किगं हेतु भूमि अधिग्रहण का पार्किगं स्थल के रूप मे विकसित किये जाने हेतु भूमि अर्जन की योजना।

राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश संख्या-50/32-यो0को0-2008 दिनांक 28.02.08 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री भवन के सामने स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुयी पश्चिम दिशा की भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किगं हेतु अधिग्रहण किया जाये और उस पर पार्किगं स्थल का विकास किया जाये तथा उसका संचालन एवं अनुरक्षण भी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाये। भूमि अधिग्रहण व पार्किगं स्थल को विकसित करने पर होने वाले व्यय हेतु वित्तीय संसाधंन राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा(प/क)।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र मे पार्किगं के निर्माण मे मोहल्ला कन्धारी बाजार की कुल 1.555 हे0 भूमि सम्मिलित है जिसमे से 1.082 एकड अर्थात 0.439 हे0 भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1982 मे यातायात के निर्बाध संचालन और जनता की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु सरोजनी नायडू मार्ग को चौडा करने के लिये किया गया था जिसकी विज्ञप्तिया भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 के अर्न्तगत शासन द्वारा दिनांक 15.06.1982 को प्रकाशित की गयी थी। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि का अभिनिर्णय भी दिनांक 18.04.84, 31.03.86 व 23.09.86 को घोषित किया गया था तथा अर्जित की जाने वाली भूमि मे खसरा सख्या-509 पी मे से 14464 वर्गफिट भूमि का कब्जा दिनांक 31.07.82 को 1536 वर्गफिट भूमि का कब्जा दिनांक 23.08.84 को प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार कुल 16000 वर्ग फिट अर्थात 0.149 हे0 भूमि का कब्जा लिया जा चुका है। अवशेष भूमि का कब्जा मा0 उच्च न्यायालय मे विभिन्न व्यक्तियो द्वारा दायर रिट याचिकाओ के कम मे अभी तक प्राधिकरण को प्राप्त नही हुआ है। इस प्रकार प्रस्तावित पार्किगं की योजना हेतु कुल 1.555 हे0 भूमि मे से 0.439 हे0 भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1982 मे किया जा चुका है, अवशेष 1.116 हे0 भूमि के अधिग्रहण के उददेश्य से धारा-4/17 की अधिसूचना प्रकाशित करने की कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्तावः-</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत मोहल्ला कन्धारी बाजार तहसील, परगना व जिला लखनऊ की लगभग 1.116 हे0 भूमि जिसे सलंग्न सजरा प्लान मे हरे रगं से दर्शाया गया है को अधिग्रहीत करने हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 की विज्ञप्ति प्रकाशित कराने के लिये अर्जन प्रस्ताव तैयार कराने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

kandhari

(एस0 बी0 मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू0/वि0)

संख्या: 57/32-यो0को0-2008

प्रेषक,

सचिव
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

राज्य सम्पत्ति विभाग(यो0को0) लखनऊः दिनांकः 10 जनवरी, 2008

विषयः लाल बहादुरशास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण कर पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री भवन के सामने स्थित सरोजनी नायडू मार्ग से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करने एवं पार्किंग स्थल के निर्माण के उपरान्त इसका संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। भूमि अधिग्रहण एवं पार्किंग स्थल को विकसित करने पर होने वाले व्यय हेतु वित्तीय संसाधन राज्य सम्पत्ति विभाग के द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाएंगे। कृपया इस सम्बन्ध में यथाआवश्यक कार्यवाही तत्काल सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव।

संख्या: यशो0क0/तद्दिनांक/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वर्ष 1984-86 में लाल बहादुर शास्त्री भवन के सामने स्थित स्थल पर भूमि अभिग्रहण कार्यवाही एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश आदि का संपरीक्षित विवरण लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रभात मित्तल)
विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

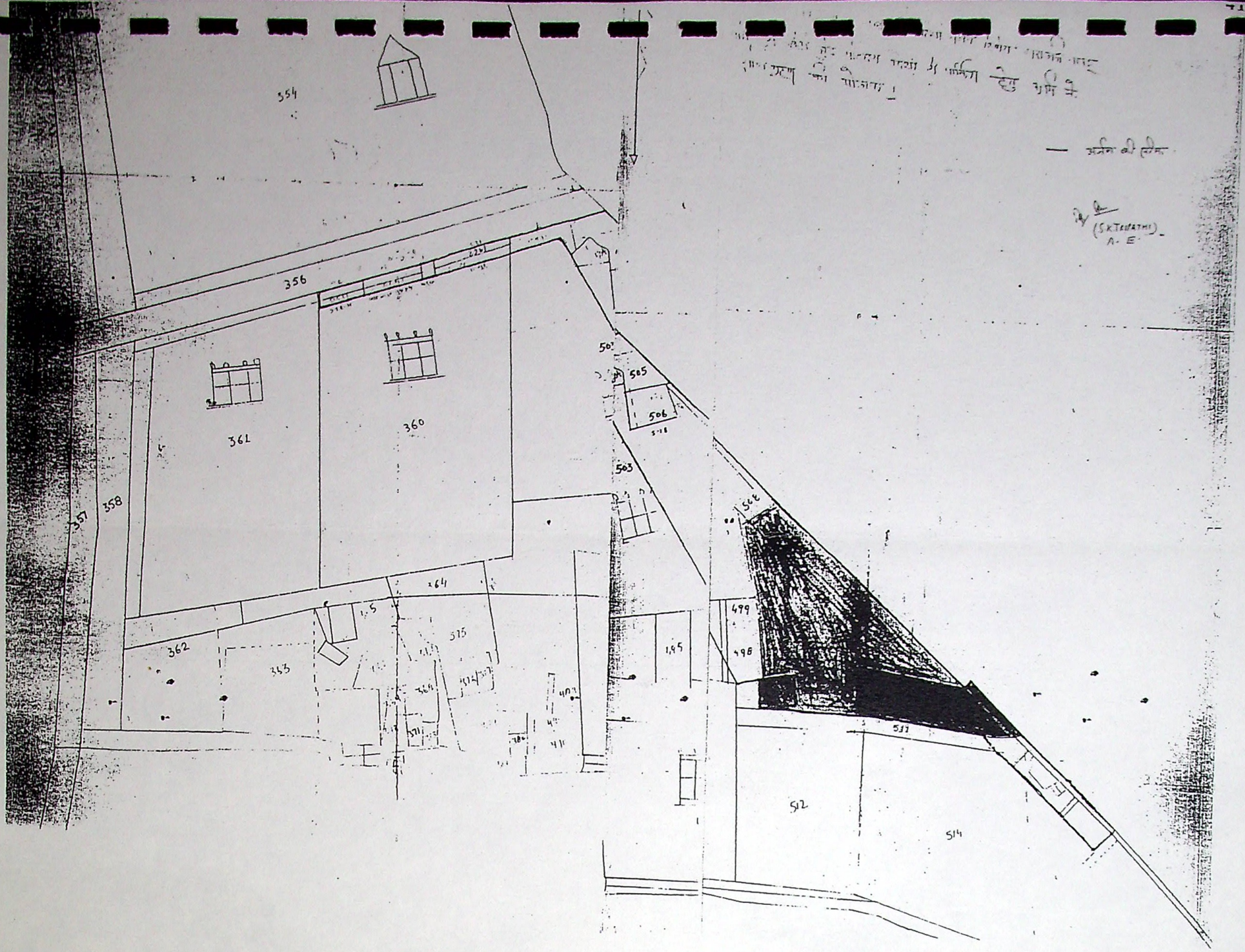
354
356
361
360
358
357
362
363
364
375
505
506
503
499
498
512
514
(S.K.TRIPATHI)
A. E.

विषय संख्याः 08

विषयः- सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अर्न्तगत ग्राम सेमरागौढ़ी ,मोहिबुल्लापुर ,खलीलाबाद, बटहासबौली, सिकन्दरपुर इनायतअली व आकिलपुर के अर्जित भूमि का समझोते के आधार पर प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध मे।।

सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अर्न्तगत आपसी समझौते के आधार पर राजस्व ग्राम सेमरागौढ़ी में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णीत दर रू0 0.28 पै0 प्रतिवर्गफुट के स्थान पर रू0 1.83 पै0 प्रतिवर्गफुट की दर से व मोहिबुल्लापुर ,खलीलाबाद, बटहासबौली, सिकन्दरपुर इनायतअली व आकिलपुर में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णीत प्रतिकर दर रू0 1.22 पै0 के स्थान पर रू0 2.77 पै0 प्रतिवर्गफुट की दर से समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान नियमानुसार किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23.02.07 में विषय सं0 11 पर प्रस्तुत हुआ था, जिसमें निम्न निर्णय पारित हुआः-

> " विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव पर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि किसानों को भुगतान की जाने वाली धनराशि में दि0 31.03.07 तक ब्याज सम्मिलित किया जाये एंव इस धनराशि का भुगतान हितबद्ध व्यक्तियो को दि0 30 सितम्बर 2007 तक सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि ब्याज की अतिरिक्त देयता पर विराम लग सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि चुनाव आयोग के अनुमति के उपरांत ही लिये गये निर्णय का कियांन्वयन सुनिश्चित किया जाये।"

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में लगभग धनराशि रू0 20.00 करोड़ का समझौता पत्र अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 के कार्यालय से निर्धारित तिथि 30.09.07 के पूर्व प्राप्त हुये थे जिसमें प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में कार्यवाही की जा चुकी है। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम मे निर्धारित तिथि के पश्चात भी अपर जिलाधिकारी -भू0अ0 के कार्यालय से समझौता पत्र प्राप्त हो रहें है। परन्तु समझौते हेतु निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने के कारण समझौता पत्रो पर भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है तथा आये दिन काश्तकारों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जा रहे है।

प्रस्तावः- लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक दि0 23.02.07 में विषय सं0 11 पर प्रस्तुत प्रस्ताव में पारित निर्णय के क्रम मे हितबद्ध काश्तकारों को समझौते से प्रतिकर भुगतान किये जाने हेतु नियत तिथि 30.09.07 को एक वर्ष और अर्थात दिनांक 30.09.08 किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषयः उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी) के अन्तर्गत विभिन्न विकासकर्ताओं के पंजीकरण तथा उन्हें निर्गत किये गये लाइसेन्स के सम्बन्ध में प्राधिकरण की दिनॉक 01.03.2008 की बैठक में विषय संख्या–10 पर पारित निर्णय के क्रम में कुल 06 विकासकर्ताओं के पंजीकरण एवं उनके लाइसेन्स प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 5873/आठ–1–05–34 विविध/03टीसी–1 दिनांक 12 जनवरी, 2008 के द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनॉक 06.05.2008 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार।

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीस योजना के लिए भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास की नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी) के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2006 में विभिन्न विकासकर्ताओं को ए, बी व सी श्रेणी में पंजीकृत किया गया था। पंजीकरण के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 6 विकासकर्ताओं को लाइसेन्स स्वीकृत किया गया था। पंजीकरण व लाइसेन्स स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में विषय संख्या–10 पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न निर्णय लिया गया हैः–

"सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पंजीकरण हेतु निर्धारित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति पंजीकरण की तिथि तक प्रस्तुत प्रस्ताव में अपरिहार्य रूप से की गई हो, यदि विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम द्वारा पंजीकरण की शर्त पूरी नहीं की गई हो तो उस स्थिति में पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाये, इसी प्रकार यदि प्राविधानित सक्षम व्यवस्था के विपरीत जाकर कार्यवाही की गई है उस स्थिति में भी पंजीकरण निरस्त कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त लाइसेन्स निर्गत करते समय यदि प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र द्वारा लाइसेंस निर्गत करते समय यदि प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र द्वारा लाइसेंस की किसी निर्धारित शर्त का लाइसेंस निर्गत होने की तिथि तक अनुपालन नही किया गया है, उस लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया जाये तथा यदि

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

किसी प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रिया से हटकर किसी ऐसे स्तर से स्वीकृत किया गया हो, जो शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप नही है, ऐसे लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया जाये।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति गुण–दोष के आधार पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण सुनिश्चित करते हुए आख्या/संस्तुति सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करेगी।''

2. उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित 6 विकासकर्ताओं, जिन्हें वर्ष 2006 में लाइसेन्स स्वीकृत किया गया था, के पंजीकरण एवं उनके लाइसेन्स प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है:–

1. ईमार एम.जी.एफ. लैण्ड प्रा.लि.
2. मेसर्स ओमेक्स लि.
3. मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा.लि.
4. मेसर्स ए.एन.एस. कान्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि.
5. मेसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि.
6. मेसर्स के.एस.एम. वसीर मो. एण्ड सन्स

3. परीक्षण टिप्पणी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 5873/आठ–1–05–34 विविध/03टीसी–1 दिनांक 12 जनवरी, 2008 के द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनॉक 06.05.2008 की बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा दिनॉक 06.05.2008 को सम्पन्न बैठक में इन 6 विकासकर्ताओं के पंजीकरण एवं लाइसेन्स प्रस्ताव पर विचार किया गया है। समिति की बैठक का कार्यवृत्त **संलग्न** किया, जा रहा है।

<u>प्रस्ताव</u>

प्राधिकरण की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठकं में उपरोक्त विषय पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में उपरोक्त प्रस्तर–2 में अंकित कुल 6 विकासकर्ताओं के पंजीकरण एवं लाइसेन्स प्रस्तावों पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनॉक 06.05.2008 की बैठंक का कार्यवृत्त एवं समिति की संस्तुतियॉ प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(एस० बी० सिंह)
संयुक्त निदेशक (मु०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास की नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी) विषयक उ.प्र. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 5873/आठ–1–05–34 विविध/03टीसी–1 दिनांक 12 जनवरी, 2006 के द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनॉक 06.05.2008 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1. श्री एन.आर. वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।
2. श्री महेन्द्र प्रसाद, वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्री जी.एस. गोयल, मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा.।
4. श्री वी.के. सोनकर, अधीक्षण अभियन्ता, ल.वि.प्रा.।

अन्य उपस्थितिः

1. श्री एस.बी. मिश्र, संयुक्त निदेशक(भूमि एवं विकास), ल.वि.प्रा.।
2. श्री डी.एस. चौधरी, अधिशासी अभियन्ता(हाईटेक एण्ड इन्टी. सेल)।
3. श्री मनोज उपाध्याय, सहायक अभियन्ता(हाईटेक एण्ड इन्टी. सेल)।

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास की नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी) के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2006 में विभिन्न विकासकर्ताओं को ए, बी व सी श्रेणी में पंजीकृत किया गया था। पंजीकरण के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 6 विकासकर्ताओं को लाइसेन्स स्वीकृत किया गया था। पंजीकरण व लाइसेन्स स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में विषय संख्या–10 पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न निर्णय लिया गया हैः–

"सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पंजीकरण हेतु निर्धारित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति पंजीकरण की तिथि तक प्रस्तुत प्रस्ताव में अपरिहार्य रूप से की गई हो, यदि

विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम द्वारा पंजीकरण की शर्त पूरी नहीं की गई हो तो उस स्थिति में पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाये, इसी प्रकार यदि प्राविधानित सक्षम व्यवस्था के विपरीत जाकर कार्यवाही की गई है उस स्थिति में भी पंजीकरण निरस्त कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त लाइसेन्स निर्गत करते समय यदि प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र द्वारा लाइसेंस निर्गत करते समय यदि प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र द्वारा लाइसेंस की किसी निर्धारित शर्त का लाइसेंस निर्गत होने की तिथि तक अनुपालन नही किया गया है, उस लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया जाये तथा यदि किसी प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रिया से हटकर किसी ऐसे स्तर से स्वीकृत किया गया हो, जो शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप नही है, ऐसे लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया जाये।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति गुण–दोष के आधार पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण सुनिश्चित करते हुए आख्या/संस्तुति सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करेगी।''

2. उपरोक्त निर्णय के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण की हाईटेक एवं इन्टीग्रेटेड सेल द्वारा कुल 06 विकासकर्ताओं, जिन्हें वर्ष 2006 में लाइसेन्स स्वीकृत किया गया था, के पंजीकरण एवं उनके लाइसेन्स प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किए गये प्रमाण–पत्र, अभिलेखों आदि का परीक्षण किया गया है। परीक्षण टिप्पणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई। परीक्षण टिप्पणी की प्रति कार्यवृत्त के साथ <u>संलग्न</u> है।

3. समिति द्वारा परीक्षण टिप्पणी एवं प्राधिकरण की पत्रावलियों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रकरण में विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. <u>ईमार एम.जी.एफ. लैण्ड प्रा.लि.</u>

पंजीकरण

विकासकर्ता के पंजीकरण आवेदन/प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वप्रथम दिनॉक 02.05.2006 की बैठक में विचार किया गया था, जिसमें कतिपय अभिलेख, प्रमाण–पत्र एवं सूचनाएं उपलब्ध न होने के कारण विलम्बतम एक सप्ताह में वॉछित अभिलेख, सूचनाएं व प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने एवं प्रकरण समिति की आगामी बैठक में निस्तारण हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु समिति के समक्ष पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के स्थान पर तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से दिनॉक 15.05.2006 को अनुमोदन प्राप्त करके पंजीकरण का

प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया। विकासकर्ता के मूल पंजीकरण प्रस्ताव में कान्सार्शियम में 03 सदस्य कम्पनियॉ थी, जबकि बाद में 16 कम्पनियों को कान्सार्शियम के सम्मिलित करते हुए लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा दिनांक 14.08.06 को बैठक में विचार किया गया था एवं दिनांक 15.05.06 को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करके कान्सार्शियम का नया पंजीकरण जारी करने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार समिति की संस्तुति के क्रम में दिनॉक 17.08.2006 को पुनः संशोधित पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में ईमार एम.जी.एफ. लैण्ड प्रा.लि. द्वारा ए श्रेणी में पंजीकरण हेतु वर्ष 2006 में प्रस्तुत किये गये आवेदन/प्रस्ताव एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई परीक्षण टिप्पणी पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. जैसा कि संलग्न परीक्षण टिप्पणी में अंकित है, विकासकर्ता कम्पनी कन्सोर्सियम, टर्नओवर, नेटवर्थ, रियल इस्टेट में अनुभव, तकनीकी स्टाफ तथा निर्माण मशीनरी एवं टी. एण्ड पी उपलब्ध होने से सम्बन्धित निर्धारित शर्तो की पूर्ति करती है। पंजीकरण शुल्क के रूप में रु0 5.00 लाख की धनराशि जमा की गई है।
2. लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स के पंजीकरण के सम्बन्ध में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान समय तक उनके द्वारा प्रदेश में कोई कार्य नहीं किया गयॉ है, अतः वे अभी तक लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स में पंजीकृत नहीं हैं। उनके द्वारा यह वचनबद्धता दी गई है कि परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स हेतु पंजीकरण करा लिया जायेगा।
3. पंजीकरण की नियमों एवं शर्तो से सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा निर्गत पुस्तिका में यह शर्त है कि विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स हेतु पंजीकरण कराया जायेगा। लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स के सम्बन्ध में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा यह वचनबद्धता दी गई है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उनके द्वारा पंजीकरण करा लिया जायेगा।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत समिति का मत है कि विकासकर्ता द्वारा ए–श्रेणी में पंजीकृत करने हेतु जो आवेदन/प्रस्ताव वर्ष 2006 में

दिया गया था, वह शासनादेश में निर्धारित मापदण्डों एवं अर्हता के अनुसार है एवं फलस्वरूप स्वीकार किये जाने योग्य है।

लाइसेन्स

विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा दिनॉक 03.08.2006 एवं दिनॉक 14.08.2006 की बैठकों में विचार किया गया था। दिनॉक 14.08.2006 की बैठक में समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लाइसेन्स जारी करने हेतु संस्तुति की गई थी। समिति की संस्तुति के क्रम में विकासकर्ता को लाइसेन्स प्रमाण–पत्र प्राधिकरण (बोर्ड) के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाना चाहिए था, जबकि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके लाइसेन्स प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2006 में कुल 399.50 एकड़ भूमि हेतु प्रस्तुत किये गये लाइसेन्स प्रस्ताव पर उपलब्ध करायी गई परीक्षण टिप्पणी पर समिति द्वारा विचार किया गया। संयुक्त निदेशक(भू वं वि.) जो कि लखनऊ विकास प्रधिकरण में भूमि अर्जन से सम्बन्धित कार्यो हेतु प्रभारी अधिकारी हैं, द्वारा समिति को बताया गया कि विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये भूमि के अभिलेखों का परीक्षण प्राधिकरण के अर्जन विभाग द्वारा कर लिया गया है एवं विकासकर्ता के स्वामित्व में रजिस्टर्ड बैनामे के माध्यम से 100.77 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इस प्रकार रजिस्टर्ड बैनामें के माध्यम से विकासकर्ता के स्वामित्व में 25.22 प्रतिशत भूमि उपलब्ध है।

2. विकासकर्ता द्वारा लाइसेन्स का जो प्रस्ताव वर्ष 2006 में प्रस्तुत किया गया था, उसमें लाइसेन्स क्षेत्र की सीमा के अन्दर लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर विस्तार योजना के ग्राम–अरदौनामऊ व अहमामऊ की 56.592 एकड़ अधिग्रहीत भूमि भी सम्मिलित क़र ली गई थी। शासनादेश के अनुसार इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं में प्राधिकरण की अधिग्रहीत भूमि दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः इस कारण से विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं प्रदान किया जा सकता है एवं पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 17.08.2006 को लाइसेन्स स्वीकृत करने का जो प्रमाण–पत्र विकासकर्ता को निर्गत किया गया था, उसको निरस्त किया जाना चाहिए।

3. समिति का मत है कि चूँकि विकासकर्ता द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की 56.593 एकड़ अधिग्रहीत भूमि लाइसेन्स प्रस्ताव में सम्मिलित कर ली गई है, अतः इनका लाइसेन्स प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है।

4. विकासकर्ता द्वारा दिनॉक 24.04.2008 को लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक संशोधित लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रकरण पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव पर परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का मत व्यक्त किया गया।

2. <u>मेसर्स ओमेक्स लि.</u>

पंजीकरण

विकासकर्ता के पंजीकरण आवेदन/प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वप्रथम दिनॉक 02.05.2006 की बैठक में विचार किया गया था, जिसमें कतिपय अभिलेख, प्रमाण–पत्र एवं सूचनाएं उपलब्ध न होने के कारण विलम्बतम एक सप्ताह में वॉछित अभिलेख, सूचनाएं व प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने एवं प्रकरण समिति की आगामी बैठक में निस्तारण हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु समिति के समक्ष पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के स्थान पर तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से दिनॉक 15.05.2006 को अनुमोदन प्राप्त करके पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया। विकासकर्ता का मूल पंजीकरण प्रस्ताव एकल कम्पनी 'ओमेक्स कान्सन्ट्रक्शन लि.' की ओर से प्रस्तुत किया गया था। बाद में विकासकर्ता द्वारा एक कान्सॉर्शियम की ओर से लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लाइसेन्स प्रस्ताव जिस कान्सॉर्शियम की ओर से प्रस्तुत किया गया था उसमें 11 सदस्य एक कम्पनी के रूप में एवं 2 सदस्य 'एकल व्यक्ति' के रूप में थे। दिनॉक 14.08.2006 को लाइसेन्स प्रस्ताव पर विचार करने हेतु आयोजित बैठक में समिति द्वारा पुराना पंजीकरण निरस्त करते हुए कान्सॉर्शियम का नया पंजीकरण जारी करने का निर्णय लिया गया एवं तदानुसार दिनॉक 17.08.2006 को पुनः संशोधित पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में ओमेक्स लि. द्वारा ए श्रेणी में पंजीकरण हेतु वर्ष 2006 में प्रस्तुत किये गये आवेदन/प्रस्ताव एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई परीक्षण टिप्पणी पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. जैसा कि संलग्न परीक्षण टिप्पणी में अंकित है, विकासकर्ता कम्पनी टर्नओवर, नेटवर्थ, रियल स्टेट में अनुभव, तकनीकी स्टाफ की निर्धारित शर्तो की पूर्ति करती है। पंजीकरण शुल्क के रूप में रु0 5.00 लाख की धनराशि जमा की गई है।
2. लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स के पंजीकरण के सम्बन्ध में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विकासकर्ता कम्पनी द्वारा निर्माण मशीनरी के सम्बन्ध में विवरण संलग्न किया गया है।
4. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए निर्गत की गई विवरण पुस्तिका में 'कंसोर्सियम' को 'एशोसिएसन आफ कम्पनीज' के रूप में परिभाषित किया गया है। मेसर्स ओमेक्स लि. द्वारा प्रस्तुत कंसोर्सियम के अनुबन्ध के अनुसार कुल 13 कंसोर्सियम सदस्यों में से 2 सदस्य क्रमशः श्री यशपाल एवं श्री भरतलाल 'एकल व्यक्ति' हैं। अतः विकासकर्ता का 'कंसोर्सियम' पंजीकरण पुस्तिका में परिभाषित 'कंसोर्सियम' की शर्त पूर्ण नहीं करता है।
5. उपरोक्त के दृष्टिगत समिति विकासकर्ता कम्पनी का ए–श्रेणी में पूर्व में किया गया पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति करती है।

लाइसेन्स

विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा दिनॉक 03.08.2006 एवं दिनॉक 14.08.2006 की बैठकों में विचार किया गया था। विकासकर्ता कम्पनी के प्रस्तावित कन्सॉर्सियम में 11 सहभागी कम्पनियों के साथ अनुसूचित जाति के दो व्यक्ति सम्मिलित किये जाने एवं इनकी भूमि निहित होने के कारण दिनॉक 14.08.2006 की बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, जो कि समिति के सदस्य हैं, द्वारा अनुसूचित जाति के भूस्वामियों की भूमि संनिहित होने पर विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत कंन्सॉर्सियम के एम.ओ.यू./अनुबन्ध का परीक्षण शासन के न्याय विभाग से कराने का मत व्यक्त किया गया था, परन्तु समति के अन्य सदस्यों द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के इस मत से असहमति व्यक्त करते हुए प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त करके लाइसेन्स जारी करने की संस्तुति की गई। समिति की संस्तुति के क्रम में विकासकर्ता को लाइसेन्स प्रमाण–पत्र प्राधिकरण (बोर्ड) के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जानां चाहिए था, जबकि उपाध्यक्षं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके लाइसेन्स प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2006 में 160 एकड़ भूमि पर लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में समिति को संयुक्त निदेशक (भू. एवं वि.), लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के अर्जन विभाग द्वारा किये गये परीक्षण के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी के पास 44.15 एकड़ भूमि का स्वामित्व रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में है। इस प्रकार विकासकर्ता के स्वामित्व में रजिस्टर्ड सेलडीड के माध्यम से 27.59 प्रतिशत भूमि उपलब्ध है।
2. लाइसेन्स प्रस्ताव में लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर विस्तार योजना के ग्राम अरदौनामऊ की 13.30 एकड़ अधिग्रहीत भूमि सम्मिलित की गई है। सुसंगत शासनादेशों के क्रम में विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अधिग्रहीत भूमि सम्मिलित नहीं की जा सकती है।
3. अतः समिति का मत है कि चूँकि विकासकर्ता का पंजीकरण नियमानुसार नहीं पाया गया है अतः पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 17.08.2006 को लाइसेन्स स्वीकृत करने का जो प्रमाण–पत्र विकासकर्ता को निर्गत किया गया था, उसको निरस्त किया जाना चाहिए।
4. विकासकर्ता द्वारा दिनॉक 24.04.2008 को लखनऊ विकास प्राधिकरण में संशोधित लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रकरण पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव पर परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का मत व्यक्त किया गया।

3. <u>मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा.लि.</u>

पंजीकरण

विकासकर्ता के पंजीकरण आवेदन/प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वप्रथम दिनॉक 02.05.2006 की बैठक में विचार किया गया था, जिसमें कतिपय अभिलेख, प्रमाण–पत्र एवं सूचनाएं उपलब्ध न होने के कारण विलम्बतम एक सप्ताह में वॉछित अभिलेख, सूचनाएं व प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने एवं प्रकरण समिति की आगामी बैठक में निस्तारण हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु समिति के समक्ष पुनः

प्रकरण प्रस्तुत करने के स्थान पर तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से दिनॉक 15.05.2006 को अनुमोदन प्राप्त करके पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया। विकासकर्ता द्वारा मूल रूप से एल्डिकों हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. के नाम से पंजीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था एवं तदानुसार दिनांक 15.05.2006 को इन्हें 'ए' श्रेणी में पंजीकृत किया गया था। बाद में विकासकर्ता द्वारा 4 कम्पनियों के कान्सार्शियम की ओर से लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें 'लीड मेम्बर' को बदलने का प्रस्ताव था। दिनॉक 15.11.2006 को लाइसेन्स प्रस्ताव पर विचार करने हेतु आयोजित बैठक में समिति द्वारा विकासकर्ता के पक्ष में जारी पुराना पंजीकरण निरस्त करते हुए नया पंजीकरण जारी किया जाए एवं तदानुसार दिनॉक 18.11.2006 को पुनः संशोधित पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में एल्डिको सिटी प्रा.लि. द्वारा द्वारा ए श्रेणी में पंजीकरण हेतु वर्ष 2006 में प्रस्तुत किये गये आवेदन/प्रस्ताव एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई परीक्षण टिप्पणी पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. जैसा कि संलग्न परीक्षण टिप्पणी में अंकित है, विकासकर्ता कम्पनी कन्सोर्सियम, टर्नओवर, नेटवर्थ, रियल स्टेट में अनुभव, तकनीकी स्टाफ की निर्धारित शर्तो की पूर्ति करती है। पंजीकरण शुल्क के रूप में रु0 5.00 लाख की धनराशि जमा की गई है।
2. लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स के पंजीकरण के सम्बन्ध में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विकासकर्ता के पास निर्माण मशीनरी उपलब्ध होने के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत समिति का मत है कि विकासकर्ता द्वारा ए–श्रेणी में पंजीकृत करने हेतु जो आवेदन/प्रस्ताव वर्ष 2006 में दिया गया था, वह शासनादेश में निर्धारित मापदण्डों एवं अर्हता के अनुसार है एवं फलस्वरूप स्वीकार किये जाने योग्य है।

लाइसेन्स

विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा दिनॉक 15.11.2006 की बैठक में विचार किया गया था, जिसमें समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लाइसेन्स जारी करने हेतु संस्तुति की गई

थी। समिति की संस्तुति के क्रम में विकासकर्ता को लाइसेन्स प्रमाण–पत्र प्राधिकरण (बोर्ड) के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाना चाहिए था, जबकि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके लाइसेन्स जारी कर दिया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2006 में 100 एकड़ भूमि पर लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में समिति को संयुक्त निदेशक(भू. एवं वि.), लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के अर्जन विभाग द्वारा किये गये परीक्षण के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी के पास 24.306 एकड़ भूमि का स्वामित्व रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में है।
2. सुसंगत शासनादेशों के अनुसार इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लाइसेन्स हेतु प्रस्तावित योजना का न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि लाईसेन्स निर्गत करते समय विकासकर्ता के स्वामित्व में रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में होना अनिवार्य है, परन्तु दिनॉक 18.11.2006 को जब लाइसेन्स निर्गत किया गया था, उस समय विकासकर्ता के पास मात्र 24.306 प्रतिशत भूमि रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में पायी गई। इस प्रकार विकासकर्ता इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है।
3. अतः समिति का मत है कि विकासकर्ता के पक्ष में दिनॉक 18.11.2006 को निर्गत किया गया लाइसेन्स प्रमाण–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।
4. विकासकर्ता द्वारा दिनॉक 24.04.2008 को संशोधित लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रकरण पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव पर परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का मत व्यक्त किया गया।

4. <u>मेसर्स ए.एन.एस. कान्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि.</u>

पंजीकरण

विकासकर्ता के पंजीकरण आवेदन/प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वप्रथम दिनॉक 22.05.2006 की बैठक में विचार किया गया था, जिसमें समिति द्वारा कतिपय अभिलेख, प्रमाण–पत्र एवं सूचनाएं उपलब्ध न होने का उल्लेख किया गया था। समिति के समक्ष पंजीकरण का प्रकरण पुनः

प्रकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, परन्तु तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से दिनॉक 24.05.2006 को अनुमोदन प्राप्त करके पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया। पूर्व में विकासकर्ता द्वारा एक कम्पनी के रूप में पंजीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, परन्तु बाद में 13 कम्पनी एवं 07 व्यक्तियों को मिलाकर एक कान्सार्शियम बनाया गया एवं कान्सार्शियम की ओर से लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दिनॉक 22.08.2006 को लाइसेन्स प्रस्ताव पर विचार करने हेतु आयोजित बैठक में समति द्वारा पुराना पंजीकरण निरस्त करते हुए कान्सार्शियम का नया पंजीकरण जारी करने का निर्णय लिया गया एवं तदानुसार दिनॉक 23.08.2006 को पुनः संशोधित पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में ए.एन.एस. कान्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि. द्वारा द्वारा ए श्रेणी में पंज़ीकरण हेतु वर्ष 2006 में प्रस्तुत किये गये आवेदन/प्रस्ताव एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई परीक्षण टिप्पणी पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. जैसा कि संलग्न परीक्षण टिप्पणी में अंकित है, विकासकर्ता कम्पनी टर्नओवर, नेटवर्थ, रियल स्टेट में अनुभव, तकनीकी स्टाफ की निर्धारित शर्तो की पूर्ति करती है। पंजीकरण शुल्क के रूप में रु0 5.00 लाख की धनराशि जमा की गई है।
2. लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स के पंजीकरण के सम्बन्ध में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विकासकर्ता के पास निर्माण मशीनरी उपलब्ध होने के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है।
4. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए निर्गत की गई विवरण पुस्तिका में कंसोर्सियम 'एसोसिएशन आफ कम्पनीज' के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि मेसर्स ए. एन.एस. कान्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत कंसोर्सियम के अनुबन्ध के अनुसार कुल 20 कंसोर्सियम सदस्यों में से 7 सदस्य पंजीकृत कम्पनी न होकर एकल व्यक्ति हैं। अतः विकासकर्ता का कंसोर्सियम, पंजीकरण पुस्तिका में 'कंसार्सियम' की दी गई परिभाषा के अनुरूप नहीं होने के कारण 'कंसोर्सियम' की शर्त पूर्ण नहीं करते हैं।
5. उपरोक्त के दृष्टिगत समिति विकासकर्ता कम्पनी का ए–श्रेणी में पूर्व में किया गया पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति करती है।

लाइसेन्स

विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा दिनॉक 14.08.2006 की बैठक में विचार किया गया था। विकासकर्ता की न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि न होने के कारण पुनः आवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। विकासकर्ता के पुनः आवेदन पर दिनॉक 22.08.2006 को समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। विकासकर्ता द्वारा 13 सहभागी कम्पनियों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति के 7 भूस्वामियों के साथ प्रथक कन्सॉर्सियम बनाकर पंजीकृत अनुबन्ध करने के दृष्टिगत दिनॉक 22.08.2006 की बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, जो कि समिति के सदस्य हैं, द्वारा विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत कंन्सॉर्सियम के एम. ओ.यू./अनुबन्ध का परीक्षण शासन के न्याय विभाग से कराने का मत व्यक्त किया गया था, परन्तु समिति के अन्य सदस्यों द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के इस मत से असहमति व्यक्त करते हुए प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त करके लाइसेन्स जारी करने की संस्तुति की गई। उपरोक्त संस्तुति के क्रम में विकासकर्ता को लाइसेन्स प्रमाण–पत्र प्राधिकरण (बोर्ड) के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाना चाहिए था, जबकि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके लाइसेन्स प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2006 में 299.23 एकड़ भूमि पर लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक(भू. एवं वि.), लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के अर्जन विभाग द्वारा किये गये परीक्षण के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी के पास 75.74 एकड़ भूमि का स्वामित्व रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में है। इस प्रकार विकासकर्ता के स्वामित्व में प्रस्तावित योजना की कुल भूमि का 25.31 प्रतिशत भूमि रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में उपलब्ध है।
2. विकासकर्ता द्वारा लाइसेन्स का जो प्रस्ताव दिया गया है, उसके आधार पर प्रस्तावित टाउनशिप के लगभग 25 प्रतिशत भाग पर लखनऊ महायोजना 2021 में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.) का भू उपयोग निर्दिष्ट है।

3. विकासकर्ता द्वारा क्रय की गई भूमि निरन्तरता में नहीं है, प्रस्तावित योजना के लिए पर्याप्त पहुँच मार्ग भी नहीं है तथा उक्त योजना गोमती नदी के बॉये तटबन्ध पर प्रस्तावित है।

4. समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान द्वारा विकासकर्ता कम्पनी के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण से मॉगी गई है, जो कि उन्हें प्रेषित कर दी गई है।

5. उपरोक्त के दृष्टिगत समिति विकासकर्ता का 'ए' श्रेणी में पूर्व में किया गया पंजीकरण तथा दिनॉक 23.08.2006 को जारी किया गया लाइसेन्स प्रमाण–पत्र निरस्त करने की संस्तुति करती है।

5. <u>मेसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि.</u>

पंजीकरण

विकासकर्ता के पंजीकरण आवेदन/प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वप्रथम दिनॉक 02.05.2006 की बैठक में विचार किया गया था, जिसमें कतिपय अभिलेख, प्रमाण–पत्र एवं सूचनाएं उपलब्ध न होने के कारण विलम्बतम एक सप्ताह में वॉछित अभिलेख, सूचनाएं व प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने एवं प्रकरण समिति की आगामी बैठक में निस्तारण हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु समिति के समक्ष पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के स्थान पर तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से दिनॉक 15.05.2006 को अनुमोदन प्राप्त करके पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया। विकासकर्ता द्वारा मूल रूप में 02 सदस्यों के कान्सार्शियम की ओर से पंजीकरण आवेदन किया गया था एवं तद्नुसार पंजीकरण स्वीकृत किया गया था। बाद में 08 कम्पनियों एवं एक सोसाइटी के कान्सार्शियम की ओर से लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दिनॉक 14.08.2006 को लाइसेन्स प्रस्ताव पर विचार करने हेतु आयोजित बैठक में समिति द्वारा पुराना पंजीकरण निरस्त करते हुए कान्सार्शियम का नया पंजीकरण जारी करने का निर्णय लिया गया एवं तद्नुसार दिनॉक 17.08.2006 को पुनः संशोधित पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विराज कान्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि. द्वारा द्वारा ए श्रेणी में पंजीकरण हेतु वर्ष 2006 में प्रस्तुत किये गये आवेदन/प्रस्ताव एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई परीक्षण टिप्पणी पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. विकासकर्ता कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कंसार्सियम के 09 सदस्यों में से 08 कम्पनी तथा 01 सदस्य सोसाइटी के रूप में सदस्य है।
2. विकासकर्ता कम्पनी द्वारा पंजीकरण शुल्क के रूप में रु0 5.00 लाख की धनराशि जमा की गई है।
3. लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स के पंजीकरण के सम्बन्ध में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. विकासकर्ता के पास निर्माण मशीनरी उपलब्ध होने के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है।
5. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए निर्गत की गई विवरण पुस्तिका में अंकित पंजीकरण की शर्त में 05 ग्रेजुएट सिविल अभियन्ता, 01 ग्रेजुएट विद्युत अभियन्ता, 01 ग्रेजुएट वास्तुविद/प्लानर तथा 07 अवर अभियन्ता होने का उल्लेख है। विकासकर्ता के पास उक्त प्राविधान के सापेक्ष 02 अवर अभियन्ता कम हैं।
6. रियल स्टेट क्षेत्र में टर्न ओवर एवं नेटवर्थ के मापदण्ड की पूर्ति हेतु विकासकर्ता द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टीटयूट आफ टेक्नालोजी एण्ड मैनेजमेन्ट के भवनों का निर्माण/विकास के कार्य का टर्न ओवर एवं नेटवर्थ संलग्न किया गया है।
7. रियल स्टेट में न्यूनतम वॉछित 5 वर्ष के अनुभव के मापदण्ड के सापेक्ष विकासकर्ता द्वारा अनुभव का जो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार कंसार्सियम के एक सदस्य–मेसर्स बाबू बनारसी दास एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टीटयूट आफ टेक्नालोजी एण्ड मैनेजमेन्ट, उत्तर प्रदेश डेन्टल कालेज व नार्दन इण्डिया इन्जीनियरिंग कालेज, नई दिल्ली के विभिन्न भवनों के निर्माण कार्य का अनुभव दर्शाया गया है। इस प्रकार विकासकर्ता को रियल इस्टेट का अनुभव नहीं है।
8. विकासकर्ता कम्पनी के पास निर्धारित मापदण्ड से 02 अवर अभियन्ता कम होने तथा विकासकर्ता को रियल इस्टेट का अनुभव न होने के दृष्टिगत समिति विकासकर्ता कम्पनी मेसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि. का पूर्व में 'ए' श्रेणी में किया गया पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति करती है।

लाइसेन्स

विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा दिनॉक 14.08.2006 की बैठक में विचार किया गया था, जिसमें समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लाइसेन्स जारी करने हेतु संस्तुति की गई थी। समिति की संस्तुति के क्रम में विकासकर्ता का लाइसेन्स प्रमाण–पत्र प्राधिकरण (बोर्ड) के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाना चाहिए था, जबकि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके लाइसेन्स प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2006 में 280.79 एकड़ भूमि पर लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में समिति को संयुक्त निदेशक(भू. एवं वि.), लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के अर्जन विभाग द्वारा किये गये परीक्षण के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी के पास 70.351 एकड़ अर्थात 25.05 प्रतिशत भूमि का स्वामित्व रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में है।
2. विकासकर्ता के स्वामित्व में प्रस्तावित योजना की कुल भूमि का 25 प्रतिशत से अधिक भूमि रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में है। दिनॉक 17.08.2006 को विकासकर्ता कम्पनी को लाइसेन्स प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया था।
3. विकासकर्ता कम्पनी का पंजीकरण नियमानुसार न होने के कारण इनका पंजीकरण निरस्त किए जाने योग्य है, अतः इनके लाइसेन्स प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

6. <u>मेसर्स के.एस.एम. वसीर मो. एण्ड सन्स</u>

पंजीकरण

विकासकर्ता के पंजीकरण आवेदन/प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वप्रथम दिनॉक 22.05.2006 की बैठक में विचार किया गया था, जिसमें समिति द्वारा पॉच वर्ष का रियल इस्टेट में कार्य किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न न होने का उल्लेख किया गया था। समिति के समक्ष पंजीकरण का प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, परन्तु तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से दिनॉक 28.06.2006 को

अनुमोदन प्राप्त करके पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया। विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा दिनांक 14.08.2006 को विचार किया गया था। यद्यपि इस बैठक में पंजीकरण से सम्बन्धित कोई भी संस्तुति नही की गयी थी, फिर भी विकासकर्ता को दिनांक 17.08.2006 को संशोधित पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में के.एस.एम. वसीर मो. एण्ड सन्स द्वारा द्वारा बी–श्रेणी में पंजीकरण हेतु वर्ष 2006 में प्रस्तुत किये गये आवेदन/प्रस्ताव एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई परीक्षण टिप्पणी पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. विकासकर्ता कम्पनी पार्टनरशिप फर्म है, जो कि फर्म निबन्धक कार्यालय में पंजीकृत है। पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति संलग्न किया गया है।
2. विकासकर्ता कम्पनी द्वारा पंजीकरण शुल्क के रूप में रु0 3.00 लाख की धनराशि जमा की गई है।
3. लेबर/ट्रेड टैक्स तथा सर्विस टैक्स के पंजीकरण के सम्बन्ध में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. विकासकर्ता के पास निर्माण मशीनरी उपलब्ध होने के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है।
5. विकासकर्ता कम्पनी द्वारा तकनीकी स्टाफ का विवरण व बायोडाटा उपलब्ध कराया गया है।
6. रियल स्टेट क्षेत्र में टर्न ओवर एवं नेटवर्थ के मापदण्ड की पूर्ति हेतु विकासकर्ता द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. रियल स्टेट में न्यूनतम वॉछित 5 वर्ष के अनुभव के मापदण्ड के सापेक्ष विकासकर्ता द्वारा अनुभव का जो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार विकासकर्ता द्वारा विभिन्न भवनों का निर्माण ठेकेदार के रूप में करने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। इस प्रकार इन्हें रियल इस्टेट का अनुभव नहीं है।
8. ऐसी स्थिति में समिति विकासकर्ता कम्पनी मेसर्स के.एस.एम. वसीर मो. एण्ड सन्स का 'बी' श्रेणी में पूर्व में किया गया पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति करती है।

लाइसेन्स

विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा दिनॉक 14.08.2006 की बैठक में विचार किया गया था, जिसमें समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लाइसेन्स जारी करने हेतु संस्तुति की गई थी। समिति की संस्तुति के क्रम में विकासकर्ता का लाइसेन्स प्रमाण–पत्र प्राधिकरण (बोर्ड) के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाना चाहिए था, जबकि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके लाइसेन्स प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया।

प्राधिकरण (बोर्ड) की दिनॉक 01 मार्च, 2008 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विकासकर्ता के लाइसेन्स प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं निम्न स्थिति पायी गईः–

1. विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2006 में 100 एकड़ भूमि पर लाइसेन्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में समिति को संयुक्त निदेशक(भू. एवं वि.), लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के अर्जन विभाग द्वारा किये गये परीक्षण के अनुसार विकासकर्ता के पास 25.979 एकड़ भूमि का स्वामित्व रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में है।
2. विकासकर्ता के स्वामित्व में प्रस्तावित योजना की कुल भूमि का 25.979 प्रतिशत भूमि रजिस्टर्ड सेलडीड के रूप में है।
3. विकासकर्ता कम्पनी का पंजीकरण नियमानुसार न होने के कारण इनका पंजीकरण निरस्त किए जाने योग्य है, अतः इनके लाइसेन्स प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(वी.के. सोनकर)	(जी.एस. गोयल)	(महेन्द्र प्रसाद)
अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य नगर नियोजक	वित्त नियंत्रक
ल.वि.प्रा.	ल.वि.प्रा.	ल.वि.प्रा.

(एन.आर. वर्मा)	(राम बहादुर)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.	उपाध्यक्ष

विषयः रमाबाई अम्बेडकर मैदान में अनुरक्षण एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

लखनऊ–बिजनौर रोड पर स्थित लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास कार्य कराया जा रहा है। मैदान में प्रवेश हेतु 5 गेट निर्मित किये गये है। इस मैदान में डा. भीमराव अम्बेडकर एवं रमाबाई अम्बेडकर जी की कांस्य प्रतिमा स्थापित है। मैदान के एक भाग में आगन्तुकों की सुविधा हेतु लगभग 39 अदद विश्राम स्थल के साथ–साथ पर्याप्त पेय जल स्थल, ट्वालयेट आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सम्पूर्ण स्थल पर जलापूर्ति हेतु 3 ट्यूवेल का विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सीवेज डिस्पोजल हेतु सीवर लाइन का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त अधिकांश खुले भाग में घास लगाने एवं वृक्षारोपण का कार्य भी प्राविधानित है। मैदान में एक स्थायी मंच एवं दो वी.आई.पी. काटेज का निर्माण कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त अमर शहीद पथ के दूसरी ओर स्थित प्राधिकरण भूमि के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्मित कर भूमि को घेरा गया है। आवश्यकता पड़ने पर इस स्थल का उपायोग अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन हेतु हैलीपैड के रूप में किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त वर्णित कार्यो के सम्यक अनुरक्षण एवं अनवरत सुरक्षा हेतु निम्नानुसार कर्मियों की आवश्यकता हैः–

क्र.	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सुपरवाइजर	2	2650–4000
2	इलेक्ट्रीशियन	1	2750–4400
3	प्लम्बर	2	2750–4400
4	माली	10	2550–3200
5	सफाई कर्मी	20	2550–3200
6	सुरक्षा कर्मी (तीनो शिफ्ट सहित)	24	भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम से संविदा पर।

रमाबाई अम्बेडकर मैदान के अन्तर्गत पॉच द्वार, दो प्रतिमा तथा हैलीपैड स्थल हेतु तीनों शिफ्टों में एक–एक अर्थात तीनों शिफ्टों में उपरोक्तानुसार कुल 24 सुरक्षा कर्मी तैनात कराया जाना प्रस्तावित है।

(एस० पी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

3. प्रस्तर–2 में अंकित कर्मियों हेतु पदों का स्थानान्तरण प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं से रमाबाई अम्बेडकर मैदान के रख–रखाव हेतु सृजन स्थायी रूप से किया जाना प्रस्तावित है एवं इन पदों को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जाना प्रस्तावित है।

4. रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास प्रदेश की राजधानी में समय–समय आयोजित होने वाले सार्वजनिक सभाएं, रैली, प्रदर्शनी, मेला, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभा आदि के लिए किया जा रहा है। अतः इसका आवंटन केवल सार्वजनिक सभाएँ, रैली, प्रदर्शनी, मेला, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अनुमन्य होगा एवं इन आयोजनों की पूर्वानुमति उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इन उपयोगों के अतिरिक्त अन्य उपयोग किसी निजी कार्यक्रम, शादी–ब्याह आदि के लिए इसका उपयोग अनुमन्य नहीं होगा।

5. रमाबाई अम्बेडकर मैदान में उपरोक्तानुसार अनुमन्य आयोजन हेतु आवंटन शुल्क निर्धारित नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार रमाबाई अम्बेडकर मैदान में अनुमन्य आयोजनों हेतु आवंटन शुल्क के निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

6. प्राधिकरण के अधिष्ठान विभाग द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है एवं वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा निम्न परामर्श दिया गया है:–

1. मैदान के रख–रखाव हेतु होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शासन से अनुदान प्राप्त कर करायी जाये।
2. इन पदों पर प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित योजनाओं से अधिक्य हुए कर्मचारियों की तैनाती से कराया जाना उचित होगा।

<u>प्रस्तावः</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

1. टिप्पणी के प्रस्तर–2 के अनुसार 2 सुपरवाइजर, 1 इलेक्ट्रीशियन, 2 प्लम्बर, 10 माली व 20 सफाई कर्मियों के पदों को प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं से रमाबाई अम्बेडकर मैदान के रख–रखाव हेतु स्थानान्तरित करने एवं इन पदों पर प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित योजनाओं से अधिक्य हुए कर्मिकों को तैनात करने तथा 24 सुरक्षा कर्मी के पदों पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम से संविदा पर 24 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने पर।
2. इन पदों को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किये जाने पर।

(एस० सी० सिंह)
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

E:\JD-LDA\Board Agenda\Board Agenda(23 May, 08).doc

3. रमाबाई अम्बेडकर मैदान का उपयोग सार्वजनिक सभाओं, रैली, प्रदर्शनी, मेला, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभाओं के लिए ही अनुमन्य करने तथा इसके आवंटन हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके करने पर।

4. रमाबाई अम्बेडकर मैदान के आवंटन हेतु शुल्क निर्धारित करने पर।

5. टिप्पणी के प्रस्तर–6 के अनुसार रमाबाई अम्बेडकर मैदान के रख–रखाव पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शासन से अनुदान प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने की।

6. इन पदों पर प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित योजनाओं से अधिक्य हुए कर्मचारियों को ही तैनात करने पर।

(स्वा० सी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (पू०/वि०)
म० वि० प्रा०, लखनऊ

विषय संख्याः 11

विषयः लखनऊ नगर के महानगर क्षेत्र में गोल मार्केट के पास स्थित पार्क में पी.पी.पी. माडल पर भूमिगत पार्किंग काम्प्लेक्स का निर्माण।

लखनऊ नगर के निशातगंज, महानगर तथा बादशाह नगर के क्षेत्र के आसपास वर्तमान में कई वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित हो जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में वाहन पार्किंग की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है एवं प्रायः ही इस क्षेत्र में यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती रही है। इस समस्या के निराकरण की दृष्टि से लखनऊ नगर के महानगर क्षेत्र में गोल मार्केट के सम्मुख स्थित पार्क में मल्टी लेविल भूमिगत पार्किंग काम्पलेक्स का विकास किया जाना आवश्यक है।

2. लखनऊ नगर में अवस्थापना विकास, अर्बन रिजुविनेशन, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की परियोजनाएं पी.पी.पी माडल पर क्रियान्वित करने तथा नगर का 'कम्प्रीहेसिव डेवलपमेन्ट प्लान' तैयार करने हेतु आई.एल. एण्ड एफ.एस आई.डी.सी. को प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कन्सलटेन्ट पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है। कन्सलटेन्ट के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया जा चुका है एवं 'प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस.पी.वी.' गठित किया जा रहा है।

3. वर्तमान में हजरतगंज में मल्टीलेविल पार्किंग, जी.एच. कैनाल सड़क परियोजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी बहुविशेषज्ञता अस्पताल, मान्यवर श्री कांशीराम जी अन्तर्राष्ट्रीय कनवेन्शन सेन्टर परियोजनाओं को पी.पी.पी माडल पर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है एवं परियोजनांएं विकसित करने हेतु आई.एल. एण्ड एफ.एस आई.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ आई. एल. एण्ड एफ.एस आई.डी.सी. द्वारा नगर का 'कम्प्रीहेन्सिव डेवलपमेन्ट प्लान' भी तैयार किया जा रहा है। चूँकि आई.एल. एण्ड एफ.एस आई.डी. सी. द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं को विकसित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, अतः महानगर क्षेत्र में मल्टी लेबिल भूमिगत पार्किंग काम्पलेक्स की परियोजना विकसित करने का कार्य भी आई.एल. एण्ड एफ.एस आई.डी.सी. से कराया जाना प्रस्तावित है। जिस स्थल पर महानगर क्षेत्र में यह पार्किंग काम्पलेक्स प्रस्तावित किया जा रहा है वह वर्तमान में पार्क है, अतः पार्किंग काम्पलेक्स भूमिगत ही बनायी जायेगी

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

एवं परियोजना इस प्रकार से तैयार की जायेगी जिससे भूतल पर पार्क की प्रकृति एवं ग्रीनरी प्रभावित न हो।

4. प्रश्नगत पार्क नगर निगम, लखनऊ का है, अतः परियोजना के लिए यह पार्क नगर निगम, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित कराने अथवा नगर निगम, लखनऊ की अनापत्ति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्तावः</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत लखनऊ के महानगर क्षेत्र में गोल मार्केट के सम्मुख स्थित पार्क में पी.पी.पी माडल पर भूमिगत पार्किंग विकसित करने, पार्क के भूतल को पार्क के रूप में ही विकसित कराने तथा परियोजना के विकास का कार्य प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कन्सलटेन्ट पार्टनर–आई.एल. एण्ड एफ.एस आई.डी.सी. को सौपने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(एस० बी० सिंह)
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

विषय संख्याः 12 पृष्ठ संख्याः 61

विषयः- गोमती नगर विस्तार योजना के अर्न्तगत अर्जित भूमि पर निर्मित भवन को समायोजित करने से सम्बन्धित आश्वासन संख्या-523-38-2001 की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध मे।

प्रश्नगत प्रकरण गोमती नगर विस्तार योजना के अर्न्तगत गंगा शरण सहकारी आवास समिति लखनऊ की खसरा संख्या-235 स्थित ग्राम मकदूमपूर की भूमि पर स्थित निर्माणो के समायोजन का है। भूमि खसरा संख्या-235 स्थित ग्राम मकदूमपूर का अधिग्रहण अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अर्न्तगत वर्ष 2000 मे किया जा चुका है तथा शासन द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 के अर्न्तगत विज्ञप्तिया क्रमशः दिनांक 05.09.2000 व 16.02.2001 को प्रकाशित की गयी है। भूमि का कब्जा भी अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जा चुका है। इस प्रकार से भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/लखनऊ विकास प्राधिकरण मे निहित हो चुका है।

गोमती नगर विस्तार योजना के अर्न्तगत दिनांक 12.10.2000 तक अधिग्रहण से प्रभावित भूमि पर स्थित निर्माणो के अभिलेख एवं फोटोग्राफ आदि उपलब्ध कराने हेतु समाचार पत्रो मे सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। इस तिथि तक जो आवेदन प्राप्त हुये थे उन्हे पुर्नवासन नीति के अर्न्तगत भूखण्ड उपलब्ध कराये गये है। गंगा शरण सहकारी आवास समिति के सदस्यो के कुल 8 भवनो मे से केवल चार भवन अर्जन से पूर्व निर्मित होने के कारण उन्हे वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये गये है। शेष चार भवन अर्जन के बाद निर्मित होने के कारण उन पर कोई कार्यवाही नही की गयी।

प्रश्नगत आश्वासन के सम्बन्ध मे तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 आश्वासन समिति के समक्ष अवगत कराया गया था कि समिति के चार भवन अर्जन के बाद निर्मित होने के कारण इसमे कोई कार्यावाही किया जाना संभव नही है। इसके सम्बन्ध मे दिनांक 27.09.07 को आश्वासन समिति द्वारा निम्न निर्देश दिया गया थाः-

"जिन 4 लोगो ने मकान बनवा लिये है। उसको बचा दिया जाये।"

प्रश्नगत आश्वासन के सम्बन्ध मे तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा मा0 आश्वासन समिति के समक्ष अवशेष 4 भवनो के सम्बन्ध मे वक्तव्य दिया गया था कि

"मान्यवर समिति के आदेशो का पालन किया जायेगा"।

प्रश्नगत 4 भवन अर्जन के बाद होने के कारण नियमानुसार उन्हे वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित नही किया जा सकता है।

प्रस्तावः- गोमती नगर विस्तार योजना के अर्न्तगत अर्जित भूमि पर अर्जन के पश्चात निर्मित 4 भवनो को समायोजित करने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(राम प्रताप अमीन) अब्दुल रउफ परिष्ठ अमीन अर्जन

(एस० के० त्रिपाठी) सहायक अभियन्ता (अर्जन) लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

(अप्पू गुप्ता) डिप्टी कलेक्टर (अर्जन) ल० वि० प्र०

(एस० बी० मिश्र) संयुक्त निदेशक (भू०/वि०) ल० वि० प्रा०, लखनऊ

tripathi-21-04-08

विषयः <u>लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में।</u>

आख्याः

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर के सुनियोजित विकास हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्यों में विकास को नियोजन के अनुरूप प्रोत्साहित करना तथा सुनिश्चित करना है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र घोषित करना भी है।

उक्त प्राविधानों के अनुरूप लखनऊ के सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण से अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-3923/XXXVII-2 (डी. ए.-72) दिनांक 11.09.1974 द्वारा तत्कालीन नगर महापालिका सीमा के चारो ओर (कैन्ट क्षेत्र को छोड़ते हुए) 8 किमी0 दूरी तक का क्षेत्र विकास क्षेत्र घोषित किया गया था।

उक्त विकास क्षेत्र हेतु प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सुनियोजित विकास हेतु लखनऊ महायोजना-2001 शासन से अनुमोदित करायी गयी तथा उक्त महायोजना के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय कालोनियाँ:-गोमती नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, प्रियदर्शिनी, हरदोई रोड योजना, कानपुर रोड योजना तथा शारदा नगर इत्यादि विकसित की गयी। विगत कुछ दशकों में लखनऊ में भौतिक विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ है। फलतः प्राधिकरण के गठन के बाद लखनऊ नगर निगम सीमा क्षेत्र में वर्ष 1997 में 80 गॉव सम्मिलित हो चुके है, जबकि फैजाबाद रोड व सीतापुर रोड पर विकास की गति को दृष्टिगत रखते हुए शासन की अधिसूचना संख्या-07/9-आ-5-98-21डीए/72 दिनांक 06.01.1999 द्वारा फैजाबाद रोड व सीतापुर रोड पर 16 और गॉव सम्मिलित किये गये है।

लखनऊ महायोजना-2021 की संरचना हेतु कराये गये सर्वेक्षणों के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि लखनऊ का विकास कुछ स्थानों पर विकास क्षेत्र की सीमा तक हो चुका है। अतः इस सम्बन्ध में यह आवश्यकता प्रतीत की गयी कि विकास क्षेत्र की सीमा का विस्तार किया जाय। उक्त क्रम में शासन में एक प्रस्ताव वर्ष 2003 में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से प्रेषित किया गया था जो अभी शासन में लम्बित है। उत्तर प्रदेश नगर विकास अनुभाग-7, की अधिसूचना संख्या-6450/9-7-2006-67ज/95,

(जी० एस० पाल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

दिनांक 30.11.2006 के माध्यम से लखनऊ महानगर क्षेत्र का गठन किया गया जिसमें 11 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.12.2006 बिषय सं0-22 (अनुलग्नक-1) में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा लखनऊ महानगर क्षेत्र के अनुसार रखा जाय तथा इसे लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण घोषित किया जाय। प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव को शासन को सन्दर्भित करने का निर्देश दिये गया, जिसके क्रम में प्राधिकरण के पत्रांक-1137/सचिव/मु.न.नि./07, दिनांक 10.01.2007(अनुलग्नक-2) द्वारा इसे शासन को संदर्भित कर दिया गया।

कालान्तर में यह अनुभव किया गया कि लखनऊ महानगर क्षेत्र की सीमा को प्राधिकरण सीमा प्रस्तावित करना कदाचित व्यवहारिक नही होगा, अत: विकास क्षेत्र सीमा वृद्धि पर पुर्नविचार किया जाना होगा। इस सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के साथ विचार-विमर्श किया गया तथा भौतिक विकास की बदली परिस्थितियों, हाईटेक,, इंटीग्रेटेड टाउनशिप की नीतियों से मिले विकास के त्वरण, यातायात प्रणाली में नये प्रस्ताव तथा मार्गो के किनारे नियंत्रण तथा पैरीफेरल विकास की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तार हेतु 48 ऐसे ग्राम जो वर्तमान विकास क्षेत्र में आंशिक रूप से सम्मिलित है, को पूर्ण रूप से सम्मिलित करने तथा लखनऊ नगर के चारों ओर कुल- 233 ग्रामों को विकास क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ंताव (अनुलग्नक-3) तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव में कानपुर रोड पर सीमा विस्तार हेतु प्रस्तावित 38 ग्राम लीडा के अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित है जबकि फैजाबाद रोड पर प्रस्तावित विस्तार में बाराबंकी जिले के कुछ ऐसे ग्राम सम्मिलित किये गये है जो बाराबंकी विनियमित क्षेत्र में अधिसूचित है। यदि इन ग्रामों को लखनऊ विकास क्षेत्र के प्रस्तावित विस्तार में सम्मिलित किया जाना है तो इनका क्रमश: लीडा एवं बाराबंकी विनियमित क्षेत्र से डिनोटिफाई होना आवश्यक होगा।

<u>प्रस्ताव:</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण सीमा का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति हेतु इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि स्वीकृति उपरांत विस्तृत भौतिक परीक्षणोंपरांत यथा आवश्यक गॉवों को सम्मिलित करते हुये सीमा विस्तार का विस्तृत प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।

(जी० एस० गोयल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय संख्या : 18 उत्तर प्रदेश आई.ए.एस. एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 को आवन्टित भूमि पर बल्केज डिस्काउन्ट दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, संस्था को पूर्व में दिये गये 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट के स्थान पर बल्केज डिस्काउन्ट 35 प्रतिशत दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 19 अखिल भा[illegible]शील महिला संघ को बसन्तकुँज योजना [illegible] में 4000 वर्ग मीटर भूमि आवन्टन के सम्बन्ध[illegible]

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत संस्था से उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं विगत तीन वर्षो की बैलेन्स-शीट मंगा कर प्रस्तुत की जाये।

विषय संख्या : 20 डेवाइन हार्ट फाउन्डेशन (इण्डिया) को अतिरिक्त 2000 वर्ग मीटर भूखण्ड आवन्टन का प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डेवाइन हार्ट फाउन्डेशन (इण्डिया) को 2000 वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्रफल का आवन्टन वर्तमान आवासीय दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 21 हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना हेतु बसन्त कुँज योजना (हरदोई रोड) में भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 22 उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्याः 6450/नौ-7-2006-67ज/95 दिनांक 30.11.2006 में उल्लिखित लखनऊ महानगर क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया।

विषय संख्या : 14 विकास प्राधिकरण की बसन्तकुँज (हरदोई रोड) के बाढ सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले गोमती तटबंध की परियोजना का अनुमोदन।

निर्णय : अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव, अवलोकित किया गया।

विषय संख्या : 15 अलमाइटी माण्टेसरी स्कूल के विरुध्द लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 16 श्री कमलेश चन्द्र पन्त, वर्कचार्ज लिपिक की पत्नी श्रीमती दीपा पन्त के कूल्हे की हड्डी के प्रत्यारोपण हेतु चिकित्सा अग्रिम रु0 50,000/— एवं दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को अपनी तथा अपने परिवार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 17 इलाहाबाद हाइकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि. को आवन्टित भूमि के सम्बन्ध में।

निर्णय : इलाहाबाद हाइकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि. के पक्ष में किये गये आवन्टन को निरस्त कर समिति के परिवर्तित वर्तमान नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेज कोआपरेटिव हाऊसिंग एण्ड डेवलपमेन्ट सोसायटी लि0 के पक्ष में आवन्टन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। संस्था के अनुरोध पर विचार करते हुए 25 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट के स्थान पर 35 प्रतिशत बल्केज डिस्काउन्ट दिये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।साथ ही कुछ भूखण्ड 300 वर्गमीटर से बड़े रखे जाने की भी अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड न विकसित किये जायें।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर समयक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उ0प्र0सरकार नगर विकास अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्याः 6450/नौ–7–2006–67ज/95 दिनांक 30.11.06 में उल्लिखित क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित करने तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण घोषित करने हेतु शासन को प्रस्ताव सन्दर्भित कर दिया जाये।

अन्य विषय : अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान को हरदोई रोड योजना में भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में संस्था व्दारा बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रेजेन्टेशन।

भारत एवं भारत वर्ष के बाहर वनौषधि क्षेत्र के अन्तर्गत किये गये महत्वपूर्ण शोधों एवं कृत्यों का विवरण संस्था व्दारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : प्रस्तुतिकरण के बाद विचारोपरान्त संस्था से भूमि की आवश्यकता का पुनर्आकलन करते हुए वित्त पोषण के सम्बन्ध में विवरण पुनः प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(डा.राम बिलास यादव)
सचिव

(बी. बी. सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(आर के [illegible])
आयुक्त [illegible] एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय संख्याः

पृष्ठ संख्याः

विषयः उ0प्र0सरकार नगर विकास अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्याः 6450/नौ–7–2006–67ज/95 दिनांकः 30.11.2006 में उल्लिखित लखनऊ महानगर क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावः

उ0प्र0सरकार नगर विकास अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्याः 6450/नौ–7–2006–67ज/95 दिनांकः 30.11.2006 में निम्नलिखित क्षेत्रों को संविधान के भाग 9–क के प्रयोजनों के लिये लखनऊ महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है :–

1. जिला लखनऊ में समाविष्ट लखनऊ नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र,
2. छावनी क्षेत्र, सरोजनी नगर विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
3. काकोरी विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
4. मलिहाबाद विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
5. बक्शी का तालाब विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
6. निदुरा विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
7. देवॉ विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
8. बंकी विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
9. नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जिला बाराबंकी,
10. गोसाईगंज विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
11. मोहनलालगंज विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र को अधिसूचना संख्याः Niwas Anubhag-2 Notification No. 3923/XXXVII-2-(D.A.)-72 दिनांकः11.09.1974 द्वारा नगर पालिका सीमा से 8 किलोमीटर की दूरी तक घोषित किया गया था। लखनऊ विकास क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व के बढ़ जाने तथा मैट्रोपॉलिटन सिटी घोषित हो जाने के कारण उपरोक्त वर्णित लखनऊ महानगर क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

16/XII/2006

मुख्य नगर नियोजक

लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 2 के खण्ड (45-क) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या- 2336-1-क/9-7-1994 दिनांक 6 सितम्बर, 1994 के क्रम में राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे उल्लिखित क्षेत्र, संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनों के लिये लखनऊ महानगर क्षेत्र होगा :-

1- जिला लखनऊ में समाविष्ट लखनऊ नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र,
2- छावनी क्षेत्र, सरोजनीनगर विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
3- काकोरी विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
4- मलिहाबाद विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
5- बक्शी का तालाब विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
6- निदुरा विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
7- देवा विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
8- बंकी विकास खण्ड, जिला बाराबंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र,
9- नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जिला बाराबंकी,
10- गोसाईगंज विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र,
11- मोहनलालगंज विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र।

आज्ञा से,

(अमल कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव।

अनुलग्नक-2 (9)

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषकः	सेवा में,
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ । संख्याः 1137/सचिव/मु.न.M0/07 दिनांकः 10/1/07	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय

उ0प्र0सरकार नगर विकास अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्याः 6450/नौ–7–2006–67ज/95 दि0: 30.11.06 में उल्लिखित लखनऊ महानगर क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिसूचना संख्याः 6450/नौ–7–2006–67ज/95 दि0: 30.11.06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांकः 18.12.2006 में प्रेषित किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न)। प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

"सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उ0प्र0सरकार नगर विकास अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्याः 6450/नौ–7–2006–67ज/95 दिनांकः 30.11.06 में उल्लिखित क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित करने तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को महानगर विकास प्राधिकरण घोषित करने हेतु शासन को प्रस्ताव सन्दर्भित कर दिया जाये।"

लखनऊ विकास प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को सन्दर्भित किया जा रहा है। आपके सुलभ संदर्भ हेतु निर्णय के कार्यवृत्ति की एक प्रति संलग्न की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 राम विलास यादव)
सचिव

18/1/2007

लखनऊ विकास क्षेत्र
(प्रस्ताव)

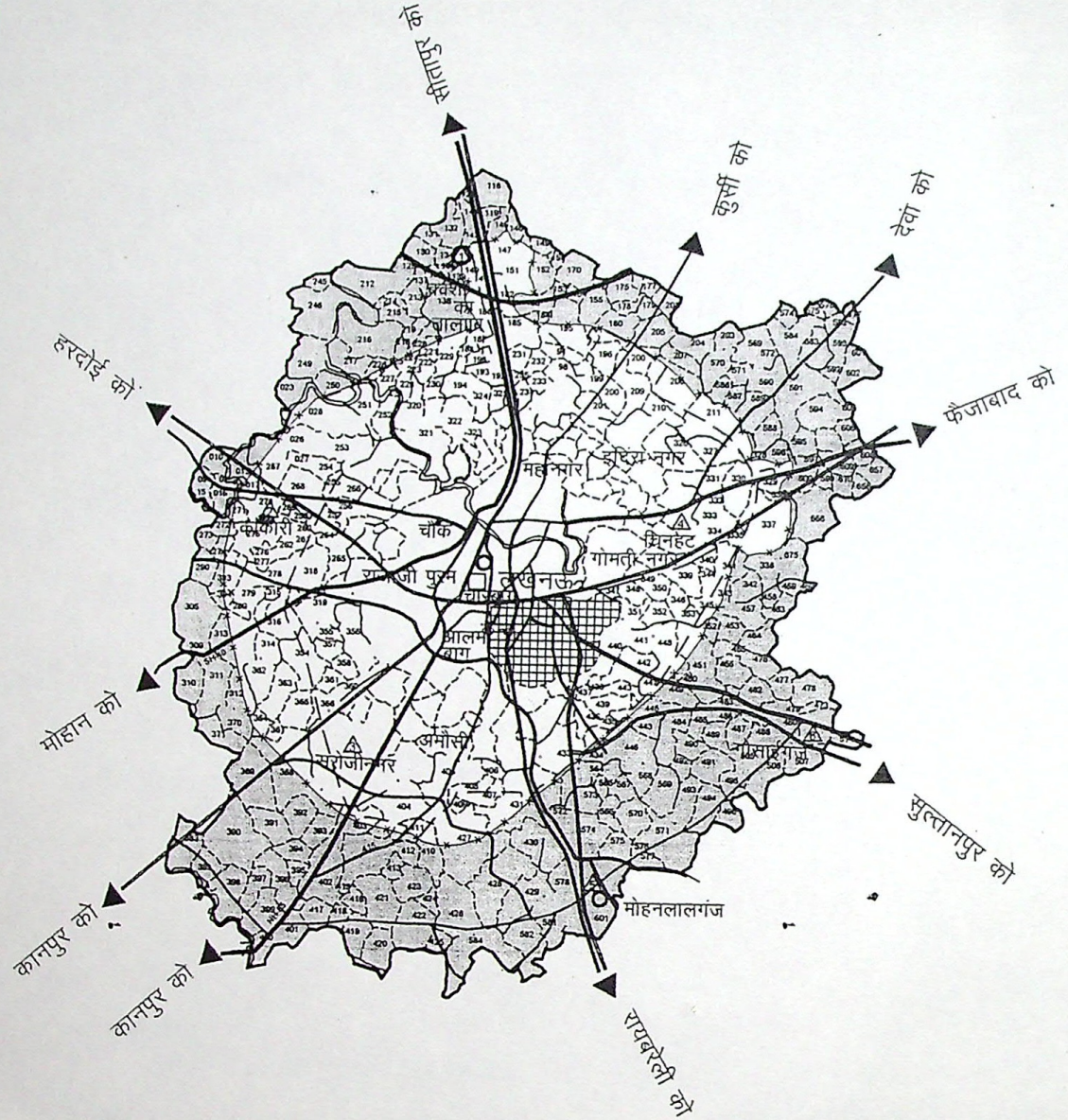

संकेतिका

- नए विकास क्षेत्र की सीमा
- जनपद सीमा
- जनपद मुख्यालय
- तहसील सीमा
- तहसील मुख्यालय
- विकास खण्ड सीमा
- नगर निगम सीमा
- ग्राम सीमा
- रेलवे लाइन
- नदी / नहर
- मार्ग / सड़क
- वर्तमान विकास क्षेत्र सीमा

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.
सम्भगीय नियोजन खण्ड, लखनऊ

परिकल्पना :: –
संजय कुमार सिंह

सें. मी. 1.8 0.9 0 9.0 कि. मी.
0 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0

नोट – ग्रामों की सीमा एवं स्केल जनगणना – 2001 के मानचित्रो पर आधारित है
ग्रामो के लोकेशन कोड न. जनगणना – 2001
पुस्तिका विलेज डायरेक्ट्री पुस्तिका के अनुसार प्रदर्शित है
स्रोत जनगणना पुस्तिका – 2001

ए. के भटनागर
सहयुक्त नियोजन

एस. बी. दपतरदार
वरिष्ठ नियोजक

एन. आर वर्मा
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

70

बिषयः **लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/सीवेज फार्म के भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 04.09.2006 के बिषय संख्या-4 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ, भैसोरा एवं बक्कास में लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के पत्र संख्या- 1018/उपा0/मु0न0नि0/06 दि0 14.04.06 (अनुलग्नक-1) के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था।

कालान्तर में प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांकः 11.05.07 तथा 16.10.07 (अनुलग्नक-2) में यह निर्णय लिया गया कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु महायोजना-2021 में प्रस्तावित स्थल पर ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय।

तद्क्रम में गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई, जल निगम द्वारा सर्वेक्षणोपरान्त ग्राम- भरवारा, लोनापुर, एवं भैसोरा में 119.817 हेक्टेयर भूमि चयनित कर इसके अधिग्रहण का प्रस्ताव नगर निगम के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2021 में महायोजना मार्ग को छोड़ते हुये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/सीवेज फार्म है।

गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई, जल निगम द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में उ0 प्र0 शासन द्वारा दिनांक 25.03.2008 को धारा-4 की कार्यवाही की जा चुकी है तथा धारा-6 हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

चूंकि प्रश्नगत स्थल पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है, अतः प्राधिकरण द्वारा दि0 14.11.06 को प्रेषित भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव का औचित्य समाप्त हो गया है।

(जी0 एस0 गोयल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में दायर जनहित याचिका संख्या-4436 (एम..बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम् उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 27.03.08 एवं 30.04.2008 (अनुलग्नक-3) में भी मा0 न्यायालय द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु निर्धारित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रश्नचिन्ह उठाया गया है।

अत: उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन स्तर से विचार न करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के पत्र संख्या-292/उपा0/मु0न0नि0/06 दिनांक: 24.04.2008 (अनुलग्नक-4) के माध्यम से अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

(पी0 एस0 गोयल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक:	सेवा में,
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ । संख्याः 1018/उपा0/मु0न0वि0/2006 दिनांकः 11.11.2006	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय

ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ एवं बतकास में लखनऊ महोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेट प्लान्ट के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय से संबंधित प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांकः 04.09.2006 में विषय सं0–4 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये गये थे :–

1- सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये जो भूमि महायोजना में प्रस्तावित की गयी है वह गोमती नगर विस्तार योजना एवं उसके समीप निजी क्षेत्र की सहभागिता से विकसित की जा रही आवासीय योजनाओं से लगी हुई है, अतः पर्यावरण के दृष्टिकोण से उक्त स्थल सीवेज फार्म के लिये उपयुक्त नहीं होगा।

2- प्रस्तावित स्थल पर कई ग्रामीण आबादी हैं तथा उनके आस–पास भी काफी विकास हो चुका है। अतः सीवेज फार्म का निर्माण उक्त क्षेत्र में सम्भव नहीं है।

3- जल निगम द्वारा सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु जायका कन्सल्टेन्ट से प्रोजेक्ट तैयार कराया गया है, उस प्रोजेक्ट में उपरोक्त प्रयोजन हेतु जो भूमि चयनित की गयी है वह प्रश्नगत क्षेत्र से बाहर है एवं गोमती नगर विस्तार योजना के प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि महायोजना–2021 में प्रस्तावित उपरोक्त वर्णित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के भू–उपयोग को आवासीय में, उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तित करने एवं सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भूमि में प्रस्तावित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित किया गया।

(2)

बोर्ड के उक्त निर्णय के कम में महायोजना–2021 में आरक्षित एफ0एस0/एस0टी.पी0 के अन्तर्गत आने वाले गाटा संख्या एवं उनके क्षेत्रफल की सूची संलग्न करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0बी0सिंह)
उपाध्यक्ष
10/X/2006

विषय संख्याः 04 **पृष्ठ संख्याः 26**

विषयः ग्राम–हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ, मस्तेमऊ एवं बतकास में लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावः

महायोजना–2021 में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु लगभग 650 हेक्टेअर भूमि ग्राम–हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ, मस्तेमऊ एवं बतकास में प्रस्तावित की गयी है गोमती नगर विस्तार योजना से लगी हुई यह भूमि कतिपय सीवेज फार्म एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि –

1. सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये जो भूमि महायोजना में प्रस्तावित की गयी है वह गोमती नगर विस्तार योजना एवं उसके समीप निजी क्षेत्र की सहभागिता से विकसित की जा रही आवासीय योजनाओं से लगी हुई है, अतः पर्यावरण के दृष्टिकोण से उक्त स्थल सीवेज फार्म के लिये उपयुक्त नहीं होगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर कई ग्रामीण आबादी हैं तथा उनके आस–पास भी काफी विकास हो चुका है। अतः सीवेज फार्म का निर्माण उक्त क्षेत्र में सम्भव नहीं है।
3. जल निगम द्वारा सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु जायका कन्सल्टेन्ट से प्रोजेक्ट तैयार कराया गया है, उस प्रोजेक्ट में उपरोक्त प्रयोजन हेतु जो भूमि चयनित की गयी है वह प्रश्नगत क्षेत्र से बाहर है एवं गोमती नगर विस्तार योजना के प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

महायोजना–2021 में प्रस्तावित उपरोक्त वर्णित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू–उपयोग को आवासीय में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत परिवर्तित करने एवं उपरोक्त प्रयोजन हेतु आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में सीवेज़ फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट प्रस्तावित करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23/8/2006

मुख्य नगर नियोजक

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव एवं गठित समिति की संस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 4

ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ एवं बतकास में लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंगरोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

मुख्य नगर नियोजक व्दारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष बड़े मानचित्र की सहायता से प्रश्नगत स्थल को दर्शाते हुए महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने एवं उक्त प्रयोजन हेतु आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को स्थापित किये जाने की आवश्यक्ता पर प्रकाश डाला गया। उपाध्यक्ष व्दारा भी इसे परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। जन प्रतिनिधि श्री चौरसिया व्दारा अनुरोध किया गया कि नई योजनाओं में निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों को भी दृष्टिगत रखते हुए योजनाये प्रस्तावित की जायें।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 5

गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में विकसित डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में भूमि का आवन्टन।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के.वी.विद्युत उपकेन्द्र को सीनान्तरित किये जाने तथा इस हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के.वी.विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं देयता के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु ग्राम-हासेमऊ, भरवारा, लालापुर, पन्दमामऊ, मस्तेमऊ एवं बकारा की चिन्हित 637 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.5.2007 को पूर्वाह्न 11.5.07 को 11.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

:----------:

उपस्थिति

1-श्री श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।
2- " दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक, सूडा।
3- " नवदीप रिनवा, निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
4- " एन0आर0वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5- " के0के0अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ।
6- " प्रो0 निशीथ राय, निदेशक, क्षेत्रीय सागर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ
7- " ए0के0गुप्ता, मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
8- " एम0के0मित्तल, परियोजना प्रबन्धक, जलनिगम, लखनऊ।
9- " राम सिंह, मुख्य अभियंता, लखनऊ क्षेत्र, उ0प्र0जलनिगम, लखनऊ।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श के दौरान प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में पर्यावरण मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये गये कि महायोजना 2021 में संशोधन कर दिया गया है और प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित कर दिया गया है। वास्तविकता यह है कि लखनऊ महायोजना 2021 की संरचना में 637 हेक्टेयर भूमि सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु चिन्हित किया जा चुका है और इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन अभी नहीं हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि इसके लिए 2002 में ही धनराशि जमा की जा चुकी है तथा वस्तु स्थिति से पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार को भी अवगत कराया जा चुका है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चूँकि लखनऊ महायोजना 2021 जो कि अन्तिम होकर प्रकाशित हो चुकी है, की संरचना में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 637 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है तथा, वर्ष 2003 में ही इस हेतु धनराशि भी जमा की जा चुकी है। अतः योजना की महत्ता एवं विलम्ब के दृष्टिगत प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथ

—:

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यदि परिवर्तन पर विचार किया जा रहा हो तो इ हेतु सहमति दिया जाना उचित भी नहीं है, क्योंकि गोमती एक्शन प्लान तथा गंगा एक्शन प्लान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा व उक्त परियोजनायें, जो कि राष्ट्रीय महत्व की है, व जिसका अनुश्रवण लगातार भारत सरकार के नदी प्रदूषण नियंत्रण निदेशालय द्वारा किया जा रहा है, अनावश्यक रूप से विलम्बित होंगी । उल्लेखनीय है कि नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल पर सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किया जाना है, के संबंध में श्री विनती माथुर, बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य तथा श्री एम0सी0मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य से सम्बन्धित जनहित याचिका में विचाराधीन हैं जिनमें लगातार मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा इन परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है ।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई ।

अमल कुमार वर्मा
प्रमुख सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या 2-अ-88/9-5-2007-
लखनऊ: दिनांक 24 मई, 2007

प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवा हेतु प्रेषित :-

आज्ञा से,

श्रीप्रकाश सिंह
विशेष सचिव।

लेखा-13

G. m. Gupta

160

रिट याचिका संख्या-4436(एम/पी)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा दिनांक-20.08.2007 को पारित निर्णय के अनुपालन में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक-16.10.2007 को सायं 5.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त ।

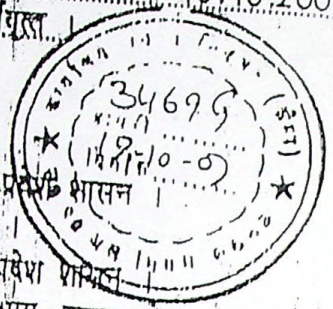

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी प्रतिभाग किये :-

सर्व श्री

1. श्रीमती आराधना शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. हरभजन सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ।
3. सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. आर0के0 सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. अमिताभ वाष्र्णेय, अपर जिलाधिकारी, लखनऊ ।
6. धीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. डा0 सुधाकर अदीब, संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. विवेक पाण्डेय, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. दिनेश कुमार, उप सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
10. आर0एन0 पाल, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
11. के0के0 अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
12. पी0सी0 गोयिल, मुख्य अभियन्ता (नगर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ ।
13. के0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, गंगा, जल निगम ।
14. आर0एम0 डे, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम ।
15. सूरज लाल, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र ।
16. वी0के0 पाण्डेय, अधि0 अभियन्ता, जल संस्थान, लखनऊ ।
17. रघुवेन्द्र कुमार, सचिव, जल संस्थान, लखनऊ ।
18. आर0एस0 सिन्हा, हाईड्रोजियोलोजिस्ट, भूगर्भ जल निदेशालय, लखनऊ ।
19. जे0एस0 पाठक, मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ ।
20. पी0सी0 शर्मा, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ ।
21. एस0बी0 बख्तवार, सीनियर प्लानर, सी0टी0सी0पी0 लखनऊ ।
22. वी0एन0 मिश्र, सी0ई0, नगर निगम, लखनऊ ।
23. राम सरन, ए0टी0ओ0, गंगा सेल ।
24. वी0एन0एल0 शर्मा, ए0टी0पी0, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ।

बैठक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-20.08.2007 को पारित निर्णय के संदर्भित बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों से चर्चा की गयी । बैठक में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु ककरहा में भूमि अधिग्रहित किये जाने, भूमिगत जल स्तर गिरने के सम्बन्ध में भूगर्भ जल विभाग के स्तर से कृत कार्यवाही, लखनऊ नगर की पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों एवं अन्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ।

2- बैठक में सर्वप्रथम सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु ककरहा में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तावित भूमि के बारे में चर्चा की गयी । इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद को पत्र दिनांक-29.7.2007 द्वारा भूमि अधिग्रहण पर इस आशय की आपत्ति लगायी गयी है कि भूमि अर्जन प्रस्ताव को भेजने से पूर्व तीन निवेशों यथा-(1) प्रस्तावित योजना से निर्धारित सीवेज फ्लो का उल्लंघन न

हो, (2) आवश्यकता से अधिक भूमि अधिग्रहीत न हो, तथा (3) पर्यावरण व स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमं पालन हो । श्री हरेभूषन सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया कि चूंकि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु मास्टर प्लान में भूमि निश्चित है । अतः उक्त भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि अधिग्रहीत की जाती है, तो इस हेतु महा योजना में परिवर्तन कराया जाना आवश्यक होगा । उ यह भी कथन था कि आवासीय प्रयोग हेतु निश्चत की गयी जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है पर आवासीय कालोनियां बनेंगी और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान भी बनना प्रस्तावित है । अतः वहां एस0टी0पी0 का निर्माण कराया जाना उचित नहीं होगा । इस सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव दिया एस0टी0पी0 हेतु निर्धारित स्थल पर ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय एवं इस हेतु लखनऊ विक प्राधिकरण, लखनऊ के स्तर से वांछित सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

3- बैठक में प्रमुख सचिव —... द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पा निर्णय का अनुपालन सम्बन्धित विभाग द्वारा तत्परतापूर्वक कराया जाय । साथ ही यह भी निर्णय लिया कि इस प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जिन विभागों से सीधे सूचना चाही गयी है, उन विभागों द्वारा आ स्तर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किय जाने की कार्यवाही की जाय तथा नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिशपथ तैयार कराये जाते समय समस्त विभाग अपने-अपने विभाग की सूचना / आख्या सहित मुख्य स्था अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के कार्यालय में उपस्थित रहें । प्रतिशपथ तैयार कर जाने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा तिथि निर्धारित किये जाने की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु नगर विका विभाग से सम्पर्क में रहें ।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

गोविन्दन नायर
प्रमुख सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या-3327/9-5-2007-76सा/2007
लखनऊः दिनांक: 18 अक्टूबर, 2007

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
4. अपर जिलाधिकारी, भू-अध्याप्ति, लखनऊ ।
5. उप सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, बन्दरियाबाग, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8. महाप्रबन्धक, जल संस्थान लखनऊ ।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
10. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वां तल, इन्दिराभवन, लखनऊ ।
11. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास भवन-।।। तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव ।

To,
1. Sri Ram Bahadur
Vice Chairman LDA
2. Sri S.S. Misra,
Secretary LDA.

To kindly ensure compliance of Hon'ble Court order dt 27.3.08 in PIL. WP 4436 of 2003. about 'A' 'B' + 'C' Points in Court's order dt. 27.3.08 within 10 days

(Krishna Chandra)
Advocate
for LDA.
8.4.08.

Judgment Text

Judgment Text This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Joint Registrar(Copying).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

Court No. 1.

Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003
Sewage Treatment Plant Vs. State of Uttar Pradesh & others
Hon'ble Pradeep Kant, J.
Hon'ble A. Mateen, J.

Though compliance reports have been filed by the Jal Nigam, Jal Sansthan and Nagar Nigam, but we find that no substantial progress which may relieve the Lucknowites from the water scarcity problem in the city of Lucknow and cleaning of Gomti river has been made. In general the compliance reports talk about sanction of funds, but the problem has not yet been solved. There are vague reports that in some projects the work has started but we take notice of the fact that the writ petition is pending since 2003 and after lapse of five years, not a single concrete step appears to have been taken for meeting the basic requirements of the public residing in Lucknow.

Sri B.K. Singh, learned counsel for the petitioner has drawn the attention of the Court towards various orders passed by us on different dates including the order dated 20th August 2007 and stated that the complete plan has not been submitted till date for the adequate supply of water in the city of Lucknow, for which earlier the Nagar Nigam, Jal Sansthan and Jal Nigam asked for fourteen crores and odd. The amount was not released by the State Government and now the Nagar Nigam, Jal Sansthan etc. have taken a stand that they do not want these funds.

Sri S. K. Singh, Municipal Commissioner is present. He says that out of Rs. 70,79,86,000/- released by the Central Government, 20 crores of rupees have already been transferred to the Jal Nigam for improvement of water supply in the city of Lucknow. He further says that the day Jal Nigam utilizes the aforesaid amount, the rest of the money would be released, which is earmarked for supply of clean drinking water forthwith. He further says that first installment of 15 crores and odd, out of the amount sanctioned for laying down sewage lines and its maintenance etc. has also been released.

Sri S.K. Singh, Municipal Commissioner and Sri V.U. Vishnoi, General Manager, Jal Nigam and Special Secretary, Government of Uttar Pradesh stated that so far as boring and fresh installations of tube-wells, which are 61 in number, is concerned, the work shall be completed by 31st May 2008. Out of these 61 tube-wells, we are informed, 43 tube-wells only require connection of water supply and may be some re-boring. Let the same be completed at the earliest. We also take notice of the fact that there are certain hand-pumps, which according to the petitioner are two thousand or so in number, are to be made functional and need fresh boring so that water may be made available to the public in general. This work may be completed at the earliest. Sri S.K. Singh, Municipal Commissioner informs that the Nagar Nigam has also resolved and has taken a decision to install 240 new hand-pumps which will become functional by 31st May 2008.

On the question of water-recharging and water-conversation, Sri Krishna Chandra, learned counsel for the Lucknow Development Authority submits that whenever a building plan is sanctioned of a plot area of 200 square meters or more by the Lucknow Development Authority, a condition is put on the sanction order itself of the building plan that the person concerned should make provision for water conservation. We are not satisfied with the aforesaid procedure or the action of the Lucknow Development Authority as water harvesting and conversation is one of the most essential needs looking to the scarcity of water in the city of Lucknow and looking to the fact that the water level is receding to the extent of .50 to 1.50 meters per year.

We do not see any reason for the Lucknow Development Authority for not taking a

decision or not issuing any order, and if necessary to amend the bye-laws, providing that building plans shall not be sanctioned unless the same mentions the necessary requirements for water harvesting. However, we do not pass any order to that effect today, leaving it to the discretion of the Lucknow Development Authority and Housing Board etc. to look into the matter and submit their views on the next date of listing.

Sri Ansari, Director, Ground Water Department states that though the Ground Water Department is a Nodal Agency, but in fact the responsibility of water-recharging and water harvesting and conservation lies within the domain of Rural Development, Minor Irrigation Department and Forest Department. We, therefore, direct the State Government to seek reports from these departments about the proposed schemes and places where they intend to install the necessary plants for water recharging and the method which they may adopt for the purpose. We also do not have any reason to believe that the State Government would hesitate in releasing funds as may be required for the purpose as per rules. Sri Vishnoi informs the Court that the funds for the establishment of Third Water Project have already been sanctioned and first installment has already been released and the work has also started and it shall be completed at the earliest.

There is no satisfactory explanation forthcoming from the State Government or the Lucknow Development Authority as to why the sewage treatment plant, Kakraha has not yet started and why the place has been changed. Firstly it was proposed to be installed in village Ujariaon near Taj Hotel; thereafter it was shifted to village Maqdoompor, which was acquired for the purpose of raising housing colonies, and thereafter it was again changed to be installed at village Kakraha. But we have been informed that again land-use of Kakraha Sewage Treatment Plant has been changed for residential purpose and the site for Sewage Treatment Plant has been shifted to village Bhainsora.

We would like to put it on record that change of the place for the establishment of Sewage Treatment Plant, which is most urgently required, from one place to another, that too by changing the land-use, requires explanation from the State Government as well as from the Lucknow Development Authority. The respondents shall explain by the next date of listing by filing affidavit.

We also take note of the apathy on the part of the respondents in not taking effective steps in establishment of the sewage treatment plant and for not being responsive to the need of the people for drinking-water and installation of Sewage Treatment Plant at Daulatganj, which covers approximately only 40% of the affluent discharged in the river Gomti. The consequence is obvious that there is no machinery for treating the remaining 60% of the affluent before discharging it in the river Gomti.

In regard to the cleaning of river Gomti, the Municipal Commissioner says that the garbage would be removed and necessary planning would be made including removal of toilets etc. which were constructed there during rallies. He says that this shall be done within twenty-four hours.

Let the matter be listed on 30th April 2008 at 3.00 PM, on which date zonal-wise progress reports and the works undertaken shall be submitted by the departments concerned. The officers who are present shall appear on the next date for assisting the court.

Dated: 27.03.2008
Sachin

Sd - Pradeep Kant J

Sd. S. N. Shukla J.

Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003 Court No. 1.

Sewage Treatment Plant Vs. State of Uttar Pradesh & others

Hon'ble Pradeep Kant, J.
Hon'ble A. Mateen, J.

Officers are present. Sri Ravi Jain, Town Planner, on behalf of Lucknow Development Authority and Director, Ground Water are present besides other officers. Status reports have been filed by the Jal Nigam, Jal Sansthan, Nagar Nigam, Lucknow Development Authority and State of U.P. The reports say that for Sewage Treatment Plant, the land has not only been identified at village Bhainsora and adjoining villages, but for which acquisition proceedings have also started and notification under Section 4 of the Land Acquisition Act has also been issued on 25.3.2008 and declaration under Section 6 of said Act would also be issued as per the Rules.

Sri D.K. Upadhyaya, learned Chief Standing Counsel as well as the counsel for the Lucknow Development Authority and Sri H.P. Srivastava, counsel for the State have tried to explain in the affidavits the reasons for change of site for the Sewage Treatment Plant from Kakraha to the present site, saying that though in the Master Plan, which was effective from 1970-92, this site was shown for Sewage Treatment Plant, but later on, the Master Plan was changed, and in the present Master Plan, the present site has been shown as site for Sewage Treatment Plant.

Sri B.K. Singh, appearing for the petitioner, submitted that there is change of sites right from the year 1992 till date and that too by changing the land use in the Master Plan, which has not only resulted in delaying completion of the project but is also causing great inconvenience to the public and the cost of construction has also gone very high. He also apprehends that the State Government or the Lucknow Development Authority will again change the site by amending the Master Plan and this project will never see the light of the day. His further submission is that there could have been no reason or authority to change the Master Plan, just to give the earmarked land for Sewage Treatment Plant to builders for making multi-storied buildings or complexes.

We do not intend to express our views on the change of site so frequently at this stage, but would like to have an answer from the State Government as well as from the Lucknow Development Authority as to whether the present site, where the Sewage Treatment Plant is to be constructed, is also likely to be changed.

The State Government can change the Master Plan as per the Rules, but while doing so, it is essential that larger public interest must be kept in mind and unless of course there are cogent reasons for changing the land use, it need not be changed for any purpose which does not take into consideration the public interest for which the land is originally earmarked in the Master Plan. It cannot be disputed by none of the parties that the requirement of Sewage Treatment Plant of 345 MLD is the dire need of the city and the respondents are not oblivious of the said fact right from 1992 since when the aforesaid project is under consideration, but the same has not even been started what to say it being completed till date for the reasons best known to the respondents. The reasons brought to the knowledge of the Court are not at all satisfactory.

Sri Vishnoi, General Manager, U. P. Jal Nigam, who is represented by Sri I.P. Singh, says that the Sewage Treatment Plant would be completed within a maximum period of two years, if necessary funds are made available in time by the agencies, including the State Government, who is responsible to release the funds.

We, under the circumstances, deem it appropriate that the Principal Secretary, Housing and the Chairman as well as Vice-Chairman, Lucknow Development Authority appear before the Court on the next date and apprise the Court about the detailed plan with respect to the installation and functioning of the Sewage Treatment Plant as well as Third Water Works Project and also identification of places for water recharging in the city of Lucknow. The authorities of the Ground Water Department as well as other concerned authorities shall assist the Court in not only identifying the sites, but also laying down workable schemes so that necessary provisions for water harvesting and recharging be also made.

We are informed and it is also in the status report of the Lucknow Development Authority that for the purposes of having effective rain water harvesting and water recharging, they have already constituted a Committee for suitably amending the bye-

bye-laws, so that any building which requires such measures to be adopted, will not be allowed to be constructed unless the building plan specifically provides for such measures. The Lucknow Development Authority has also constituted a Monitoring Committee for the purpose and we have no reason to infer that the bye-laws shall not be amended in pursuance of various Government Orders issued in this regard. The Lucknow Development Authority is appending a condition in every sanctioned building plan to which the requirement for water harvesting and recharging is applicable, to provide such measures in the building failing which appropriate action would be taken, which may include cancellation of building plan also. We expect that the bye-laws would be suitably amended at the earliest.

The authorities of the Jal Nigam as well as the Jal Sansthan have also stated that the work of installation of tube-wells, re-boring and installation of hand-pumps, is already in progress and by the end of this month they will be able to complete most of the work in this regard.

So far as the funds are concerned, we expect that all the agencies, including the Central Government, the State Government, and the Zila Samiti headed by the District Magistrate, shall see that on submission of the utilization certificate of various schemes, further fund is released as per the rules so that efforts made by various agencies may not go in waste and people/residents of the city may not suffer the water crisis any more.

Sri B.K. Singh says that so far installation of hand-pumps, re-boring and repairing of hand-pumps are concerned, funds may be directed to be released so that the same may be completed. We expect that the funds for the said purposes may be released without any delay as per the requirement and the rules.

Municipal Commissioner, Sri S.K. Singh has brought to the notice of the Court that so far the removal of toilets on the bank of river Gomti is concerned, they have been removed, but removal of garbage is of some difficulty for the reason that almost the entire pit has filled-in by the garbage and it will incur heavy expense of rupees 50 lacs or so in removing the same and, therefore, he has proposed that over that plot beautification can be done by laying down a park.

Sri B. K. Singh, counsel for the petitioner submits that if the garbage is not

removed, it will not effect only the water level, but will also be injurious to the river water for which he has drawn attention of the Court to the notice issued by the U.P. Pollution Control Board by mentioning that the Nagar Nigam has started dumping garbage over that place, which should not be done.

The aforesaid matter requires an expert report and, therefore, the parties' counsel say that the I.I.T.R.C. along with officers of U. P. Pollution Control Board be requested to make an inspection of the site and submit its report as to whether it is necessary to remove the garbage and if not, the effect of the same on the water of the river and all such factors shall be mentioned in the report. The aforesaid team shall consider all aspects of having the water of river Gomti cleaned and shall also propose ways and means for the purpose. This report shall be submitted before the Court within three weeks.

We also find it expedient to ask the respondents to submit the report regarding the work already undertaken for cleaning of river Gomti, for Sewage Treatment Plant Project, Boring Projects and Third Water Works Project, the amount so far sanctioned and released, and the work done till date.

Sri I. P. Singh, Advocate expresses apprehension that the Power Corporation would not cooperate in running of tube-wells etc. We make it clear that the agencies either of the Government or otherwise have an obligation to provide necessary assistance for the supply of water to the public and we do not find any reason for such agencies to deliberately, not to provide the assistance which is needed.

When the case is next listed, name of Sri Ritu Raj Awasthi, Assistant Solicitor General of India, be also shown in the cause list. List this matter on 22nd May 2008 at 03.00 PM.

On that date, the officers present today including the Principal Secretary, Housing and the Chairman as well as Vice-Chairman, Lucknow Development Authority shall appear in person for assisting the court.

Dated: 30.4.2008

Sachin

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

87

प्रेषक,	सेवा में,
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या-292/उपा0/2008-09 दिनांकः 28-4-08	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ, भैसोरा एवं बतकास में लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त बिषयक प्राधिकरण के पत्र संख्या-1018/उपा0/मु0न0नि0/2006 दिनांकः 14.11.2006 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांकः 04.09.06 के बिषय संख्या-4 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में ग्राम - हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ, भैसोरा एवं बतकास में लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

2. कालान्तर में प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांकः 11.0507 तथा 16.10.07 (कार्यबृत्त संलग्न) में यह निर्णय लिया गया कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु महायोजना-2021 में प्रस्तावित स्थल पर ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय।

3. तद्क्रम में गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई, जल निगम द्वारा सर्वेक्षणोपरान्त ग्राम- भरवारा, लोनापुर, एवं भैसोरा में 119.817 हेक्टेयर भूमि चयनित कर इसके अधिग्रहण का प्रस्ताव नगर निगम के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2021 में महायोजना मार्ग को छोड़ते हुये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/सीवेज फार्म है।

4. गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई, जल निगम द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में उ0 प्र0 शासन द्वारा दिनांक 25.03.2008 को धारा-4 की कार्यवाही की जा चुकी है तथा धारा-6 हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

5. चूंकि प्रश्नगत स्थल पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है, अतः प्राधिकरण द्वारा दि0 14.11.06 को प्रेषित भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव का औचित्य समाप्त हो गया है।

6. मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में दायर जनहित याचिका संख्या–4436 (एम..बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम् उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 27.03.08 (छायाप्रति संलग्न) में भी मा0 न्यायालय द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु निर्धारित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रश्नचिन्ह उठाया गया है।

7. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अनुरोध है कि प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या–1018/उपा0/मु0न0नि0/2006 दिनांकः 14.11.2006 के माध्यम से प्रेषित भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव पर शासन स्तर से विचार न करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्राधिकरण को तदनुसार अवगत कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

28.5.08

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

0/e

विषय संख्याः 15 पृष्ठ संख्याः 89

विषयः रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में संशोधन किये जाने विषयक।

आख्याः

प्रदेश में तीव्र नगरीकरण एवं भूगर्भीय जल श्रोतो के अत्याधिक दोहन के कारण निरन्तर गिरते जल स्तर के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन द्वारा गिरते जल स्तर को रोकने के लिये जहाँ एक ओर तालाबों, पोखरों एवं झीलों के सुदृढीकरण, संरक्षण के निर्देश निर्गत किये गये है वही दूसरी ओर 200 वर्ग मी0 अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकार के भूखण्डो में भवन निर्माण के समय रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य किया गया है तथा उक्त हेतु समय-समय पर शासनादेश निर्गत है।

समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के प्राविधानों के अर्न्तगत प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों की स्वीकृति रेनवाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता के साथ ही दी जाती है किन्तु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में इस हेतु समुचित प्राविधान न होने, भवन उपविधि में उक्त व्यवस्था सम्मलित न होने के कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों को क्रियान्वित किये जाने में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ में दायर रिट याचिका सं0-4433 (एम/बी)/2003 में माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 27.03.08 एवं दिनांक 30.04.08(अनुलग्नक-1) को पारित आदेशों में भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिग हेतु वर्षा जल संचयन प्रणाली के प्राविधानों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने एवं इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 में तद्नुसार आवश्यक संशोधन/प्राविधान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्त क्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0-290/वी0सी0/सी0टी0पी0/08, दिनांक 26.04.08(अनुलग्नक-2) के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उ0प्र0

पी० एस० गोयल
मुख्य नगर नियो
लखनऊ विकास प्रा

1. Sri Ram Bahadur
Vice chairman LDA
2. Sri S.S. Misra.
Secretary LDA.

To kindly ensure compliance of the Court order dt 27.3.08 in PIL. WP 4436 of 2003. about 'A' 'B' + 'C' Points in Court's order dt. 27.3.08 within 10 days

(Krishna Chandra)
Advo
for LDA.
8.4.08.

Judgment Text

Judgment Text This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Joint Registrar(Copying).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

Court No. 1.

Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003
Sewage Treatment Plant Vs. State of Uttar Pradesh & others
Hon'ble Pradeep Kant, J.
Hon'ble A. Mateen, J.

Though compliance reports have been filed by the Jal Nigam, Jal Sansthan and Nagar Nigam, but we find that no substantial progress which may relieve the Lucknowites from the water scarcity problem in the city of Lucknow and cleaning of Gomti river has been made. In general the compliance reports talk about sanction of funds, but the problem has not yet been solved. There are vague reports that in some projects the work has started but we take notice of the fact that the writ petition is pending since 2003 and after lapse of five years, not a single concrete step appears to have been taken for meeting the basic requirements of the public residing in Lucknow.

Sri B.K. Singh, learned counsel for the petitioner has drawn the attention of the Court towards various orders passed by us on different dates including the order dated 20th August 2007 and stated that the complete plan has not been submitted till date for the adequate supply of water in the city of Lucknow, for which earlier the Nagar Nigam, Jal Sansthan and Jal Nigam asked for fourteen crores and odd. The amount was not released by the State Government and now the Nagar Nigam, Jal Sansthan etc. have taken a stand that they do not want these funds.

Sri S. K. Singh, Municipal Commissioner is present. He says that out of Rs. 70,79,86,000/- released by the Central Government, 20 crores of rupees have already been transferred to the Jal Nigam for improvement of water supply in the city of Lucknow. He further says that the day Jal Nigam utilizes the aforesaid amount, the rest of the money would be released, which is earmarked for supply of clean drinking water forthwith. He further says that first installment of 15 crores and odd, out of the amount sanctioned for laying down sewage lines and its maintenance etc. has also been released.

Sri S.K. Singh, Municipal Commissioner and Sri V.U. Vishnoi, General Manager, Jal Nigam and Special Secretary, Government of Uttar Pradesh stated that so far as boring and fresh installations of tube-wells, which are 61 in number, is concerned, the work shall be completed by 31st May 2008. Out of these 61 tube-wells, we are informed, 43 tube-wells only require connection of water supply and may be some re-boring. Let the same be completed at the earliest. We also take notice of the fact that there are certain hand-pumps, which according to the petitioner are two thousand or so in number, are to be made functional and need fresh boring so that water may be made available to the public in general. This work may be completed at the earliest. Sri S.K. Singh, Municipal Commissioner informs that the Nagar Nigam has also resolved and has taken a decision to install 240 new hand-pumps which will become functional by 31st May 2008.

On the question of water-recharging and water-conversation, Sri Krishna Chandra, learned counsel for the Lucknow Development Authority submits that whenever a building plan is sanctioned of a plot area of 200 square meters or more by the Lucknow Development Authority, a condition is put on the sanction order itself of the building plan that the person concerned should make provision for water conservation. We are not satisfied with the aforesaid procedure or the action of the Lucknow Development Authority as water harvesting and conversation is one of the most essential needs looking to the scarcity of water in the city of Lucknow and looking to the fact that the water level is receding to the extent of .50 to 1.50 meters per year.

We do not see any reason for the Lucknow Development Authority for not taking a

decision or not issuing any order, and if necessary to amend the bye-laws, providing that building plans shall not be sanctioned unless the same mentions the necessary requirements for water harvesting. However, we do not pass any order to that effect today, leaving it to the discretion of the Lucknow Development Authority and Housing Board etc. to look into the matter and submit their views on the next date of listing.

Sri Ansari, Director, Ground Water Department states that though the Ground Water Department is a Nodal Agency, but in fact the responsibility of water-recharging and water harvesting and conservation lies within the domain of Rural Development, Minor Irrigation Department and Forest Department. We, therefore, direct the State Government to seek reports from these departments about the proposed schemes and places where they intend to install the necessary plants for water recharging and the method which they may adopt for the purpose. We also do not have any reason to believe that the State Government would hesitate in releasing funds as may be required for the purpose as per rules. Sri Vishnoi informs the Court that the funds for the establishment of Third Water Project have already been sanctioned and first installment has already been released and the work has also started and it shall be completed at the earliest.

There is no satisfactory explanation forthcoming from the State Government or the Lucknow Development Authority as to why the sewage treatment plant, Kakraha has not yet started and why the place has been changed. Firstly it was proposed to be installed in village Ujariaon near Taj Hotel; thereafter it was shifted to village Maqdoompor, which was acquired for the purpose of raising housing colonies, and thereafter it was again changed to be installed at village Kakraha. But we have been informed that again land-use of Kakraha Sewage Treatment Plant has been changed for residential purpose and the site for Sewage Treatment Plant has been shifted to village Bhainsora.

We would like to put it on record that change of the place for the establishment of Sewage Treatment Plant, which is most urgently required, from one place to another, that too by changing the land-use, requires explanation from the State Government as well as from the Lucknow Development Authority. The respondents shall explain by the next date of listing by filing affidavit.

We also take note of the apathy on the part of the respondents in not taking effective steps in establishment of the sewage treatment plant and for not being responsive to the need of the people for drinking-water and installation of Sewage Treatment Plant at Daulatganj, which covers approximately only 40% of the affluent discharged in the river Gomti. The consequence is obvious that there is no machinery for treating the remaining 60% of the affluent before discharging it in the river Gomti.

In regard to the cleaning of river Gomti, the Municipal Commissioner says that the garbage would be removed and necessary planning would be made including removal of toilets etc. which were constructed there during rallies. He says that this shall be done within twenty-four hours.

Let the matter be listed on 30th April 2008 at 3.00 PM, on which date zonal-wise progress reports and the works undertaken shall be submitted by the departments concerned. The officers who are present shall appear on the next date for assisting the court.

Dated: 27.03.2008
Sachin

Sd - Pradeep Kant J

Sd. S. N. Shukla J.

Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003 Court No. 1.

Sewage Treatment Plant Vs. State of Uttar Pradesh & others

Hon'ble Pradeep Kant, J.
Hon'ble A. Mateen, J.

Officers are present. Sri Ravi Jain, Town Planner, on behalf of Lucknow Development Authority and Director, Ground Water are present besides other officers. Status reports have been filed by the Jal Nigam, Jal Sansthan, Nagar Nigam, Lucknow Development Authority and State of U.P. The reports say that for Sewage Treatment Plant, the land has not only been identified at village Bhainsora and adjoining villages, but for which acquisition proceedings have also started and notification under Section 4 of the Land Acquisition Act has also been issued on 25.3.2008 and declaration under Section 6 of said Act would also be issued as per the Rules.

Sri D.K. Upadhyaya, learned Chief Standing Counsel as well as the counsel for the Lucknow Development Authority and Sri H.P. Srivastava, counsel for the State have tried to explain in the affidavits the reasons for change of site for the Sewage Treatment Plant from Kakraha to the present site, saying that though in the Master Plan, which was effective from 1970-92, this site was shown for Sewage Treatment Plant, but later on, the Master Plan was changed, and in the present Master Plan, the present site has been shown as site for Sewage Treatment Plant.

Sri B.K. Singh, appearing for the petitioner, submitted that there is change of sites right from the year 1992 till date and that too by changing the land use in the Master Plan, which has not only resulted in delaying completion of the project but is also causing great inconvenience to the public and the cost of construction has also gone very high. He also apprehends that the State Government or the Lucknow Development Authority will again change the site by amending the Master Plan and this project will never see the light of the day. His further submission is that there could have been no reason or authority to change the Master Plan, just to give the earmarked land for Sewage Treatment Plant to builders for making multi-storied buildings or complexes.

We do not intend to express our views on the change of site so frequently at this stage, but would like to have an answer from the State Government as well as from the Lucknow Development Authority as to whether the present site, where the Sewage Treatment Plant is to be constructed, is also likely to be changed.

The State Government can change the Master Plan as per the Rules, but while doing so, it is essential that larger public interest must be kept in mind and unless of course there are cogent reasons for changing the land use, it need not be changed for any purpose which does not take into consideration the public interest for which the land is originally earmarked in the Master Plan. It cannot be disputed by none of the parties that the requirement of Sewage Treatment Plant of 345 MLD is the dire need of the city and the respondents are not oblivious of the said fact right from 1992 since when the aforesaid project is under consideration, but the same has not even been started what to say it being completed till date for the reasons best known to the respondents. The reasons brought to the knowledge of the Court are not at all satisfactory.

Sri Vishnoi, General Manager, U. P. Jal Nigam, who is represented by Sri I.P. Singh, says that the Sewage Treatment Plant would be completed within a maximum period of two years, if necessary funds are made available in time by the agencies, including the State Government, who is responsible to release the funds.

We, under the circumstances, deem it appropriate that the Principal Secretary, Housing and the Chairman as well as Vice-Chairman, Lucknow Development Authority appear before the Court on the next date and apprise the Court about the detailed plan with respect to the installation and functioning of the Sewage Treatment Plant as well as Third Water Works Project and also identification of places for water recharging in the city of Lucknow. The authorities of the Ground Water Department as well as other concerned authorities shall assist the Court in not only identifying the sites, but also laying down workable schemes so that necessary provisions for water harvesting and recharging be also made.

We are informed and it is also in the status report of the Lucknow Development Authority that for the purposes of having effective rain water harvesting and water recharging, they have already constituted a Committee for suitably amending the bye-

bye-laws, so that any building which requires such measures to be adopted, will not be allowed to be constructed unless the building plan specifically provides for such measures. The Lucknow Development Authority has also constituted a Monitoring Committee for the purpose and we have no reason to infer that the bye-laws shall not be amended in pursuance of various Government Orders issued in this regard. The Lucknow Development Authority is appending a condition in every sanctioned building plan to which the requirement for water harvesting and recharging is applicable, to provide such measures in the building failing which appropriate action would be taken, which may include cancellation of building plan also. We expect that the bye-laws would be suitably amended at the earliest.

The authorities of the Jal Nigam as well as the Jal Sansthan have also stated that the work of installation of tube-wells, re-boring and installation of hand-pumps, is already in progress and by the end of this month they will be able to complete most of the work in this regard.

So far as the funds are concerned, we expect that all the agencies, including the Central Government, the State Government, and the Zila Samiti headed by the District Magistrate, shall see that on submission of the utilization certificate of various schemes, further fund is released as per the rules so that efforts made by various agencies may not go in waste and people/residents of the city may not suffer the water crisis any more.

Sri B.K. Singh says that so far installation of hand-pumps, re-boring and repairing of hand-pumps are concerned, funds may be directed to be released so that the same may be completed. We expect that the funds for the said purposes may be released without any delay as per the requirement and the rules.

Municipal Commissioner, Sri S.K. Singh has brought to the notice of the Court that so far the removal of toilets on the bank of river Gomti is concerned, they have been removed, but removal of garbage is of some difficulty for the reason that almost the entire pit has filled-in by the garbage and it will incur heavy expense of rupees 50 lacs or so in removing the same and, therefore, he has proposed that over that plot beautification can be done by laying down a park.

Sri R. K. Singh, counsel for the petitioner submits that if the garbage is not

removed, it will not effect only the water level, but will also be injurious to the river water for which he has drawn attention of the Court to the notice issued by the U.P. Pollution Control Board by mentioning that the Nagar Nigam has started dumping garbage over that place, which should not be done.

The aforesaid matter requires an expert report and, therefore, the parties' counsel say that the I.I.T.R.C. along with officers of U. P. Pollution Control Board be requested to make an inspection of the site and submit its report as to whether it is necessary to remove the garbage and if not, the effect of the same on the water of the river and all such factors shall be mentioned in the report. The aforesaid team shall consider all aspects of having the water of river Gomti cleaned and shall also propose ways and means for the purpose. This report shall be submitted before the Court within three weeks.

We also find it expedient to ask the respondents to submit the report regarding the work already undertaken for cleaning of river Gomti, for Sewage Treatment Plant Project, Boring Projects and Third Water Works Project, the amount so far sanctioned and released, and the work done till date.

Sri I. P. Singh, Advocate expresses apprehension that the Power Corporation would not cooperate in running of tube-wells etc. We make it clear that the agencies either of the Government or otherwise have an obligation to provide necessary assistance for the supply of water to the public and we do not find any reason for such agencies to deliberately, not to provide the assistance which is needed.

When the case is next listed, name of Sri Ritu Raj Awasthi, Assistant Solicitor General of India, be also shown in the cause list. List this matter on 22nd May 2008 at 03.00 PM.

On that date, the officers present today including the Principal Secretary, Housing and the Chairman as well as Vice-Chairman, Lucknow Development Authority shall appear in person for assisting the court.

Dated: 30.4.2008
Sachin

अनुलग्नक-2

पत्रा. 290/YL/CIP
26-4-08

97

कार्यालय उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

कार्यालय आदेश

लखनऊ नगर के तीव्र नगरीयकरण व जल श्रोतों के अत्याधिक दोहन के कारण निरन्तर गिरते भूमि जल स्तर से आगामी कुछ वर्षों में भयानक जल संकट उत्पन्न होना सम्भावित है। भू–गर्भीय जल स्तर को रिचार्ज करने के दृष्टिगत 200 वर्गमीटर या उससे बड़े भूखण्ड पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लागू किया जाना अनिवार्य है। किन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि उक्त का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

रिट याचिका संख्या–4436(एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम् उ0प्र0 राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 27.03.2008 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जल के संरक्षण व हार्वेस्टिंग की निरन्तर गिरते जल स्तर पर चिन्ता व्यक्त करते हुये जल संरक्षण एवं हार्वेस्टिंग हेतु समुचित प्राविधान किये जाने व उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है। साथ ही साथ यह भी निर्देश है कि यदि उक्त हेतु वाईलाज आदि में संशोधन आवश्यक हो तो उक्तानुसार कार्यवाही की जाय।

उक्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है जो शासनादेशों, वाईलाज, अधिनियम में निहित वर्तमान प्राविधानों का परीक्षण करते हुये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाायेगी तथा यदि इस हेतु अलग से उपविधि बनाने की आवश्यकता हो तो उक्त हेतु भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

1.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
2.	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0	सदस्य संयोजक
3.	विधि परामर्शी, ल0वि0प्रा0	सदस्य
4.	संयुक्त निदेशक (भू./वि.), ल0वि0प्रा0	सदस्य
5.	अधिशासी अभियन्ता– भवन सेल– 1 व 2	"
6.	अधिशासी अभियन्ता– प्रवर्तन – 1 व 2	"
7.	आर्किटेक्ट एशोसियेशन का प्रतिनिधि	"

उक्त समिति एक माह के अन्दर उक्त के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट/संस्तुति प्रस्तुत करेगीं।

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

संख्या–290 /वि0प्रा0/उपा0/2008–09 दिनांकः 26/04/2008

प्रतिलिपि–1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, 7–बन्दरियाबाग, लखनऊ।
3. सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण आदेश संख्या-290/वीसी/सीटीपी/08 दिनांक 26.04.2008 के क्रम में रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति के प्राविधान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम व भवन उपविधि में संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त किये जाने के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 13.05.2008 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. श्री जी0एस0 गोयल, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री डी0के0 श्रीवास्तव, विधिपरामर्शी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्री एस0बी0 दफ्तरदार, वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. श्री विवेक पाण्डे, संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
6. श्री ओम प्रकाश, अधिशासी अभिंयता-प्रवर्तन-1, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
7. श्री प्रदीप कुमार, अधिशासी अभिंयता-प्रवर्तन-2, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
8. श्री आर0के0 शुक्ला, अधि0अभि0 भवन-1, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
9. श्री अनूप शर्मा, सहायक अभियंता प्रतिनिधि, अधिशासी अभियंता मानचित्र सेल-2, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

कार्यवृत्त:

भू-जल संरक्षण एवं रिचाजिंग हेतु वर्षा जल संचयन प्रणाली की अनिवार्यता के दृष्टिगत उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 में आवश्यक संशोधन/प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में, समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया एवं सम्यक विचारोपरांत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 तथा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निम्नवत् संशोधन/प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों का मत स्थिर हुआ।

(1) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 में प्रस्तावित संशोधन:-

भवन उपविधि के भाग-11, अन्य अनिवार्यताएं एव अपेक्षाएं के अन्तर्गत उल्लिखित अपेक्षाओं के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु निम्नवत् संशोधन सम्मिलित किये जाने चाहिए:-

i- रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाएं:-

(क) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजीकल/हाइड्रोलॉजीकल/हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

(ख) 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजीकल, टोपोग्राफी, लीथॉलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेन्शन) वं ''स्टेगनेशन'' का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाय और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के 'सरफेस-रन-आफ' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

(ग) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाए। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दशा में किया जाए।

(घ) पार्को में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव 'परमीएब्रिल' या 'सेमी परिमीएबिल परफोरेटे ब्लाक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

(ड.) सड़को, पार्को तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधो का वृक्षारोपाण किया जाएगा जिनकों जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।

(च) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ-साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत

भूखण्ड़ों/भवनों हेतु रिचार्जिग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।

(छ) शासकीय अभिकरणों/निज़ी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्ड़ों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा/ किन्तु 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड़ों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रस्तावित किया जाए, जबकि 200 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डो में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

ii- भवन उपविधि में संलग्न परिशिष्ट-6 प्रपत्र-अ (एकल आवासीय भवन) के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र में 300 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल के स्थान पर 200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रस्तावित संशोधन।

(क) धारा 15 (9) उपधारा (3):- इस धारा में अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात किसी भी तथ्य/मिथ्यानिरूपण के कारण मानचित्र निरस्त किये जाने सम्बन्धी प्राविधान के साथ-साथ स्वीकृति की शर्त का उल्लंघन/पालन न करने की दशा में भी मानचित्र निरस्त करने की व्यवस्था सम्मलित की जाए।

(ख) धारा 15क (सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र):- के प्राविधानों में 200.00 वर्ग मी0 अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकार के भवनों हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया जाए तथा धारा 15 क (2) में अध्यासन के सम्बन्ध में वाणिज्यिक के साथ-साथ समस्त प्रकार के भवनों को सम्मलित किया जाए।

अधिनियम की इस धारा में यह भी जोड़ना प्रस्तावित है कि पूर्णता प्रमाण प्राप्त किये बिना भवन स्वामी को स्थायी विद्युत कनेक्शन न दिया जाए तथा ऐसे भवनों के सीवर व वाटर कनेक्शन काटने के अधिकार भी प्राधिकरणो को दिये सम्बन्धी प्राविधान सम्मलित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार कालोनियों का विकास रोके जाने सम्बन्धी प्राविधान में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। सम्बन्धित विभागों यथा विद्युत व जल संस्थान के अधिनियम में भी तदानुसार यथा आवश्यक प्राविधान किये जाने की आवश्यकता होगी।

(ग) धारा 28 (1) विकास को रोकने की शक्ति में किसी शर्त जिसके अधीन ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो, के उल्लघंन के स्थान पर अथवा साथ-साथ ''का

पालन न किये जाने की स्थिति में'' जोड़ा जाए, जिससे निर्माणकर्ता द्वारा निर्माणाधीन परिसर में ड्रेनेज पाईप बिछाने के साथ-साथ यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो विकास कार्य रोका जा सके तथा ऐसे निर्माण को अनाधिकृत विकास की श्रेणी में माना जाए।

(घ) धारा-28-क (अनाधिकृत विकास को सील करने की शक्ति) में स्वीकृति की शर्त का पालन न करने की दशा में भी विकास को सील किये जाने सम्बन्धी प्राविधान जोडा जाना प्रस्तावित है।

(ड.) धारा-26 (शास्तियाँ) में स्वीकृति की किसी शर्त का उल्लघंन के साथ-साथ यह भी जोड़ा जाना प्रस्तावित है कि उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने तथा समुचित कारण होने पर कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृति की शर्त का पालन नहीं किया जा रहा है और तो उस पर जुर्माना तक हो सकता है।

(च) धारा-32 (अपराधो का शमन)/शमन उपविधि में स्पष्ट रूप से जोड़ा जाना प्रस्तावित है कि स्वीकृति की किसी शर्त का पालन न होने की दशा में शमन की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं अधिनियम में संशोधन/परिवर्तन करने हेतु शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की संस्तुति की गयी।

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

13/5/08

(जी0एस0 गोयल)
मुख्य नगर नियोजक

अनुमोदित

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

विषयः लखनऊ नगर में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम सरोसा–भरोसा एवं सलेमपुर पतौरा की लगभग 86 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को ''कृषि'' एवं ''पार्क/खुले स्थल व हरित पट्टी'' से 'सामुदायिक सुविधाएं, शिक्षण संस्थाएं' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

उप निदेशक, विकलांक कल्याण विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा लखनऊ–मोहान रोड पर ग्राम सरोसा–भरोसा एवं सलेमपुर पतौरा की लगभग 72 एकड़ भूमि पर विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है तथा यह भूमि विकलांक कल्याण विभाग को उक्त प्रयोजन हेतु हस्तांतरित की जा रही है। उप निदेशक, विकलांग कल्याण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मोहान रोड के बॉयी ओर नहर क्रासिंग से लगभग 1 किमी. पहले भारत सरकार के विकलांग पुनर्वास केन्द्र का भवन पॉच वर्ष से अधिक समय से स्थल पर विद्यमान है। लखनऊ महायोजना 2021 में प्रश्नगत भूमि में से लगभग 40 एकड़ भूमि का भू–उपयोग ''पार्क/खुले स्थल व हरित पट्टी'' जबकि अवशेष 46 एकड़ भूमि का भू–उपयोग 'कृषि' है। उप निदेशक, विकलांग कल्याण विभाग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तित किया जाये।

2. पार्क/खुले स्थल एवं हरित पट्टी के सम्बन्ध में पूर्व में समय–समय पर जारी शासनादेशों में दी गई व्यवस्थानुसार इस भू–उपयोग के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु यह आवश्यक है कि उतनी ही किसी अन्य उपयोग की भूमि अन्यत्र प्रस्तावित की जाये। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि प्रश्नगत स्थल के समीप महायोजना में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/सीवेज फार्म हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसके चारों तरफ ग्रीन वेल्ट प्रस्तावित नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से यह उचित होगा कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/सीवेज फार्म के चारों ओर ग्रीन वेल्ट प्रस्तावित की जाए। अतः प्रस्तावित विकलांग विश्वविद्यालय की भूमि में वह भूमि जिसका भू–उपयोग 'पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी' है, को ''सामुदायिक सुविधाएं, शिक्षण संस्थाएं'' में परिवर्तित किया जाना है, के समतुल्य भूमि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/सीवेज फार्म भू–उपयोग के चतुर्दिक प्रस्तावित किया जाना तथा

(एस० पी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

(जी० एस० गोयल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ वि...

तद्नुसार इस भूमि के भू–उपयोग को ''कृषि'' से ''पार्क एवं हरित पट्टी'' में परिवर्तित किया जाना समीचीन होगा।

प्रस्तावः

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण के समक्ष निम्नवत् भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

1. ग्राम सरोसा–भरोसा एवं सलेमपुर पतौरा की 86 एकड़ भूमि (लगभग 72 एकड़ भाग पर विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है एवं लगभग 14 एकड़ भाग पर विकलांग पुनर्वास केन्द्र का भवन काफी समय से विद्यमान है) में से 40 एकड़ ''पार्क/खुले स्थल व हरित पट्टी'' तथा अवशेष 46 एकड़ ''कृषि'' भू–उपयोग की भूमि के भू–उपयोग को ''सामुदायिक सुविधाएं, शिक्षण संस्थाओं'' में परिवर्तित किया जाना।
2. उपर्युक्त 40 एकड़ ''पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी'' के भू–उपयोग की भूमि के समतुल्य सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/सीवेज पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि के चतुर्दिक ''कृषि'' उपयोग की भूमि के भू–उपयोग को ''पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी'' में परिवर्तित किया जाना।
3. प्राधिकरण से उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुमोदन की दशा में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत आवश्यक भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना।

(एस० बी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (भू०/वि०)
ल० वि० प्रा०, लखनऊ

(जी० एस० गोयल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ महायोजना-2021

पट्टी मानचित्र

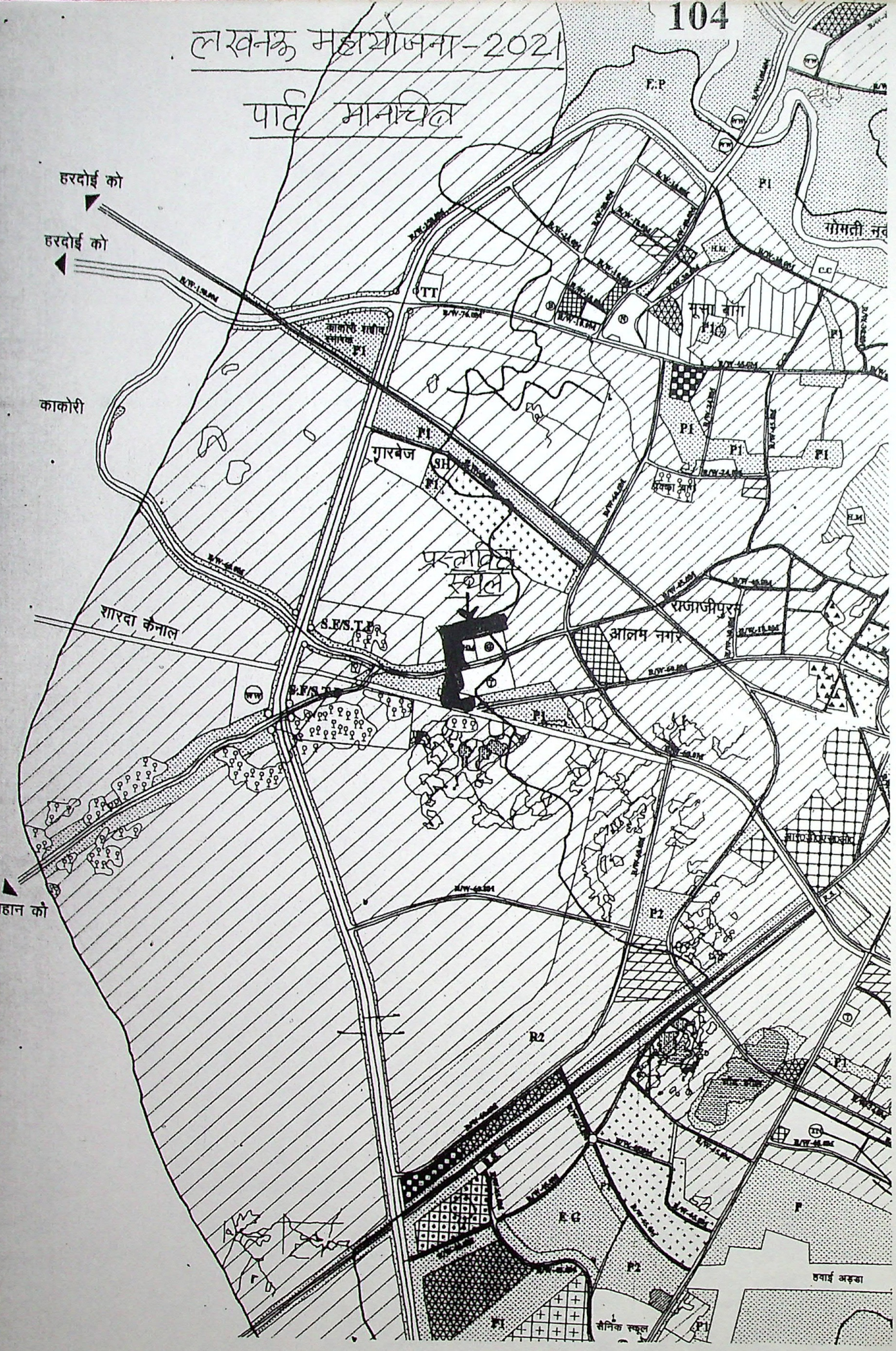

अनु॰ विषय संख्याः 1 पृष्ठ संख्याः

विषयः गोमती नगर योजना में नदी के बॉये तटबन्ध पर डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बन्धा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन एवं डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क, के आंशिक भाग जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 2665 वर्ग मीटर व 5220 वर्ग मीटर है, का भू–उपयोग 'यातायात एवं परिवहन, वर्तमान सड़क' से 'मनोरंजनात्मक, पार्क एवं खुला स्थल' में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

गोमती नगर योजना में नदी के बॉये तटबन्ध तथा डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के मध्य लखनऊ महायोजना 2021 में एक सड़क है। इस सड़क का विकास विगत वर्षो में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया था। यह सड़क ताज होटल तिराहे से रेलवे लाइन के पास तक जाती है एवं इस सड़क के दूसरी ओर कोई आवासीय कालोनी या आबादी नहीं है। यह सड़क डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल एवं बन्धे के मध्य स्थित होने के कारण एवं इस पर डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का वी.आई.पी. प्रवेश द्वार स्थित होने के कारण इसका प्रयोग केवल डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों द्वारा ही किया जा सकेगा। इस सड़क पर वी.आई.पी प्रवेश होने के कारण इस सड़क का उपयोग केवल पार्किंग के रूप में होगा। यह सड़क डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों के लिए एवं उनके वाहनों की पार्किंग के लिए ही प्रयोग हो सकेगी। अन्य कार्यो हेतु यह सड़क लगभग निष्प्रयोज्य हो गयी है। डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अन्तिम दक्षिणी छोर तक तो इसका उपयोग डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों के लिए एवं उनके वाहनों की पार्किंग के लिए प्रयोग हो सकेगा, परन्तु इसके आगे की सड़क का भाग लगभग निष्प्रयोज्य ही रहेगा। डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन के दक्षिणी छोर के आगे के सड़क भाग पर भागीदारी भवन स्थित्त है। भागीदारी भवन में अनुसूचित जाति एवं जानजाति के छात्रों को प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था रहती है। भागीदारी

भवन का भू–भाग छोटा होने के कारण परिसर में खुला स्थान अपेक्षाकृत काफी कम है, जबकि छात्रों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक होता है कि भवन के चारों ओर पर्याप्त खुला स्थान हो। डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल एवं बन्धे के मध्य लखनऊ मास्टर प्लान 2021 में अंकित इस सड़क का उपयोग भागीदारी भवन के छात्रों द्वारा तथा डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में आने वाले आगन्तुकों एवं उनके वाहनों की पार्किंग के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है एवं भागीदारी भवन के आगे की सड़क निष्प्रयोज्य है, अतः भागीदारी भवन के सम्मुख भागीदारी भवन तथा बन्धे के बीच की सड़क का भू–उपयोग 'यातायात एवं परिवहन, वर्तमान सड़क' से 'मनोरंजनात्मक, पार्क एवं खुला स्थल' के रूप में परिवर्तित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. इसी प्रकार सहारा शहर तथा सहारा शहर व भागीदारी भवन के बीच स्थित अनाधिकृत कालोनी के लिए सहारा शहर व भागीदारी भवन के पूर्वी छोर के बीच एक निकास व प्रवेश उपलब्ध है, जिसके कारण इस अनाधिकृत कालोनी के निवासियों द्वारा मुख्य सड़क पर आकर सहारा शहर/विपुल खण्ड की ओर जाते हुए आवागमन किया जायेगा। अनाधिकृत कालोनी के अतिरिक्त कोई अन्य रिहायसी क्षेत्र न होने के कारण सहारा शहर के मुख्य द्वार से भागीदारी भवन के तिराहे की ओर जाने वाली मास्टर प्लान की सड़क पर सहारा शहर/विपुल खण्ड की ओर से कोई वाहन भागीदारी भवन तक नहीं आयेगा। सहारा शहर एवं भागीदारी भवन के बीच में जो अनाधिकृत कालोनी स्थित है, उस कालोनी के निवासियों द्वारा इस सड़क का उपयोग करते हुए सहारा शहर की ओर से विपुल खण्ड तथा नगर के अन्य क्षेत्रों में आने–जाने हेतु इसका प्रयोग किया जायेगा न कि डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के किनारे से। इस प्रकार भागीदारी भवन एवं डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच 30 मीटर चौड़ी सड़क का यह भाग (भागीदारी भवन तिराहे से भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक) भी लगभग निष्प्रयोज्य पड़ा रहेगा। अतः भागीदारी भवन के छात्रों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिगत भागीदारी भवन के आस–पास खुला क्षेत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भागीदारी भवन के सम्मुख डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल एवं भागीदारी भवन के मध्य 30 मीटर चौड़ी सड़क के इस भाग का भू–उपयोग 'यातायात एवं परिवहन, वर्तमान सड़क' से 'मनोरंजनात्मक, पार्क एवं खुला स्थल' के रूप में परिवर्तित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि बन्धा तथा भागीदारी भवन के बीच की सड़क भागीदारी भवन के आगे रेलवे लाइन से कुछ पहले तक जाती है। इस सड़क के रेलवे लाइन की आगे छोर पर एक पी.ए.सी. बैरक तथा उ.प्र. जल निगम का पम्पिगं स्टेशन बना हुआ है, जिसका पहुँच मार्ग वर्तमान मे बन्धे के ऊपर से होता है। भागीदारी भवन के सम्मुख बन्धे तथा भागीदारी भवन के बीच की सड़क का भू–उपयोग सड़क से खुला क्षेत्र/पार्किगं मे परिवर्तित हो जाने के पश्चात पम्पिगं स्टेशन तथा पी.ए.सी. बैरक हेतु रेलवे लाइन तथा सहारा शहर के मध्य स्थित मास्टर प्लान भी 30 मी0 चौडी सड़क एप्रोच के लिए प्रयोग होगी एवं इस प्रकार सहारा शहर तथा रेलवे लाइन के बीच मास्टर प्लान की 30 मी0 चौडी सड़क पम्पिगं स्टेशन तथा पी.ए.सी. बैरक की पहुँच मार्ग रहेगी।

4. भागीदारी भवन तथा बन्धे के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन व डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क के प्रश्नगत भाग, जिसका उपयोग सड़क से 'पार्क एवं खुला स्थल' में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है, का क्षेत्रफल क्रमशः 2665 वर्ग मीटर व 5220 वर्ग मीटर है। प्रश्नगत दोनों भू–भाग को संलग्न मानचित्र में क्रमशः 'क' व 'ख' से दर्शाया गया है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत गोमती नगर योजना में नदी के बॉये तटबन्ध पर डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बन्धा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन एवं डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क, के आंशिक भाग जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 2665 वर्ग मीटर व 5220 वर्ग मीटर है, का भू–उपयोग 'यातायात एवं परिवहन, वर्तमान सड़क' से 'मनोरंजनात्मक, पार्क एवं खुला स्थल' में परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

MAP SHOWING PROPOSED CHANGE IN LANDUSE

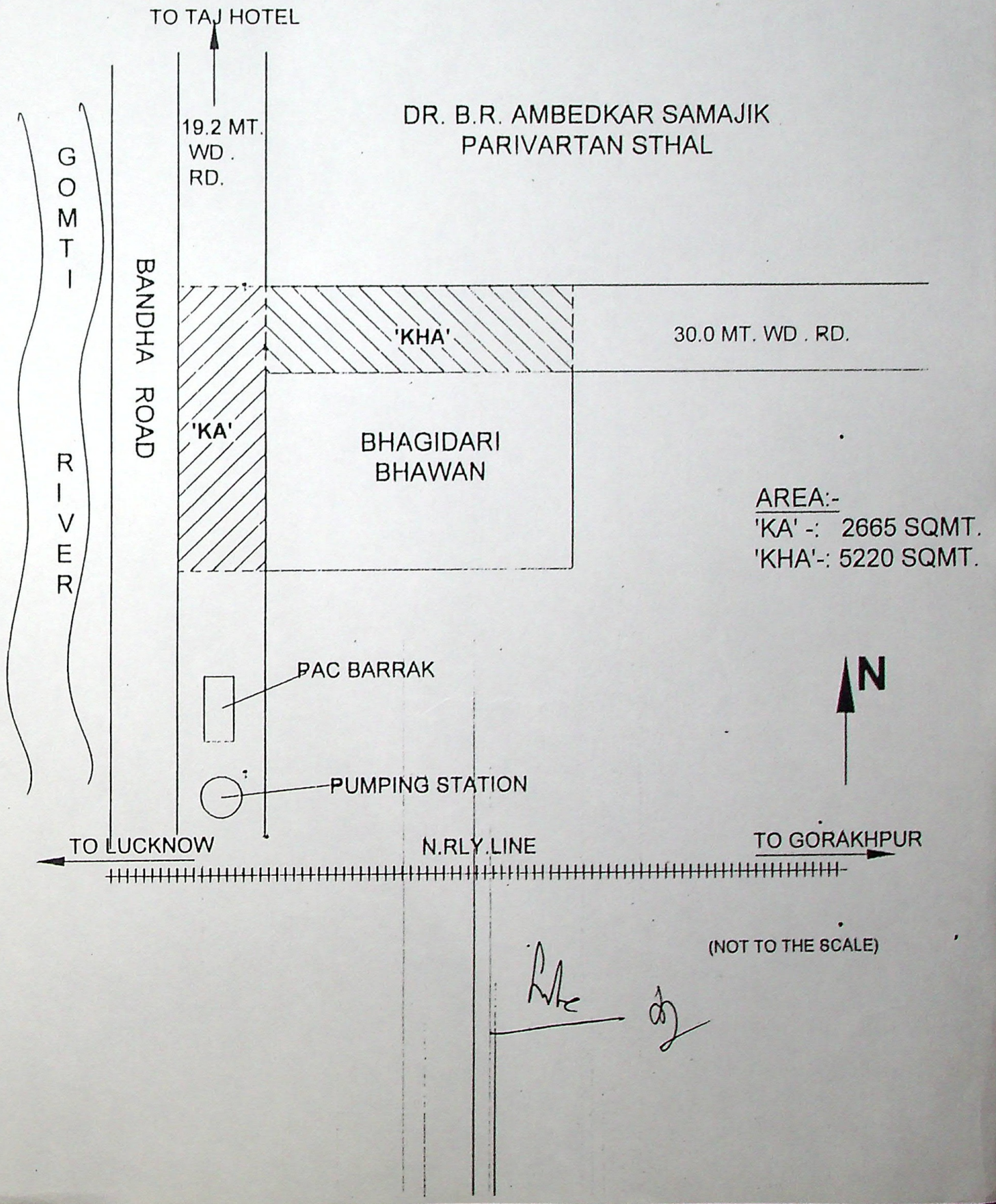

अनु॰ विषय संख्याः 2 पृष्ठ संख्याः

विषयः रामाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम औरगांबाद खालसा की कुल 7.50 एकड भूमि का भू–उपयोग 'पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाये, उपयोगिताए एवं सेवाये' मे परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे।

रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा मे प्राधिकरण की अधिग्रहीत लगभग 7.50 एकड भूमि का भू–उपयोग महायोजना 2021 मे 'पार्क, खुले क्षेत्र ग्रीन बेल्ट' के रूप मे निर्दिष्ट है। रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा राजनैतिक रैली, सभाओ तथा अन्य बडे सार्वजनिक कार्यक्रमो के लिये किया जा रहा है। विभिन्न राजनैतिक पार्टियो तथा बडी सभाओ के अवसर पर रमाबाई अम्बेडकर मैदान की तरफ आने वाले मार्गो पर रैली व सभाओ मे भाग लेने वाली जनता का काफी आवागमन रहता है एवं वाहनो का आवागमन अवरूद्व हो जाता है। दिनांक 9 अक्टूबर 2007 को रमाबाई अम्बेडकर मैदान मे रैली के अवसर पर मैदान की तरफ विभिन्न दिशाओ की ओर से आने वाली जनता की काफी अधिक संख्या होने से सभी मार्गो पर आवागमन बिल्कुल बाधित हो गया था एवं मा0 मुख्य मंत्री जी स्थल पर पहुचने हेतु हैलीकाप्टर का उपयोग किया गया था।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत यह उचित प्रतीत होता है कि रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप स्थल पर एक हैलीपैड एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियो की सुरक्षा के दृष्टिगत एक छोटा अतिविशिष्ट विश्राम गृह एवं वाहनो की पार्किगं हेतु पार्किग स्थल का विकास करा दिया जाये।

3. रमाबाई अम्बेडकर मैदान के आस–पास क्षेत्र मे स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल के आस–पास कोई ऐसी उपयुक्त भूमि रिक्त नही है जो रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप हो एवं जिस पर उपरोक्त सुविधाए उपलब्ध हो। रमाबाई अम्बेडकर मैदान के दक्षिण मे अमर शहीद पथ से सटे ग्राम औरगाबाद खालसा की अधिग्रहीत 7.50 एकड भूमि रिक्त है जिसका भू–उपयोग महायोजना 2021 मे 'पार्क, खुले क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट' निर्दिष्ट है। इस भू–भाग के अतिरिक्त मैदान के समीप मे कोई अन्य भू–भाग रिक्त नही है एवं यह भू–भाग वांछित सुविधाओ हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत एक हैलीपैड, अतिविशिष्ट व्यक्तियो की सुरक्षा के दृष्टिगत सेफ रूम आदि उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से अतिथिगृह एवं पार्किगं का विकास करने के उददेश्य से अमर शहीद पथ पर स्थित ग्राम औरगांबाद खालसा की अधिग्रहीत 7.50 एकड भूमि का भू–उपयोग 'पार्क, खुले क्षेत्र , ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाये, उपयोगिताए एवं सेवाऐ' मे किये जाने हेतु प्रस्तावित है। प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग सलंग्न नक्शे मे दर्शित है।

5. भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल की भूमि 'पार्क, खुले क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट' भू–उपयोग मे प्राधिकरण सीमा मे अन्यत्र परिवर्तित की जायेगी।

प्रस्तावः–

उपरोक्त के दृष्टिगत रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर ग्राम औरगांबाद खालसा की 7.50 एकड भूमि का भू–उपयोग ' पार्क, खुला क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाये, उपयोगिताये एवं सेवाये' मे परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

MAP SHOWING CHANGE IN LANDUSE

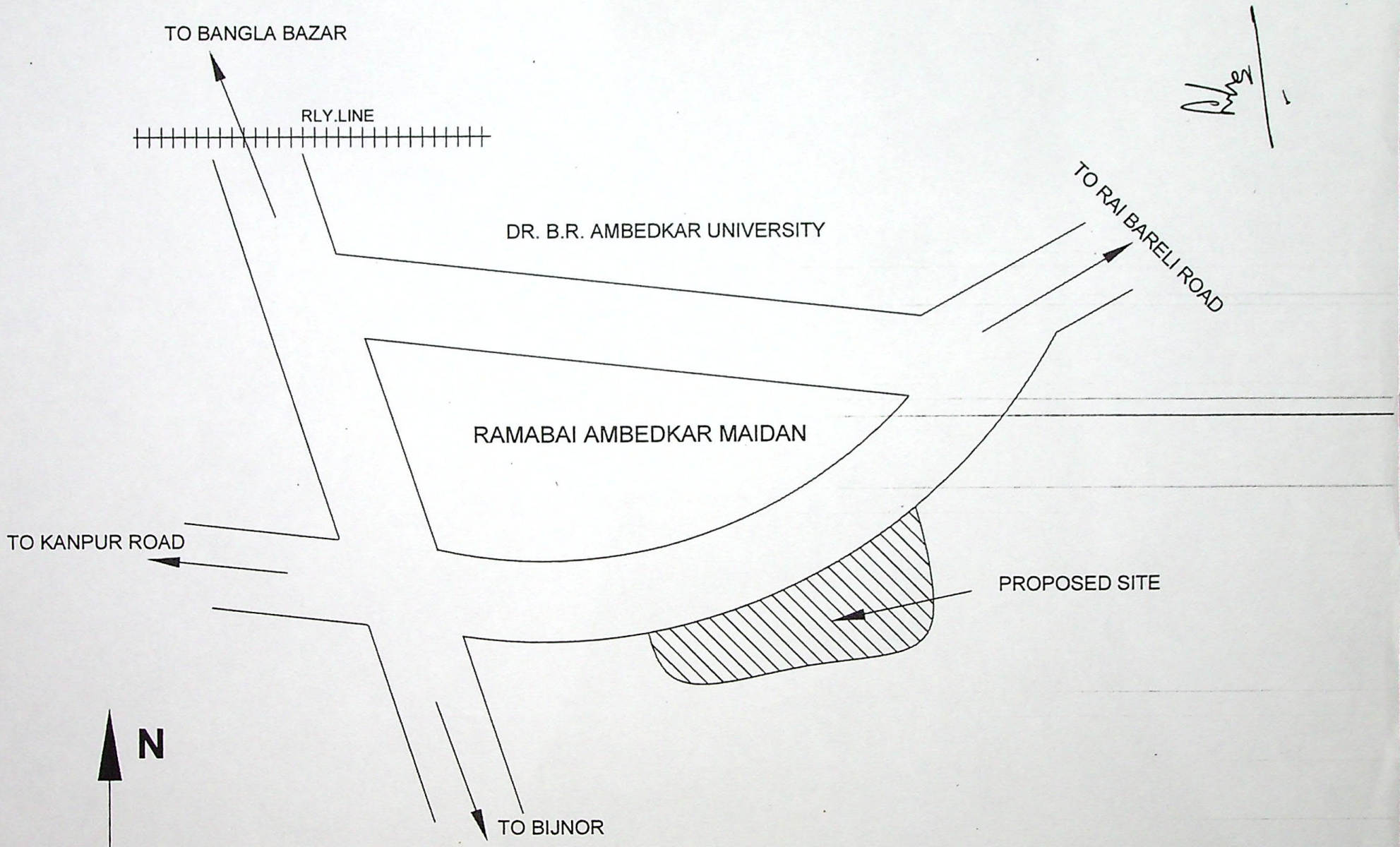

(NOT TO THE SCALE)

अनु- विषय संख्याः-4 पृष्ठ संख्याः-

विषयः लखनऊ महायोजना-2021 को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्याः

शासनादेश संख्या-1291/आठ-3-05महा/05, दिनांक 31.03.2005 द्वारा लखनऊ महायोजना-2021 को अनुमोदित किया गया है। भूमण्डलीकरण के कारण नगरीय विकास की गति एवं प्रकृति में तीव्र एवं निर्णयात्मक परिवर्तन हो रहे है। इस परिवर्तनों को लखनऊ महायोजना में सम्मिलित किए जाने की उत्तरोत्तर आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर महसूस की जा रही है। वह परिवर्तन जिसके कारण महायोजना-2021 को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, का विवरण मुख्य रूप से निम्नवत् है:-

1. शासन द्वारा नगरीय विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हाईटेक एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु नई नीति प्रतिपादित की गई है जिसके अत्यन्त सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है। इन नई प्रवृत्तियों के कारण नगर के प्रमुख मार्गो पर विकास का दबाव अत्यन्त बढ़ गया है तथा विकास क्षेत्र के बाहर नगर के पेरीफेरी क्षेत्रों में भी अनियंत्रित विकास तीव्रगति से आरम्भ हो गये है तथा इन पेरीफेरी क्षेत्रों को नियंत्रित करने की महती आवश्यकता है।

2. लखनऊ नगर में यातायात के बढ़ते दबाव एवं परिस्थितियों के कारण लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित आउटर रिंग रोड के समरेखण के परिवर्तन की आवश्यकता विकास प्राधिकरण एवं शासन स्तर पर महसूस की जा रही है। वर्तमान आउटर रिंग रोड कई स्थानों पर विकास क्षेत्र की सीमा से सटी हुई प्रस्तावित है तथा संशोधित समरेखण के लिए विकास क्षेत्र की सीमाओं को पुनःनिरीक्षित किया जाना आवश्यक है।

तथा संशोधित समरेखण के लिए विकास क्षेत्र की सीमाओं को पुनःनिरीक्षित किया जाना आवश्यक है।

6. लखनऊ महायोजना-2021 मे प्रस्तावित भू-उपयोग के सापेक्ष अनेक स्थलों पर विकास वर्तमान विकास सीमा तक हो चुका है। उत्तर प्रदेश नगर विकास अनुभाग-7, की अधिसूचना संख्या-6450/9-7-2006-67ज/95, दिनांक 30.11.2006 द्वारा लखनऊ मेट्रोपोलिटिन एरिया घोषित किया जा चुका है तथा प्राधिकरण द्वारा वर्तमान लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है। विस्तारीकरण हेतु विकास क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नए क्षेत्रों के भू-उपयेाग को परिभाषित किए जाने तथा आउटर रिंग रोड के एलाइन्मेन्ट में परिवर्तन के फलस्वरूप भू-प्रयोगों में होने वाले परिवर्तनों के अनुक्रम में लखनऊ महायोजना-2021 में इस पक्ष पर पुनः विचार कर प्रस्ताव दिए जाने आवश्यक होंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जोन्स हेतु सम्पूर्ण नगर की सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त की जा रही है अतः यह उचित होगा कि लखनऊ नगर की महायोजना को समस्त परिवर्तनों सहित नगर की वेक्टराइज्ड सैटेलाइट इमेज पर परिवर्तित कर लिया जाय, जिससे क्रियान्वयन में आने वाली दिन प्रतिदिन की कठिनाइयों को सीमित किया जा सके तथा विकास मोनिटिरिंग भी सम्यक रूप से की जा सके।

लखनऊ महायोजना-2021 के पुनरीक्षण हेतु उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त निम्न बिन्दु भी विचारणीय होंगे:-

3. गत कुछ समय से नगर के सुनियोजित विकास के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। इन अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार वर्ष 2040 में अनुमानित जनसंख्या के दृष्टिगत किया जा रहा है जबकि लखनऊ महायोजना-2021 में इन तथ्यों को संज्ञान में नही लिया गया है।

4. वर्तमान में प्रभावी महायोजना तैयार करते समय बेसमैप न होने के कारण कई स्थलों पर पूर्व महायोजना के प्राविधानों के विपरीत भू-उपयोग प्रस्तावित कर दिये गये है जिसके कारण अनेकानेक समस्याओं तथा वादों का सामना प्राधिकरण को दिन-प्रतिदिन करना पड़ रहा है।

<u>प्रस्ताव:</u>

1. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव है कि शासन द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तार के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी होने के पश्चात सेटेलाइट इमेजरी से तैयार बेसमैप के आधार पर लखनऊ महायेाजना-2021 को पुनरीक्षित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय तथा इस सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को एजेन्सी के रूप में नामित किया जाय।

2. लखनऊ महायोजना-2021 को पुनरीक्षित किए जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण की सहमति की दशा में वर्तमान में प्रभावी लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत प्राईवेट कन्सलटेन्ट के माध्यम से जोन-15, 16, 22 व 3 तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से जोन संख्या-2, 7, 18 व 20 हेतु तैयार किये जा रहे जोनल प्लान पर प्राधिकरण स्तर से अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जाना भी आवश्यक होगा।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

28/6/08

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 जून, 2008 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री चन्द्रभानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री ओम नारायण	निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5.	श्री मार्कन्डेय शाही (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7.	श्री गोविन्द पाण्डेय	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
8.	श्री सुरेश कुमार रावत	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
9.	श्री राम कृष्ण यादव	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थिति :

10.	श्री मुणि प्रसाद मिश्र	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
11.	श्री अवधेश कुमार	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री आर0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री एस0बी0 मिश्र	संयुक्त निदेशक (भूमि एवं विकास), ल0वि0प्रा0।

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। माननीय पार्षद एवं सदस्य श्री गोविन्द पाण्डेय द्वारा कहा गया कि कार्यवृत्त में उनकें कथनों का समावेश नहीं किया गया है। उन्होनें यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी सदस्य की असहमति को उल्लिखित किया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा उनकी पूर्व बैठक से सम्बन्धित आशंका का निवारण किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि किसी भी सदस्य की असहमति को कार्यवृत्त में अवश्यमेव उल्लिखित किया जाये।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01 मार्च एवं 11 मार्च, 2008 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : अनुपालन नोट किया गया।

विषय संख्या : 3 वित्तीय वर्ष 2008–09 में आय–व्ययक के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक पर विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श किया गया, विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 4 मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : मान्यवर कांशीराम जी उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी की स्थापना हेतु हरदोई रोड योजना के सेक्टर–जे की लगभग 150 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति

करते हुए प्रस्ताव शासन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 5 हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग 09 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त हरदोई रोड योजना के सेक्टर–ए में लखनऊ महायोजना–2021 में ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 6 सम्पत्ति की धनराशि समय से जमा न करने के फलस्वरूप लगने वाले दण्ड ब्याज को रू0 25,000.00 माफ किये जाने वाले प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 7 लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सरोजनी नायडू मार्ग (एनेक्सी भवन के सामने) से सटी हुई पश्चिम दिशा में पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण का पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु भूमि अर्जन की योजना।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए अर्जन की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 8 सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम–सेमरागौढ़ी, मोहिबुल्लापुर खलीलाबाद, बटहासबौली, सिकन्दरपुर इनायतअली व आकिलपुर की अर्जित भूमि का समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि 30 सितम्बर, 2008 तक अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान प्रत्येक दशा में कर दिया जाये तथा उक्त अवधि तक कार्यवाही पूर्ण कर प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।

विषय संख्या : 9

उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन/लैण्ड एसेम्बली एवं विकास की नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी) के अन्तर्गत विभिन्न विकासकर्ताओं के पंजीकरण तथा उन्हें निर्गत किये गये लाइसेन्स के सम्बन्ध में प्राधिकरण की दिनांक 01.03.08 की बैठक में विषय संख्या–10 पर पारित निर्णय के क्रम में कुल 06 विकासकर्ताओं के पंजीकरण एवं उनके लाइसेन्स प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 5873/आठ–1–05–34विविध/03 टीसी–1 दिनांक 12.01.08 के द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 06.05.08 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय :

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार के समय निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए :–

1. शासन द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत कन्सोर्शियम को कम्पनियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार कन्सोर्शियम के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करने की स्थिति में केवल कम्पनी ही सदस्य हो सकते हैं, जब कि मेसर्स ओमेक्स लि0 तथा मेसर्स ए0एन0एस0 कान्सट्रक्शन प्रा0लि0 के द्वारा प्रस्तुत किये गये कंसोर्शियम में कमशः 02 एवॅ 07 निजी व्यक्तियों को कन्सोर्शियम का सदस्य बनाया गया है।
2. शासन द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत रीयल इस्टेट क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जब कि मेसर्स विराज कांस्ट्रक्शन लि0 व मेसर्स के0एस0एम0 बशीर मो0 एण्ड सन्स प्रा0लि0 को रीयल इस्टेट क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है।

3. शासन द्वारा लाइसेन्स हेतु निर्धारित अर्हताओं एवॅ मापदण्डों के अन्तर्गत प्राधिकरण की अधिगृहीत भूमि को लाइसेन्स प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, जब कि मेसर्स ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0लि0 एवम् ओमेक्स लि0 द्वारा प्राधिकरण की कमशः 53 एकड़ एवम् 13 एकड़ अधिगृहीत भूमि लाइसेन्स प्रस्ताव में सम्मिलित की गयी है।
4. शासन द्वारा लाइसेन्स हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत लाइसेन्स हेतु आवेदन करते समय विकासकर्ता के स्वामित्व में प्रस्तावित योजना की न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि होना आवश्यक है, जब कि मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा0लि0 के स्वामित्व में मात्र 24.30 प्रतिशत भूमि ही थी।
5. मेसर्स ए0एन0एस0 कांस्ट्रक्शन प्रा0लि0 के लाइसेन्स प्रस्ताव में उनके स्वामित्व की भूमि तारतम्यता (कन्टीग्यूटी) में नहीं है एवम् लाइसेन्स क्षेत्र का एक बड़ा भाग महायोजना 2021 के अनुसार सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट हेतु निर्दिष्ट भूमि पर स्थित है।

इस प्रकार शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं एवम् मापदण्डों की पूर्ति न करने के कारण मे0 ओमेक्स लि0,ए0एन0एस0 कान्सट्रक्शन प्रा0लि0, विराज कान्सट्रक्शन लि0 तथा मे0 के0एस0एम0 बशीर मो0 एण्ड सन्स के पंजीकरण तथा मे0 ओमेक्स लि0,ए0एन0एस0 कान्सट्रक्शन प्रा0लि0, विराज कान्सट्रक्शन लि0 तथा मे0 के0एस0एम0 बशीर मो0 एण्ड सन्स, एल्डिको सिटी प्रा0लि0 एवम् ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0लि0 के लाइसेन्स को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया एवॅम् मापदण्डों के आधार पर पंजीकरण/लाइसेन्स प्रस्तावों का परीक्षण न करते हुए उनकी स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने के कारण संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 10 रमाबाई अम्बेडकर मैदान के अनुरक्षण एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर यह निर्देश प्रदान किये गये कि प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के लखनऊ

नगर निगम को हस्तांतरित हो जाने के फलस्वरूप अधिसंख्य हुए कर्मियों को ही रमाबाई अम्बेडकर मैदान के अनुरक्षण एवं प्रबंधन में तैनात किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इस प्रयोजन हेतु किसी दशा में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाये। मैदान के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा ही वहन किये जाने का निर्णय लिया गया। मैदान के आबंटन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि अग्रतर आदेशों तक इस मैदान का आबंटन डा0 अम्बेडकर मैदान के आबंटन की प्रक्रिया/शर्तों के अनुरूप किया जाये।

विषय संख्या : 11 लखनऊ नगर महानगर क्षेत्र में गोल मार्केट के पास स्थित पार्क में पी0पी0पी0 माडल पर भूमिगत पार्किंग काम्प्लेक्स का निर्माण।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पी0पी0पी0 माडल पर भूमिगत पार्किंग काम्प्लेक्स बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि इसी के साथ–साथ लखनऊ नगर के अन्य क्षेत्रों में भी पार्किंग की आवश्यकता का आंकलन करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 12 गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर निर्मित भवन को समायोजित करने से सम्बन्धित आश्वासन संख्या 523–38–2001 की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त समायोजन का कोई औचित्य न पाये जाने के कारण अस्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 13 लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया तथा शासन को स्वीकृति की अनुशंसा सहित अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि लखनऊ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (लीडा) व लखनऊ

विकास प्राधिकरण की सीमा में ओवरलैपिंग के सम्बन्ध में शासन से अनुरोध कर लिया जाये, जिससे दोनों संस्थाओं की महायोजना में एकरूपता बनी रहे।

विषय संख्या : 14 लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/सीवेज फार्म के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

विषय संख्या : 15 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में आवश्यक संशोधन किये जाने विषयक।

निर्णय : रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुक्रम में विचार–विमर्श के उपरान्त भवन उपविधि व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 16 लखनऊ नगर में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम सरोसा–भरोसा एवं सलेमपुर पतौरा की लगभग 86 एकड़ भूमि के भू–उपयोग को ''कृषि'' एवं ''पार्क''/खुले स्थल व हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधाएं, शिक्षण संस्थाएं, में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन की संस्तुति प्रदान करते हुए प्रस्ताव को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0 विषय सं0: 1 गोमती नगर योजना में नदी के बायें तटबंध पर डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के दक्षिणी छोर से भागीदारी भवन के दक्षिणी छोर तक बंधा एवं भागीदारी भवन के बीच की सड़क तथा भागीदारी भवन के पूर्वी छोर तक भागीदारी भवन एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बीच की सड़क, के आंशिक भाग जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 2665 वर्गमीटर व 5220 वर्गमीटर है, का

भू–उपयोग 'यातायात एवं परिवहन, वर्तमान सड़क' से 'मनोरंजनात्मक, पार्क एवं खुला स्थल' में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0 विषय सं0: 2 रमाबाई अम्बेडकर मैदान के समीप अमर शहीद पथ के दक्षिण की ओर स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा की कुल 7.50 एकड़ भूमि का भू–उपयोग 'पार्क, खुले क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट' से 'सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0 विषय सं0: 3 लखनऊ में प्रस्तावित/विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप योजना से सम्बन्धित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट।

निर्णय : प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

1. सहारा इण्डिया द्वारा तीन वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक हाईटेक टाउनशिप परियोजना के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है, अतः हाईटेक टाउनशिप हेतु इनके चयन को निरस्त करने की संस्तुति के साथ शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।
2. अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित/विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में इंगित कमियों एवम् अनियमितताओं के दृष्टिगत पूर्व में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये डी0पी0आर0 तथा ले–आउट प्लान को निरस्त किया जाये। इन

कमियों एवम् अनियमितताओं की गम्भीरता के दृष्टिगत हाईटेक टाउनशिप हेतु इनके चयन को निरस्त करने की संस्तुति के साथ शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

3. जिन अधिकारियों द्वारा इंगित कमियों एवम् अनियमितताओं के साथ डी0पी0आर0 तथा ले–आउट प्लान की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं विकास अनुबन्ध किया गया है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

अनु0 विषय सं0: 4 लखनऊ महायोजना–2021 को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रचलित महायोजना–2021 में कमियों का भली–भांति परीक्षण कर लिया जाये तथा परीक्षणोपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि वर्तमान में महायोजना का संशोधन आवश्यक है, अतएव वर्तमान में प्रभावी महायोजना के आधार पर जोनल प्लान बनाये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण वर्तमान में बनाये जा रहे जोनल प्लानों के कार्य को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाये।

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।